# लोक-सभा वाद-विवाद

# का

# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION

# OF

# 4th LOK SABHA

# DEBATES

[ तीसरा सत्र ]

**Third Session**

[खंड 10 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. X contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
**LOK SABHA SECRETARIAT**
**NEW DELHI**

मूल्य : एक रुपया

*Price* : One Rupee

[ यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debate and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

# विषय-सूची/Contents

अंक 17, गुरुवार, 6 दिसम्बर, 1967/15 अग्रहायण, 1889 (शक)

**No. 17, Wednesday, December 6, 1967/Agrahayana 15, 1889 (Saka)**

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS


| ता० प्र० संख्या S.Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 481. | मनीपुर में राष्ट्रपति का शासन | President's Rule in Manipur | 2313-2317 |
| 482. | इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के वाइकाउन्ट विमानों के स्थान पर अन्य विमान चलाना | Replacement of Viscont with I.A.S. | 2317-2318 |
| 483. | नागाओं की विद्रोहात्मक गतिविधियां | Hostile Activities of Nagas | 2318-2319 |
| 488. | विद्रोही नागा मिजो गठजोड़ | Naga Mizo Collaboration | 2319-2322 |
| 484. | अपीजे शिपिंग कम्पनी | Appeejay Shipping Company | 2322-2327 |


## प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS


| ता० प्र० संख्या S.Q. Nos. | | | |
|---|---|---|---|
| 485. | बर्मा से चावल का आयात | Import of Rice from Burma | 2327 |
| 486. | जम्मू तथा काश्मीर सरकार द्वारा ऋण की अदायगी | Repayment of Loan by Jammu and Kashmir Government | 2328 |
| 487. | लक्कदीव द्वीपसमूह | Laccadive Islands | 2328 |
| 489. | आसाम नागालैंड और पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दलों की राष्ट्रविरोधी कार्यवाहियां | Anti National Activities of Political Parties in Assam, Nagaland and West Bengal | 2328 |
| 490. | कोंकण राज्य की मांग | Demand for Konkan State | 2328-2329 |


*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

| ता० प्रश्न संख्या S.Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 491. | विभिन्न राज्यों में अलगाव की भावनाएँ | Secessionist tendencies in various States | 2329 |
| 492. | नागालैंड का राज्यपाल | Governor of Nagaland | 2329 |
| 493. | राज्यपालों का सम्मेलन | Governor's Conference | 2229-2330 |
| 494. | हुगली नदी का तलकर्षण | Dredging in river Hooghly | 2330 |
| 496. | दिल्ली में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण | Separation of Judiciary from Executive in Delhi | 2330-2331 |
| 497. | केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति की रक्षा | Protection to Central Government Properties | 2331 |
| 499. | पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा के सीमाक्षेत्रों में पाकिस्तानियों की घुसपैठ | Pakistani Intrustions in West Bengal and Tripura borders | 2331-2332 |
| 500. | नई दिल्ली में कनाट सर्कस में गुण्डों द्वारा आक्रमण | Attack by Rody Elements in Connaught Circus, New Delhi | 2332-2333 |
| 501 | सरकारी कर्मचारियों के संघों की मान्यता देना | Recognistion of Unions of Government Employees | 2333 |
| 502. | पश्चिम बंगाल के भारतीय सीमावर्ती जिलों में पाकिस्तानियों द्वारा किए गए अपराध | Crimes committed by Pakistan's on Indian Border Districts of West Bengal | 2333 |
| 505. | मिज़ो पहाड़ियाँ | Mizo Hills | 2333-2334 |
| 506. | पाकिस्तानियों द्वारा आसाम पुलिस के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का अपहरण | Kidnapping of an A.S.I. of Assam Police by Pakistanis | 2334 |
| 507. | क्षेत्रीय परिषदें | Zonal Councils | 2334 |
| 508. | तिरुप डिवीजन में अत्यावश्यक वस्तुओं की कमी | Shortage of essential commodities in Tirup Division | 2334-2335 |
| 509. | राजस्थान के राज्यपाल तथा स्थल सेनाध्यक्ष की हत्या का कथित प्रयास | Alleged attempt on the lives of Rajasthan Governor and Chief of Army Staff | 2335 |
| 510. | सी० आई० ए० एजेन्ट स्मिथ के वक्तव्य | C.I.A. Agent Smith's Statements | 2335-2336 |

अता० प्रश्न संख्या

U.Q.Nos.


| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 3090. | बिहार में हिन्दी संस्थाओं को अनुदान | Grants to Hindi Institutions in Bihar | 2336 |
| 3093. | उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथ | National Highways in Uttar Pradesh | 2336 |
| 3094. | बम्बई में दो पाकिस्तानी नागरिकों की गिरफ्तारी | Arrest of Two Pakistanis in Bombay | 2336-2337 |
| 3095. | पुरावशेषों का निर्यात | Export of Antiquities | 2337 |
| 3096. | बम्बई कांडला विमान सेवा | Bombay Kandla Air Service | 2337 |
| 3097. | बेगमपेट हवाई अड्डे तक सीधी सड़क | Direct Link Road to Begumpet Aerodrome | 2338 |
| 3098. | महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजपथ | National Highways in Maharashtra | 2338 |
| 3099. | द्वारिका के कृष्ण मंदिर को सुरक्षित रखना | Preservation of Dwarka Temple | 2338-2339 |
| 3100. | राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मंसूरी में शराब की दूकान | Bar in the National Academy of Administration, Mussoorie | 2339 |
| 3101. | महाराष्ट्र में पर्यटन केन्द्र | Tourist Centre in Maharashtra | 2339-2340 |
| 3102. | भारत कनाडा संस्था | Indo-Canadian Institute | 2340 |
| 3103. | पश्चिम बंगाल में वामपंथी साम्यवादी | Left Communist in West Bengal | 2340 |
| 3104. | शान्ति तथा व्यवस्था की स्थिति | Law and Order Situation | 2341 |
| 3105. | पश्चिम बंगाल विधान सभा में पेश किए जाने वाले विधेयकों के प्रारूप | Draft of Bills to be Moved in West Bengal Assembly | 2341 |
| 3106. | नक्सलबाड़ी | Naxalbari | 2341 |
| 3107. | भारत और अमरीका के बीच जहाज भाड़े की दरें | Feright Rates between India and US | 2342 |
| 3108. | इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों की संख्या | I.A.C. Fleet of Aircraft | 2342-2343 |
| 3109. | एलेक्जैन्डर मोमोट का निष्कासन | Deportation of Alexander Momot | 2343 |
| 3100. | नाटीकल एण्ड इंजीनियरिंग कालेज में प्रतिरक्षा पाठ्यक्रम | Defence Courses at Nautical and Engineering College. | 2343 |

| अता० प्र० संख्या U.Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 3111. | गर सरकारी क्षेत्र में बन्दूकें बनाने के कारखाने | Factories for Manufacture of Guns in Private Sector | 2343-2344 |
| 3112. | एलप्पी पत्तन | Alleppey Port | 2344 |
| 3113. | मनीपुर में नागाओं द्वारा युद्ध-विराम समझौते का उल्लंघन | Violation of Cease Fire Agreement by Nagas in Manipur Manipur | 2344 |
| 3114. | जगद्गुरु शंकराचार्य की काश्मीर यात्रा | Jagat Guru's Visit to Kashmir | 2345 |
| 3115. | सार्वजनिक दंगों का सामना करना | Dealing with Mass Disturbances. | 2345 |
| 3116. | वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में कथित विवाद | Alleged Disputes within C.S.I.R. | 2345 |
| 3117. | केरल पुलिस आवास योजनाएं | Kerala Police Housing Scheme | 2345 |
| 3118. | पश्चिम जर्मनी से मुद्रण मशीनें | Printing Presses from Germany | 2346 |
| 3119. | लक्कदीव द्वीप समूह | Laccadive Islands | 2346 |
| 3120. | विद्रोही मिज़ो लोगों द्वारा पादरियों का अपहरण | Kidnapping of Clergymen by Mizo Rebels | 2346 |
| 3121. | नागालैंड द्वारा अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करना | English a State Language of Nagaland | 2347 |
| 3122. | नागरिकों को सैनिक प्रशिक्षण | Military Training for Civilians | 2347 |
| 3123. | चलचित्रों के इश्तहारों तथा विज्ञापनों का सेंसर | Censorship of film posters and advertisements | 2348 |
| 3124. | भारतीय तथा पाकिस्तानी सीमासुरक्षा दलों के अधिकारियों की बैठक | Indo-Pak. Border force officers Meetings. | 2348-2349 |
| 3125. | वैज्ञानिकों की बैठक | Scientists' Meeting | 2349 |
| 3126. | इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान की कलकत्ता के निकट जून में हुई दुर्घटना | Accident to I.A.C. Dakota near Calcutta in June, 1967. | 2349-2350 |

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.


| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 3127. | आसाम में पुल | Bridges in Assam | 2350 |
| 3128. | सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार विरोधी उपाय | Anti Corruption Measures in Government officers | 2350 |
| 3130. | वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की धनबाद में बैठकें | Dhanbad C.S.I.R. Meeting | 2350-2351 |
| 3131. | दिल्ली में मान्यता रहित शिक्षा संस्थाओं पर नियंत्रण | Control over Unrecognised Educational Institutions in Delhi | 2351 |
| 3132. | अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिए रिहायशी मकान और छात्रावास | Residential and Hostel Accommodation for Teachers | 2351-2352 |
| 3133. | दिल्ली में फसील (दीवार) | City Wall in Delhi | 2352-2353 |
| 3134. | मैसूर के अधिकारियों की वरिष्ठता सूची | Seniority List of Mysore Officials | 2353 |
| 3135. | समाज सेवा प्रेरक शिक्षा | Social Service-Oriented Education . | 2353 |
| 3136. | भारत में पर्यटक स्थानों संबंधी साहित्य | Literature on Tourist Places in India | 2353-2354 |
| 3137. | भारत और नेपाल की पार्श्ववर्ती सड़क परियोजना | Lateral Road Project of India and Nepal | 2354 |
| 3138. | भारतीय सीमा सुरक्षा दल के मारे गए सैनिक | Indian Border Security Forces Personnel killed | 2354 |
| 3139. | प्रतिनियुक्त कर्मचारी | Employees on Deputation | 2355 |
| 3140. | पाकिस्तानी जासूस | Pakistani Spies | 2356 |
| 3141. | दिल्ली के विद्यार्थियों पर अश्रु गैस का प्रयोग | Use of Tear Gas on Delhi Students | 2356 |
| 3142. | लाल किला, दिल्ली में सौन एट लुमेर कार्यक्रम | Son at Lumire at Red Fort, Delhi | 2356 |
| 3143. | कुश्ती प्रतियोगिता | Wrestling Competition | 2357 |
| 3144. | गंडक नदी पर डुमरिया घाट पुल | Dumriaghat Bridge over River Gandak | 2357 |
| 3145. | नगरपालिका बोर्ड, पोर्ट ब्लेयर | Municipal Board, Port Blair | 2358 |
| 3146. | उड़ीसा में विश्वविद्यालयों को सहायता | Assistance to Universities in Orissa | 2358 |

**अता० प्र० संख्या**

**U.Q. Nos.**


| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 3147. | सेन्ट्रल स्कूल, भुवनेश्वर | Central School, Bhubaneshwar | 2358-2359 |
| 3148. | भारत में इंजीनियरिंग कालेज | Engineering Colleges in India | 2359 |
| 3149. | दुर्गापुर में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस शिविर | Central Reserve Police Camp at Durgapur | 2059-2360 |
| 3150. | बैलूर (मैसूर) में आवास सुविधायें | Lodging Facilities at Belur (Mysore) | 2360 |
| 3151. | आन्दोलन में हताहत हुए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी | Central Government Employees injured in the Kashmiri Pandits Agitation | 2360 |
| 3152. | चण्डीगढ़ में अध्यापकों की गिरफ्तारी | Arrest of Teachers in Chandigarh | 2360-2361 |
| 3153. | आसाम में पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारत छोड़ो आदेश | Quite orders to Pak Infiltrators in Assam | 2361 |
| 3154. | राज्यपालों की नियुक्ति | Appointment of Governors | 2361 |
| 3155. | उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत मुकदमे | Arrears in High Courts | 2361-2362 |
| 3156. | विवेकानन्द शिक्षा स्मारक, कन्याकुमारी | Vivekananda Rock Memorial | 2362 |
| 3157. | रामेश्वरम मंदिर का जीर्णोद्धार | Rameshwaram Temple .. | 2362 |
| 3758. | भ्रष्टाचार के मामले | Vigilance Cases | 2362 |
| 3159. | दिल्ली परिवहन की अप्रयुक्त बसें | D.T.U. Buses Lying Idle | 2363 |
| 3160. | दिल्ली के पुलिसमैनों के विरुद्ध मामले | Cases Against Delhi Policemen | 2363 |
| 3161. | मछली का निर्यात करने के लिए जहाजों में शीतागार-व्यवस्था | Refrigeration Arrangements for Ships and Vessels for Export of Fish | 2363-2364 |
| 3162. | भारत की क्रिकेट टीम का इंगलैण्ड का दौरा | Cricket Team's Tour of England | 2364 |
| 3163. | गंगा नदी में देशाभ्यन्तर नौवहन सेवा | I.W.T. Service on the Ganga | 2364-2365 |
| 3164. | शिक्षा सलाहकार समिति की 23 वीं बैठक | 23rd Meeting of Educational Advisory Committee | 2365 |

| अता० प्र० संख्या U.Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 3165. | काश्मीर सशस्त्र पुलिस और केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस के बीच संघर्ष | Conflict between Kashmir Armed Police and C. R. P. | 2365-2366 |
| 3166. | सर्कस के कलाकारों को पारितोषिक | Awards to Circus Artistes | 2366 |
| 3167. | दिल्ली में शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएँ | Educational Facilities in Delhi | 2366-2367 |
| 3168. | वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान सम्बन्धी दस्तावेज | Document on C.S.I.R. | 2367 |
| 3169. | वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में वैज्ञानिक | Scientists in C.S.I.R. | 2367-2368 |
| 3170. | पाकिस्तानी हथियारों का डाकुओं के क्षेत्रों में चोरी छिपे लाया जाना | Smuggling of Pakistani Arms in Dacoit Areas | 2368 |
| 3171. | विदेशी पर्यटक | Foreign Tourists | 2368-2369 |
| 3172. | दार्जिलिंग में एवरेस्ट संग्रहालय | Everest Museum at Darjeeling | 2369 |
| 3173. | पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण | Nationalization of Text Books | 2369 |
| 3174. | पर्यटक गाँव | Tourist Villages | 2370 |
| 3175. | चंडीगढ़ प्रशासन | Chandigarh Administration | 2370 |
| 3176. | पंजाब विश्वविद्यालय के नाम में परिवर्तन | Change in Name of Punjab University | 2370 |
| 3177. | दिल्ली परिवहन बसों के पासधारी | D.T.U. Pass Holders | 2370-2371 |
| 3178. | अध्यापकों के प्रशिक्षण स्कूल और कालेज | Teachers Training Schools and Colleges | 2371 |
| 3179. | भूतपूर्व नरेशों द्वारा प्रकाशित पुस्तक | Brochure Brought out by Ex-Rulers | 2372 |
| 3180. | स्कूटर चालकों के विरुद्ध शिकायतें | Complaints against Scooter Drivers | 2372 |
| 3181. | जाँच आयोगों के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति | Appointment of judges for Enquiry Commissions . | 2373 |
| 3182. | विदेशी पुस्तकों का कम मूल्य पर पुनर्प्रकाशन | Re-Publication of Foreign Books at Low Price | 2373 |

| अता० प्र० संख्या U.Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 3183. | आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए पृथक विश्वविद्यालय | Separate University for Assam Hill Areas | 2373-2374 |
| 3184. | नागाओं का पाकिस्तान जाने का प्रयास | Nagas Trying to cross over to Pakistan | 2374 |
| 3185. | बाड़मेर क्षेत्र में सीमावर्ती सड़कें | Border Road in Barmer Region | 2374-2375 |
| 3186. | पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के भारत में निश्चित अवधि से अधिक ठहरने के विरुद्ध कार्यवाही | Action against Pakistanis overstaying in India | 2375 |
| 3187. | कोचीन शिपयार्ड | Cochin Shipyard | 2375 |
| 3188. | विदेशों में हवाई अड्डों पर सुविधायें | Facilities at Airport in Foreign Countries | 2375-2376 |
| 3189. | छात्राओं से शुल्क फीस | Tution Fees for Women Candidates | 2376-2377 |
| 3190. | जासूसी | Espionage | 2377 |
| 3191. | वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावलि आयोग के सदस्य | S.T.T.C. Members | 2377 |
| 3192. | वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावलि आयोग का पुनर्गठन | Re-organisation of Commission for Scientific and Technical Terminology | 2377 |
| 3193. | केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय तथा वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली आयोग द्वारा व्यय की गई धनराशि | Amount spent on the Central Hindi Directorate and the Commission for S.& T. T. | 2378-2379 |
| 3194. | प्रशासन में हिन्दी का प्रयोग | Use of Hindi in Administration | 2379 |
| 3195. | शेख अब्दुल्ला की रिहाई | Release of Sheikh Abdullah | 2379 |
| 3196. | त्रिभुवन विश्वविद्यालय के लिये उम्मीदवार | Candidates for Tribhuvan University | 2380 |
| 3197. | वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी | English as Optional Subject | 2380 |
| 3198. | गांवों में पुस्तकालयों की सुविधायें | Library Facilities in Villages | 2380 |
| 3199. | कानपुर विश्वविद्यालय को सहायता | Aid to Kanpur University | 2381 |

| अता० प्रश्न संख्या U.Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 3200. | भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी | I.A.S. and I.P.S. Officers | 2381 |
| 3201. | नागालैंड किस्म के प्रशासन की माँग | Claims for Nagaland Type Administration | 2381 |
| 3202. | छात्र संघों की मांग | Students' Unions Demands | 2382 |
| 3203. | दिल्ली पुलिस द्वारा आन्दोलन | Agitation by Delhi Police | 2382 |
| 3204. | दिल्ली पुलिस | Delhi Police | 2382-2383 |
| 3205. | दिल्ली पुलिस आन्दोलन | Delhi Police Agitation | 2383 |
| 3206. | पश्चिमी बंगाल के सीमावर्ती जिलों में पाकिस्तानियों द्वारा किए गए अपराध | Crimes Committed by Pakistanis on Indian Border Districts of West Bengal | 2383 |
| 3207. | शहीद हरिकृष्ण | Martyer Hari Krishna | 2383 |
| 3208. | शहीद हरिकृष्ण के परिवार के सदस्यों को सहायता | Assistance to the Family members of Martyr Hari Krishna | 2384 |
| 3209. | शहीद मदनलाल धींगड़ा | Martyer Madan Lal Dhingra | 2384 |
| 3210. | सान फ्रांसिसको में क्रान्तिकारी दल | Revolutionary Party in San Fransisco | 2384 |
| 3211. | क्रान्ति दल के परिवार सदस्यों की सहायता | Assistance to Family Members of Revolutionary Party | 2384 |
| 3212. | दिल्ली में चोरी की घटनायें | Theft Cases in Delhi | 2385 |
| 3213. | मणिपुर में गैर सरकारी कलिजों को अनुदान | Grants to Private Colleges in Manipur | 2385 |
| 3214. | सीमा क्षेत्रों में सीमावर्ती सड़क | Lateral Road Project in Border Region | 2385-2386 |
| 3215. | मध्य प्रदेश में डकैतियाँ | Dacoities in Madhya Pradesh | 2386 |
| 3216. | केन्द्रीय जाँच विभाग द्वारा जाँच | Enquiries by C.B.I. | 2386-2387 |
| 3217. | राज्यपाल के सैनिक सचिव | Military Secretary to Governor | 2387 |
| 3218. | सुवर्ण रेखा नदी (उड़ीसा) पर पुल | Bridge on River Subernarekha (Orissa) | 2387-2388 |
| 3219. | शिक्षा मंत्रालय का पुनर्गठन | Reorganisation of Education Ministry | 2388 |
| 3220. | मनीपुर छावनी क्षेत्र में काँगला स्मारक | Kangla Monuments in Manipur Cantonment Area | 2388 |

| अता० प्र० संख्या U.Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 3223. | संथाल परगना ईसाई मिशन | Foreign Christian Missions in Santhal Paraganas | 2388 |
| 3224. | विशाखापत्तनम से लौह अयस्क का निर्यात | Export of Iron Ore Through Visakhapatnam | 2389 |
| 3225. | उड़ीसा में पर्यटन | Tourism in Orissa | 2389-2390 |
| 3226. | दिल्ली में डाकघरों के माध्यम से सड़क कर की वसूली | Collection of Road Tax Through Post Offices in Delhi | 2390 |
| 3227. | वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के आविष्कारों के लिए लाइसेंस | Licences for C.S.I.R. | 2390-2391 |
| 3229. | केन्द्रीय सतर्कता आयोग | Central Vigilance Commission | 2391 |
| 3230. | मैसूर में नए हवाई अड्डों का निर्माण | Construction of New Aerodromes in Mysore | 2391-2392 |
| 3231. | दिल्ली के स्कूलों में सिलाई और कढ़ाई | Tailoring and Embroidery in Delhi Schools | 2392 |
| 3232. | गैर-हिन्दी भाषीय राज्यों में हिन्दी का प्रचार | Propagation of Hindi in Non-Hindi Speaking States | 2392-2393 |
| 3233. | इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन और एयर इंडिया में फालतू कर्मचारी | Surplus Staff in I.A.C. and Air India | 2393 |
| 3234. | एयर इंडिया के द्वारा पर्यटक प्रचार | Tourist Publicity through Air India | 2393 |
| 3235. | त्रिभाषाई सूत्र | Three Language Formula | 2393 |
| 3236. | अखिल भारतीय शिक्षा संस्था फेडरेशन | All India Federation of Educational Associations | 2394 |
| 3237. | अभियान में कांग्रेस दल के अध्यक्ष के विरुद्ध विदेशी दूतावासों का योगदान | Foreign Involvements in Election Campaign Against Congress President | 2394 |
| 3238. | अन्दमान में डीजल से चलने वाले पम्प | Diesel Water Pumps in Andaman | 2394-2395 |
| 3239. | अंदमान में प्लाइवुड का नौवहन | Shipping Space for Andaman Plywood | 2395 |
| 3240. | अन्दमान राजकीय परिवहन विभाग | Andaman State Transport Department | 2395 |

| अता० प्र० सं०<br>U.Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 3241. | अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह स्थित केन्द्रीय माध्यमिक स्कूल | Central Secondary School, Andamanand Nicobar Islands | 2395-2396 |
| 3242. | मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिये सोवियत दल की छात्रवृत्तियां | U.S.S.R. Scholarships from Students from Madhya Pradesh | 2396 |
| 3243. | मध्य प्रदेश में किला असीरगढ़ | Asirgarh Fort in Madhya Pradesh | 2396 |
| 3244. | गृह-मंत्री का अन्दमान का दौरा | Home Minister's Visit to Andamans | 2396-2397 |
| 3245. | दिल्ली विश्वविद्यालय में घेराव | Gherao in Delhi University | 2397 |
| 3246. | गैर-हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों में हिन्दी का प्रचार | Propgation of Hindi in Non-Hindi Speaking States | 2397-2398 |
| 3247. | रात्रि ड्यूटी भत्ते का भुगतान | Payment of Night Duty Allowance | 2398 |
| 3249. | रेडियो संचार में अनुसंधान | Research in Radio Communication | 2398 |
| 3250. | एयरकारपोरेशनों द्वारा एम. ए. एम. ई डिप्लोमा को मान्यता दिया जाना | Non-Recognition of M.A.M.E. Diploma by Air Corporations | 2399 |
| 3251. | दार्जिलिंग के प्रतिबन्धन क्षेत्रों में विदेशी राष्ट्रजन | Eoreign Nationals in Restricted Areas of Darjeeling | 2399 |
| 3252. | उड़ीसा में सड़कों और राज्यपथों के लिये ध्यान दिलाना | Allocations for Roads and Highways in Orissa | 2399-2400 |
| 3253. | अंदमान पुलिस कैन्टीन | Andaman Police Canteen | 2400 |
| 3254. | गुजरात तट के चारों ओर तटवर्ती राजपथ | Coastal Highway Around the Coast of Gujarat | 2400 |
| 3255. | शिवप्पा नायक का किला | Fort of Shivappa Nayak | 2400-2401 |
| | आई० ए० सी० आफिस, कनाट प्लेस, दिल्ली का उद्घाटन | Renovation of I.A.C. Office, Conaught Place, New Delhi | 2401-2402 |
| | यूरोपियन मैप वाली पाठ्य पुस्तकें | Text Books Containing Euroneons Maps | 2402 |
| | आधुनिक होटल | Modern Hotels | 2402-2403 |

# लोक-सभा
# LOK SABHA

बुधवार, 6 दिसम्बर, 1967/15 अग्रहायण, 1889 (शक)
**Wednesday, December 6, 1967/Agrahayana 15 1889 (Saka)**

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the chair*]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर
## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

### मणिपुर में राष्ट्रपति का शासन

*481. **श्री श्रीचन्द गोयल:**
**श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :**
**श्री शिवकुमार शास्त्री:**
**श्री रामजी राय :**
**श्री रामावतार शर्मा**
**श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
**डा० सूर्य प्रकाश पुरी :**
**श्री प्रकाशवीर शास्त्री:**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मणिपुर के मुख्य आयुक्त से राष्ट्रपति को प्राप्त हुए प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रपति ने मणिपुर सरकार के कृत्यों को स्वयं सम्भाल लिया है; और

(ख) इस पग के उठाये जाने का औचित्य क्या है?

**श्री विद्याचरण शुक्ल (गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री)**: (क) और (ख) श्री एम० कोयरेंग सिंह के मुख्य मंत्रित्व में मणिपुर में कांग्रेस मंत्रालय ने 4 अक्तूबर, 1967 में त्याग-पत्र दे दिया था। इसलिए मणिपुर की विधान सभा की बैठक, जो 5 अक्तूबर, 1967 को होनी थी, 16 अक्तूबर, 1967 के लिए स्थगित कर दी गई थी। युनाइटेड लेजिसलेचर फ्रंट को जिसने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को शामिल करके 17 सदस्यों के मत का दावा किया था, मंत्रिमंडल बनाने के लिए कहा गया था। श्री लोगजाम थम्बोड़ सिंह के मुख्य मंत्रित्व में फ्रंट मंत्रिमंडल ने 13 अतूबर, 1967 को शासनभार सम्भाल लिया था। मुख्यायुक्त से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस दल ने 14 अक्तूबर

1967 को नए मंत्रिमंडल में अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना दी। विधान सभा ने, जिसकी बैठक 16 अक्तूबर, 1967 को हुई, कांग्रेस दल के नेता को यह प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दे दी। इस प्रस्ताव पर आगे चर्चा के लिए 23 तारीख नियत की गई। इसी बीच पीठासीन अधिकारियों की तालिका के तीन सदस्यों ने अपना त्यागपत्र दे दिया। उपाध्यक्ष ने भी 23 अक्तूबर को प्रातः 10 बजे त्यागपत्र दे दिया। तो भी विधान सभा की बैठक 23 अक्तूबर को हुई और अविश्वास के इस प्रस्ताव पर चर्चा की और इस प्रस्ताव पर आगे विचार करने के लिये सभा 24 तारीख को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई। परन्तु, 24 अक्तूबर को बैठक आरम्भ होने से पहले ही अध्यक्ष ने भी त्यागपत्र दे दिया। जो सदस्य बैठक के लिए सम्वेत हुए थे उन्हें विधान सभा के सचिव ने इस बात की सूचना दी। विधान सभा के कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत विधान सभा को यह छूट थी कि वह बैठक का सभापत्तिव करने के लिए अपने में से किसी एक सदस्य को चुने। परन्तु विधान सभा ऐसा न कर सकी। इस पर प्रशासक ने मुख्य मंत्री से प्रतिपक्षी दल के नेता से भी सलाह ली और उनसे कहा कि वे अपने दल में से किसी एक सदस्य का नाम सुझायें जो कि विधान सभा की बैठक का सभापत्तिव करे। दोनों ने ही कोई नाम सुझाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। अतः विधान सभा 24 तारीख को अपनी बैठक न कर सकी और उस प्रस्ताव पर चर्चा न कर सकी। इसे देखकर विधान सभा का सत्रावसान कर दिया गया। मुख्यायुक्त ने भी रिपोर्ट दी कि कोई भी दल बहुमत का दावा नहीं कर सकता क्योंकि सभी में सदस्यों की संख्या बराबर है। और विधान सभा कार्य नहीं कर सकती। इस तरह ऐसी स्थित पैदा हो गई थी कि जिसमें इस संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन संघ राज्य क्षेत्रों की सरकार अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के अनुसार चल सकता था। इन परिस्थितियों के कारण उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने 25 अक्तूबर 1967 को एक आदेश प्रख्यापित किया कि इस अधिनियम के मंत्रिपरिषद् सम्बन्धी प्रावधानों को और विधान सभा को 6 मास की अवधि के लिए स्थगित किया गया है।

**Shri Shri Chand Goel** : Since press reports have been received that Congress Party has acquired the majority in Manipur Legislative Assembly and has successfully brought back into the party the four-five members who had defected to United Front and efforts ar being made to re-establish a democratic Government there I want to know from the hon. Minister that whether he and the Government are confident that with these four or five members who has re-joined the Congress Party for one or the other reason, a stable Government can be established there particularly when it is a border State and it has been repeatedly complained that hostile Nagas are creating troubles in this region.

**Shri Vidya Charan Shukla** : The Chief Minister of Manipur has claimed that there are 18 members in his party and as the hon-Member has stated it is necessary to see whether at present the Congress party with that strength is in a position to set up a stable Government there

**Shri Raghuvir Singh Shastri** - Who is the Chief Minister of Manipur ?

**Shri Vidya Charan Shukla** : Now there is no Chief Minister.

**Shri Raghuvir Singh Shastri** : You have stated that the Chief Minister.....

**Shri Vidya Charan Shukla** : The earlier Chief Minister has claimed that. At present the Administrator is enquiring that whether it is really in a position to set up a stable Government. When he will be confident of it, a decision would be taken in this regard.

**Shri Shri Chand Goel** : The people all over Manipur had observed strike when the President's rule was imposed there. From this it is obvious that the people support the United

Front. The Chief Commissioner advises the Speaker to summon the Assembly, but since the Speaker in Manipur Assembly has resigned from his office, how the Congress Party would get the Assembly summoned ?

**Shri Vidya Charan Shukla** : The Congress Party has secured the clear majority in Manipur during the recent general elections and it indicates that people of Manipur back the Congress party . The Speaker had resigned because the party's position in the Assembly was such that had he been in office, the position of the party would have been weak there, Moreover the Speaker had not stated any other reason for the resignation.

**Shri Y. S. Kushwah** : Will the Home Minister be pleased to state that whether the step taken to impose President's rule in Manipur was against the spirit of democratic principles and whether the people's representatives there have now demanded the withdrawal of President's rule and setting up of people's Government ?

**Shri Vidya Charan Shukla** : The imposition of President's rule is not against the wishes of people. No party was in a position to set up a stable Government there. Since it has now been claimed again that a particular party is in a position to constitute a stable Government, the affairs are being investigated into. If we are satisfied that they can set up a stable Government there, they will be allowed to do so.

**Shri Raghuvir Singh Shastri** : Manipur is is a small State having a population of of 8 lakh people and the territorial Assembly consists of 32 members. This small Assembly has been prorogued and now you are waiting for a responsible individual or Party. Will the hon. Minister state that whether this incident in Manipur has not made it clear that such small States cannot function particularly in border areas ? Whether you would take serious measures with a view to set up a stable administration there ?

**Shri Vidya Charan Shukla** : As it is known to the hon. Member, such small Union Territories have been constituted under special circumstances. Had there been normal icircumstances, there would have been no necessity to constitute such Union Territories. Only tn view of these circumstances we do not want that democratic Government should not continue o function. That is why the structure of administration there has been based on democratic principles. Certain difficulties are being faced in the functioning of these administration, but these difficulties can be removed in case all the parties act in responsible manners.

**श्री दी० चं० शर्मा** : मणिपुर की जनता का हित, भारत की सुरक्षा और सीमावर्ती इस राज्य का हित किस तरह पूरा होगा -- क्या प्रजातंत्रीय सिद्धान्तों पर बनाई गई सरकार से या राष्ट्रपति का शासन लागू करने से या उन कुछ लोगों से जो कि आये दिन दल बदलते रहते हैं और सत्तारूढ़ दल को शासन से हटा देते हैं ?

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : माननीय सदस्य ने जिन प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है, वे वास्तव में बहुत बुरी हैं। उनसे प्रजातंत्रीय सरकार या संस्थाएँ नहीं चल सकतीं। हमारी तो दृढ़ धारणा है कि जहाँ कहीं भी हो प्रजातंत्रीय ढांचे का प्रशासन स्थापित किया जाये। यही कारण है कि हमने इस जैसे छोटे संघ राज्य क्षेत्र में भी यथासम्भव हर परिस्थिति में प्रजातंत्रीय ढांचा बनाने का प्रयास किया है।

**Shri A. B. Vajpayee** : The incidents in Manipur have made it clear that there the constitutional crisis has arisen because of tendency to cross the floor. When some members had crossed the floor in Haryana Assembly, the Assembly was prorogued, the Government was toppled and President's rule was imposed there. I want to know the reasons for which the Manipur Legislative Assembly was only adjourned and was not prorogued while the circumstances prevailing there were similar to those in Haryana State and the people of Manipur

were not given an opportunity to cast their votes in a mid-term poll to demonstrate their confidence in a particular party?

**Shri Vidya Charan Shukla** : The hon. Member should know that there was great difference between what had happened in Manipur and in Haryana. It happened in Haryana that some Members had crossed the floor several times.....

**Shri A. B. Vajpayee** : The Same thing is happening in Manipur.

**Shri Vidya Charan Shukla** : In this Union Territory Assembly the Members had crossed the floor on two occasions..... (Interruption).

**Shri Kanwar Lal Gupta** : How many times they will cross the floor? What is your standard?

**Shri Vidya Charan Shukla** : It is the question of your discretion.

**Shri Kanwar Lal Gupta** : Please use your discretion and tell how many times you want to do so ?

**Shri Vidya Charan Shukla** : It is the question of circumstances. We think over the the circumstances with our own discretion and we are clear that the situation created in Haryana is entirely different to that arisen in Manipur.

**Shri Madhu Limaye** : It is the only difference that there you have got an opportunity to form your Government.

**श्री इन्द्रजीत गुप्त:** सरकार ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से 6 मास की अवधि बीत जाने के तुरन्त पश्चात् मणिपुर में चुनाव कराने संबंधी कार्यवाही करने के लिए कहने सम्बन्धी क्या कार्यवाही की है ?

**श्री विद्याचरण शुक्ल :** वहाँ के प्रशासक इस बात का पता लगा रहे हैं कि बहुमत किस दल का है। यदि कोई स्पष्ट चित्र समक्ष न आया तो इसकी सूचना वह हमें देंगे और राष्ट्रपति का शासन वहाँ बना रहेगा।

**श्री रंगा :** क्या यह सच नहीं है कि जो कुछ हरयाना में हुआ है मणिपुर में भी हो सकता है ? क्या हम यह समझें कि सरकार दल बदलने की प्रवृत्ति को दो पहलुओं से देखती है। एक वह जहाँ दलबदल कर काँग्रेस का पल्ला भारी हो और दूसरे इसके प्रतिकूल ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** दलबदल प्रवृत्ति किसी भी अवस्था में वाँछनीय नहीं समझी जा सकती।

**श्री कृष्णकुमार चटर्जी :** क्योंकि मणिपुर एक सीमावर्ती क्षेत्र है जहाँ चिरस्थायी सरकार होना आवश्यक है। इसलिये क्या सरकार इसके लिये प्रयत्न करेगी ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** मुख्य प्रश्न किसी दल की सदस्य संख्या से उसका बल आँकने का नहीं है, प्रश्न तो यह है कि क्या वहाँ चिरस्थायी सरकार स्थापित की जा सकती है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ ऐसा हो सकता है अथवा नहीं।

**श्री नाथपाई :** क्या गृह मंत्री यह निर्देश जारी कर सकते हैं कि यदि कोई विधायक दल बदले तो पुन: चुनाव लड़े ?

**श्री चव्हाण :** यदि यह मेरे हाथ में होता तो मैं अवश्य ही ऐसा करता। परन्तु यह अधिकार तो संसद् का है।

**Shri Madhu Limaye** : He is talking about 'Ayaram'.

**श्री चव्हाण :** इस समय सभी दल यह परिपाटी बनाएं कि दल बदलने वाले को चुनाव लड़ना होगा अथवा संसद् द्वारा कानून पास हो।

**एक माननीय सदस्य :** आपको पहल करनी चाहिये।

**श्री चव्हाण :** मैं पहल करने को भी तैयार हूँ परन्तु मणिपुर के मामले में जहाँ कुछ लोगों ने अपने दल बदले हैं हमने इस मामले में कोई दृष्टिकोण नहीं अपनाया है।

**श्री नाथपाई :** फिर आप उन्हें अपने दल में क्यों शामिल कर लेते हैं।?

**श्री चव्हाण :** गृह मंत्री होने के नाते में यह किस प्रकार रोक सकता हूँ। हाँ, काँग्रेस संसदीय बोर्ड का सदस्य होने के नाते मैं अवश्य अपने विचार वहाँ रखूंगा। मैं निःसन्देह कह सकता हूँ कि यह एक बीमारी है जो भारत के राजनैतिक जीवन को आ लगी है।

**श्री नाथपाई :** क्या मंत्री महोदय इस संबंध में जो विधेयक संसद् में लाया जा रहा है उसका समर्थन करेंगे : क्या सरकार उसका समर्थन करेगी ?

**श्री चव्हाण :** प्रश्न किसी विधेयक को मत देने का नहीं है। प्रश्न तो यह है कि क्या सभी दलों के नेता मिल बैठ कर कोई हल निकाल सकते हैं ?

**Shri Ram Sewak Yadav :** Whether it is not a fact that the Home Minister sanctions the strength of The Cabinet in Manipur ?

**Shri Y. B. Chavan :** This is absolutely wrong.

## इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के बाइकाउन्ट विमानों के स्थान पर अन्य विमान चलाना

*482. **श्री रा० बरुआ :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शंकर समिति ने यह सिफारिश की है कि बड़े-बड़े उप-मार्गों पर इंडियन एयर-लाइन्स कारपोरेशन के वाइकाउन्ट विमानों के स्थान पर बी. ए. सी 1–11 विमान चलाये जायें ; और

(ख) क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) :** (क) और (ख) आई० एस० सी० के बाइकाउंट विमान बेड़े को बदलने के प्रश्न पर विचार करने तथा उसके बारे में अपनी सिफारिशें देने के लिए शंकर-समिति नाम की कोई समिति नहीं रही है। परन्तु आई० एस० सी० ने जुलाई, 1967 में वाइकाउंटों की बदली के लिये उपलब्ध विभिन्न प्रकार के विमानों का मूल्यांकन करने के लिये तीन अफसरों का एक दल विदेश भेजा था। इस दल की सिफारिशों के आधार पर आई० ए० सी० ने सरकार को कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे जिससे इस मामले का और अधिक विस्तृत अध्ययन किया जा सके। सरकार ने एयर मार्शल पी० सी० लाल की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ सरकार को अंततः कारवेल विमानों की भी बदली को दृष्टि में रखते हुए तथा मानकीकरण के जहाँ तक वह, निकट भविष्य में अथवा बाद में, संभव हो सके आर्थिक पहलू को भी ध्यान में रखते हुए आई० ए० सी० के विमान बेड़े को बदलने के लिये सबसे उत्तम व्यवस्था के विषय में सलाह देना था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, जिसे दृष्टि में रखते हुए इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन अपने प्रस्तावों पर पुनर्विचार कर रहा है। आई० ए० सी० की अंतिम सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

**श्री रा० बरुआ** : क्या सभी वाइकाउन्ट विमान पुराने हो चुके हैं और लाभप्रद आधार पर उड़ाये नहीं जा सकते और क्या इन विमानों के स्थान पर अन्य किसी प्रकार के विमान रखना व्यवहार्य नहीं है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)**: लाल समिति ने स्पष्ट कहा है कि बाइकाउंट विमान अभी नाकारा नहीं हुए हैं और पाँच वर्ष तक और चलाये जा सकते हैं। परन्तु कई प्रकार के और ऐसे विमान भी उपलब्ध हैं जो कम-खर्च हैं किन्तु इन्हें खरीदने में बहुत अधिक धन व्यय करना होगा। इसलिये इस मामले पर विचार हो रहा है।

**श्री रा० बरुआ**: क्या फाँकर विमानों के लिये, जिन्हें आई० ए० सी० ने खरीदा था, हालैंड सरकार के सहयोग से कोई कारखाना स्थापित करने का सरकार का विचार है ?

**डा० कर्ण सिंह**: मुझे तो केवल एवरो 748 विमान बनाने वाले एक ही कारखाने की जानकारी है।

**श्री गिरिराज शरण सिंह** : या यह सच है कि आई-ए-सी का विमान बदलने का समस्त कार्यक्रम एयर इंडिया द्वारा जम्बो और जैट विमान खरीदने पर निर्भर है, जिसके परिणामस्वरूप 707 जैट विमान आई-ए-सी को प्राप्त हो जायेंगे ?

**डा० कर्ण सिंह** : वास्तव में एयर इंडिया द्वारा जम्बो और जैट खरीदने और आई-ए-सी के कार्यक्रम में कोई सम्बन्ध नहीं है। हम केवल दो जम्बो और जैट ही खरीद रहे हैं और फिर भी कोई 707 जैट विमान आई-ए-सी को देने के लिये फालतू नहीं होगा।

**श्री लीलाधर कडकी**: क्या वाइकाउंट विमानों का स्थान एवरो-748 विमान लेंगे—कार्यक्रम क्या है ?

**डा० कर्ण सिंह** : एवरो-748 विमान डी सी-3 डकोटा विमानों का स्थान लेंगे । दो एवरो विमान हमें प्राप्त हो चुके हैं और 12 के 1970 तक मिल जाने की आशा है। यह दो एवरो 748 विमान छोटे और 40 सीटों वाले हैं।

**श्री सोमानी** : क्या सरकार आगामी किसी ऐसे कार्यक्रम में जहाँ विमानों को बदला जाएगा यह पहलू भी ध्यान में रख जायगा कि दुर्घटनायें, सुरक्षा और लाभ की दृष्टि से नए विमान लाभप्रद हों ?

**डा० कर्ण सिंह** : यह ठीक नहीं है कि एवरो विमानों से हानि हुई है। वे केवल गत 2–3 मास से चालू हैं और इतनी शीघ्र उनसे होने वाले लाभ-हानि के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। माननीय सदस्य ने जो लाभ की दृष्टि में रखने के बारे में कहा है तो भविष्य में ऐसा किया जायगा।

## प्रश्न 488 के बारे में

**(Re: Question 488)**

**श्री सुन्दर सिंह कोठारी**: श्रीमान् प्रश्न 483 के साथ प्रश्न 488 भी ले लिया जाए।

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है।

## नागाओं की विद्रोहात्मक गतिविधियां

*483. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही नागाओं का एक दल प्रशिक्षण पाने तथा शस्त्रास्त्र प्राप्त करने के बाद अक्तूबर 1967 में अखरोल में लौट आया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस दल ने अन्य विद्रोही नागाओं के लिए प्रशिक्षण शिविर स्थापित कर दिए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस दल को समाप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)**: (क), (ख) और (ग) सरकार के पास इस बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं है। फिर भी, सुरक्षा सेना उस क्षेत्र में निगरानी रखे हुए है।

**विद्रोही नागा-मिजो गठजोड़**

*488. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही मिज़ो लोगों के एक वर्ग ने विद्रोही नागाओं के एक उग्रवादी वर्ग के साथ सम्पर्क स्थापित कर रखा है;

(ख) यदि हाँ, तो उनका गठजोड़ किस सीमा तक हो चुका है; और

(ग) इस प्रयास को विफल बनाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

**गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)**: (क) (ख) और (ग) सुरक्षा सेना सतर्क है और वे उचित उपाय कर रहे हैं। सरकार के पास ऐसी जानकारी है जिससे यह संदेह होता है कि सीमा पार जाने और विशेषकर हथियार प्राप्त करने तथा विद्रोही गिरोहों की शरण लेने में सुविधा के लिए गठजोड़ किया गया है।

**Shri Prem Chand Verma** : May I know it from the Minister of Home Affairs that—

(a) whether it is a fact that a group of hostile Nagas after receiving training in China and re-entering India in October have opened three training camps at Akhrol, Mao Sangal (Manipur) and Terencing (Nagaland) and 50 hostile Nagas are receiving training in each camp and if so, the arms in which training is being imparted to them.

(b) whether it is also a fact that the Governments of Nagaland and Manipur have not taken any action to check it ; and

(c) whether the so-called Brig. T. Mui Wok of hostile Nagas who went to China in September for obtaining arms and financial aid, has returned to India ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण**: मैं माननीय सस्दस्य को यह आश्वासन दिलाता हूँ कि विद्रोही नागा और मिजो लोगों के बीच सम्बन्ध तथा नागाओं द्वारा चीनियों के साथ सम्पर्क स्थापित करने के बारे में सरकार के पास काफी जानकारी हैं। यह सच है कि मिजो लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए कुछ प्रशिक्षण केन्द्र मणिपुर क्षेत्र में, मिजो क्षेत्र में, कुछ समय से कार्य कर रहे हैं। मैं सबके नाम यहाँ नहीं बता सकता और नही उनका बताना आवश्यक है। पर जब कभी हमें इस प्रकार की कुछ जानकारी मिली है तभी कुछ कार्यवाही की गई है। कुछ भिड़न्त भी हुई हैं जिनमें दोनों पक्षों को कुछ हानि उठानी पड़ी है।

**Shri Prem Chand Verma** : May I know whether it is a fact that a Nagaland Conference was held at Kohima on 5th December last year and if so, whether the hostile Naga leader Sem Koghato Sokhai Sekaito and Joshehari also participated in it; the names of other leaders who participated in the conference and whether any resolution was also passed in the conference and if so, the details thereof ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** इससे कुछ जानकारी मैं यहाँ नहीं दे सकता। हमारे पास कुछ बातों के सम्बन्ध में जानकारी निश्चित रूप से है परन्तु मैं नहीं समझता कि उसे यहाँ प्रगट करना आवश्यक है। परन्तु एक मूल बात यह है कि जिसे कि सभा जानती है और जिसे मैं सभा से छिपाना भी नहीं चाहता कि नागा लोग चीनियों से सम्पर्क बनाने का निरन्तर प्रयास कर रहे हैं। इस बारे में कोई सन्देह नहीं है। पर और जो जानकारी हमारे पास है मैं समझता हूँ कि उसे प्रगट करना हमारे हित में नहीं होगा।

**श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** काफी लम्बे अरसे से विद्रोही नागाओं और मिज़ो लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने का कार्य सेना के नियंत्रण में रहा है। हमारी सेना ने मोटे तौर पर क्या सामरिक नीति अपनायी है, उन्हें अपने कार्य में क्या असफलतायें और सफलतायें प्राप्त हुई हैं। हमारी क्या कठिनाइयाँ हैं और उन्हें किस प्रकार दूर करने का हमारा विचार है ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** क्या इन सब बातों पर हम संसद में चर्चा कर सकते हैं ?

**श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** उनके सामने क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं ? क्या वे अपनी कार्यवाही पूरी नहीं कर पा रहे हैं ? श्रीमन् यदि इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता तो मुझे दूसरे प्रश्न पूछने दें ?

**अध्यक्ष महोदय :** अब कोई दूसरा प्रश्न नहीं।

**श्री बेदब्रत बरुआ :** ये सहयोग और प्रशिक्षण केन्द्र युद्ध-विराम संधि के अन्तर्गत न लाये जायें। ये गैर-कानूनी कार्यवाहियाँ हैं जिनके लिए सामान्य कानून के अन्तर्गत कठिन दण्ड दिया जा सकता है। क्या यह सामान्य कानून नागा विद्रोहियों की शिविर लगाने, प्रशिक्षण केन्द्र खोलने और अन्य गैर-कानूनी कार्यवाहियों को रोकने के लिये व्यवहार में लाया जायेगा ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** निश्चित ही, यही बात मैंने कही थी। सामान्य कानून का उपयोग किया जायेगा। इनमें से कुछ मामले मिजो क्षेत्र के हैं। उस क्षेत्र में भी जहाँ कि यह कहा जाता है कि युद्ध-विराम हो गया है, हथियार उठाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मणिपुर सरकार की क्षमता सीमित अथवा प्रतिबंधित नहीं है। वे कोई भी कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र हैं और उन्होंने कार्यवाही की भी है।

**श्री समर गुह :** हालाँकि हम नागाओं के मामले में जो चीनियों का हाथ है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, पर दरअसल यह मामला नागाओं व पाकिस्तान और चीन के बीच का है, नागाओं के ढाका होकर पेकिंग जाने के प्रश्न पर हम निरन्तर इस सदन में चर्चा करते रहे हैं। पाकिस्तान, विशेषकर पूर्वी पाकिस्तान का इस मामले में महत्वपूर्ण हाथ रहा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि भारत के आन्तरिक मामलों में पाकिस्तान द्वारा इस प्रकार हस्तक्षेप किए जाने का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में क्यों नहीं उठाया गया ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** इस बारे में कोई सन्देह नहीं कि मिजो लोगों और नागाओं के साथ संपर्क रखने में पाकिस्तान काफी कुछ करता रहा है। पाकिस्तान भारत के साथ जिन सम्बन्धों का दावा करता है यह बात निश्चित ही उसके अनुरूप नहीं है। हमने इस सम्बन्ध में कई विरोधपत्र भेजे हैं।

**श्री समर गुह :** आपने यह बात संयुक्त राष्ट्र संघ में क्यों नहीं उठाई ? माननीय मंत्री मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं ?

**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने उत्तर दे दिया है।

**श्री रूपनाथ ब्रह्मा :** हमारी समझ में यह नहीं आता कि सरकार की सुरक्षात्मक कार्यवाहियों के बावजूद इस प्रकार की बातें किस प्रकार हो जाती हैं। मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उससे यह स्पष्ट है कि नागा विद्रोहियों के पाकिस्तानियों और चीनियों के साथ संपर्क हैं। यह समझ में नहीं आता कि ऐसा किस प्रकार हो पाता है। क्या इसका कारण यह है कि सुरक्षा प्रबन्धों में शिथिलता आ गई है? मैं मंत्री महोदय से इस बात का सीधा उत्तर चाहता हूँ कि क्या सीमा पर सुरक्षात्मक व्यवस्था और मजबूत कर दी गयी है?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** हम इसे रोकने के लिए सभी प्रयत्न कर रहे हैं; पर फिर भी भौगोलिक स्थिति और अन्य कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से हम यह नहीं कह सकते कि हम इन बातों को पूरी तरह रोक पायेंगे।

**Shri Om Prakash Tyagi :** Has the attention of Government been invited to the resolution passed by the tribals of Nagaland to the effect that the people not belonging to Nagaland and carrying on they business there should quit Nagaland as a result of which there is much panic and people have started leaving Nagaland and if so, the steps taken in this regard ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** मुझे इस प्रकार की बात की जानकारी है, पर मुझे विश्वास है कि नागालैण्ड सरकार इस बारे में आवश्यक कार्यवाही करेगी।

**श्री कार्तिक ओराओ :** क्या सरकार नागालैण्ड को भारत का एक उपनिवेश अटूट अंग समझती है? यदि सरकार उसे उपनिवेश समझती है तो उसे अपने हाल पर क्यों नहीं छोड़ देती और यदि भारत का अटूट अंग समझती है तो इसका क्या कारण है कि सरकार उनकी देशद्रोही गतिविधियों को चुपचाप बर्दाश्त करती रही है और उन को अपने नियंत्रण के अधीन लाने में दृढ़ कदम नहीं उठाया?

**श्री यशवन्त राव चव्हाण :** वह भारत का अटूट अंग है और भारत का अंग भारत का उपनिवेश नहीं हो सकता। वे हमारे ही लोग हैं और हमें उनके प्रति अपने ही लोगों के प्रति व्यवहार की तरह व्यवहार करना चाहिए।

**श्री हेम बरुआ :** क्या सरकार यह जानती है कि हाल ही में नागालैण्ड की सीमा पर चीनी सेना का भारी जमाव हो गया है और वे विद्रोही नागाओं की गतिविधियों को तीव्र करने में सहायता के लिए तैयार हैं? इसे देखते हुए ही फीजो ने यह कहा था कि भारत सरकार के साथ असली लड़ाई अब आरम्भ हो रही है। उसने यह भी कहा था कि इस मामले में चीन और पाकिस्तान से सहायता लेने की बात से वह तनिक भी पीछे नहीं हटेगा। अब जब कि इस बारे में कोई सन्देह नहीं रह गया है कि नागा विद्रोहियों का चीन और पाकिस्तान के साथ गठबन्धन है, मैं यह जानना चाहता हूँ कि हमारे शत्रुओं और नागा विद्रोहियों के बीच इस गठबन्धन को तोड़ने के लिए सरकार ने क्या ठोस कार्यवाही की है?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** मैं एक धारणा की सही करना चाहूँगा। चीन और नागालैण्ड की सीमा नहीं मिलती। चीनी सेना का नागालैण्ड सीमा पार कर आने का कोई प्रश्न नहीं है। मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ।

**श्री हेम बरुआ :** आप उसे नागालैण्ड सीमान्त के निकट भारतीय सीमा कह सकते हैं।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : इस बारे में भी मैं यह कह दूं कि उन्हें गलत जानकारी है। चीनी सेना का कोई सवाल नहीं है परन्तु यह एक बात हमें निश्चित ही मालूम पड़ी है और हम उसकी उपेक्षा भी नहीं करेंगे और निरन्तर ध्यान भी रखेंगे कि कुछ लोग सीमा पार कर चीन चले गए हैं; वे उत्तरी बर्मा से होकर चीनी सीमा में पहुँच रहे हैं। हमें उस बारे में कुछ जानकारी है। फीजो ने लन्दन में कोई वक्तव्य दिया है और मैंने वह समाचार पढ़ा है। हमें इन सब बातों का ध्यान रखते हुए यह प्रयत्न करते रहना है कि बातचीत द्वारा हम अपने इन लोगों को भारत को स्वीकार करने के लिये मना लें और उनमें से कुछ ने तो इसे स्वीकार कर लिया है और कुछ ने नहीं। यदि वे स्वीकार नहीं करते तो फिर स्वाभाविक है कि उसके स्थान पर अन्य जो भी कार्यवाही हम कर सकते हैं करेंगे।

**Shri Madhu Limaye** : This question was addressed to the Minister of Food because the letter regarding Apeejay had been received in Food Ministry. Now if Professor Sahib replies this question we will not be able to get answer to any question. I do not understand why Shri Jagjiwan Ram wants to evade this question.

**अध्यक्ष महोदय** : यह सच है कि प्रश्न खाद्य मंत्री को सम्बोधित किया गया था। परन्तु खाद्य मंत्रालय ने इसे परिवहन मंत्रालय को भेज दिया; वह मंत्रालय समझता है यह प्रश्न दूसरे मंत्रालय के अधिक निकट है।

**Shri Madhu Limaye** : Even the previous question was addressed to the Minister of Food. There is a secret in it.

**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। कृपया आप बैठ जाइए। एक मंत्रालय द्वारा दूसरे मंत्रालय को प्रश्न का भेजा जाना कहाँ तक उचित है, इसकी जाँच करना मेरा काम नहीं है। यदि एक मंत्रालय यह समझता है कि वह विषय दूसरे मंत्रालय से अधिक सम्बन्ध रखता है तो वह उसे दूसरे मंत्रालय को भेज सकता है। इसलिये कृपया उन्हें उत्तर देने दीजिए। (व्यवधान)

**श्री नाथ पाई** : अभी हम दल बदल को रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। अतः आप कृपया प्रश्नों के एक मंत्रालय से दूसरे में जाने को रोकिए। (व्यवधान)

**श्री स० मो० बनर्जी** : पीछे भी पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय को सम्बोधित प्रश्न इस्पात मंत्रालय को भेजा गया था जिसके परिणामस्वरूप हमें कोई उत्तर नहीं मिला।

## अपीजे शिपिंग कम्पनी

*484. **श्री श्रीधरण** :
**श्री कामेश्वर सिंह** :
**श्री जी० बा० सिंह** :
**श्री क० ना० तिवारी** :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री 27 जून, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 753 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपीजे शिपिंग कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) से (ग) सरकार को सलाह दी गई है कि जहाँ तक कम्पनी का सम्बन्ध है कोई कानूनी कार्यवाही संभव नहीं है। फिर भी कम्पनी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने का विचार है। इसके लिये कम्पनी

को कारण बताओ सूचना देनी होगी। परन्तु ऐसा करने से पूर्व, कम्पनी द्वारा दी गई लेख याचिका पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करना आवश्यक है।

**श्री श्रीधरन**: बर्मा में हमारे राजदूतावास से अपीजे परिपत्र पत्र के प्राप्त होने के पश्चात् क्या कम्पनी से कोई स्पष्टीकरण माँगा गया था, और यदि नहीं तो क्यों नहीं?

**डा० वी० के० आर० वी० राव**: मेरा विश्वास है कि पिछली चर्चा के दौरान इसका उत्तर दिया गया था। मामला मंत्री स्तर तक नहीं आया था। अवर-सचिव या उप-सचिव के स्तर पर ही इसको निपटा दिया गया था।

**श्री रंगा**: यह सरकार द्वारा निपटाया गया था। इसको किसने निपटाया, इससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है।

**डा० वी० के० आर० वी० राव**: मैं अभी इससे पूरी तरह अवगत नहीं हूँ। 18 अप्रैल, 1962 को रंगून से हमारे खाद्य दूत ने खाद्य मंत्रालय को एक पत्र भेजा था। यह मामला परिवहन मंत्रालय को बिल्कुल नहीं आया। (व्यवधान)

**श्री नम्बियार**: पोल खुल गई।

**Shri Madhu Limaye**: Then why did he took the matter? That is what we object to.

**डा० वी० के० आर० वी० राव**: खाद्य दूत ने एक परिपत्र की प्रति भी भेजी थी, न कि मूल परिपत्र, जिसमें एक अधिकारी ने कम्पनी की ओर से हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि जहाज में आवश्यक निशान वाली खाली बोरियाँ रख दी जायें ताकि मात्रा कम हो जाने से होने वाली हानि को अच्छी तरह निपटाया जा सके। खाद्य दूत ने भी कुछ कार्यवाही की थी। वह उस रीटा नाम के जहाज़ पर गए और उन्होंने 133 बोरियों पर उन अधिकारियों की मुहर देखी जिनसे चावल खरीदा गया था। शीघ्र ही उन्होंने यह जानकारी भेज भी दी। अवर सचिव या उप-सचिव ने तुरन्त मद्रास के स्थानीय खाद्य नियंत्रक को लिखा कि रंगून से कोचीन को एक जहाज आ रहा है जिसमें कुछ खाली बोरियाँ हैं और हो सकता है धोखा देने का प्रयत्न किया जाये और इसे रोकने के लिये सभी संभव उपाय किए जायें। इसी आशय के पत्र बम्बई और कलकत्ता के खाद्य अधिकारियों को भी भेजे गये थे। इस अनुदेश का पालन किया गया था। उस जहाज पर कोई धोखेबाजी नहीं हुई और उन बोरियों के कारण चावल की मात्रा में कोई कमी नहीं हुई। मामला वहीं रुक गया और मंत्री के पास नहीं आया। जहाँ तक विशिष्ट प्रश्न का सम्बन्ध है खाद्य मंत्रालय या अन्य किसी द्वारा सुरेन्द्र ओवरसीज़ को कोई नोटिस नहीं दिया गया था।

**श्री श्रीधरन**: क्यों नहीं?

**डा० वी० के० आर० वी० राव**: इस विषय की फाइल में जो कुछ लिखा है उसके बाहर इस प्रश्न का उत्तर मेरे लिये देना संभव नहीं है।

**Shri Madhu Limaye**: He should be removed from the Cabinet and Secretry brought in his place to answer the question.

**डा० वी० के० आर० वी० राव**: दुर्भाग्य से मैं निर्वाचित सदस्य हूँ मेरा सचिव नहीं है मेरा. . . .

**Shri Madhu Limaye**: Then he should come prepared. We are not bothered about the Secretary.

**अध्यक्ष महोदय :** यदि प्रश्न का उत्तर संतोषजनक नहीं है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ ?

**Shri Madhu Limaye :** This matter is pending for the last two years. You should discipline them.

**श्री इन्द्रजीत गुप्त:** यह सभा का अपमान है।

**श्री नम्बियार:** मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्नकाल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता।

**श्री श्रीधरन:** मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिये। स्पष्टीकरण क्यों नहीं माँगा गया ? इसके पीछे काफी षड्यंत्र रचा गया है। श्री एस० के० पाटिल इसमें अन्तर्ग्रस्त हैं पैट्टिकोट सिंडीकेट के उच्च पुरोहित इसमें फंसे हुए हैं।

**अध्यक्ष महोदय:** श्री जि० ब० सिंह।

**श्री श्रीधरन:** मुझे अभी अपना दूसरा प्रश्न पूछना है।

**अध्यक्ष महोदय:** मैं समझा कि आपने सिंडीकेट के बारे में अपना दूसरा प्रश्न पूछ लिया है। (व्यवधान)। विदेशों के माननीय मंत्री भी हमें देख रहे हैं, इसलिये बहुत सारे माननीय सदस्यों का एक साथ खड़ा होना शोभा नहीं देता।

**Shri Madhu Limaye :** They should feel ashamed for not giving proper reply.

**श्री स० कुण्डू:** श्रीमन्, आप उनका नाम क्यों नहीं लेते।

**अध्यक्ष महोदय:** क्या आप सब कृपया बैठ जायेंगे ? (व्यवधान)।

मैं श्री मधुलिमये से सहमत नहीं हूँ और वास्तव में उनसे कोई भी सहमत नहीं होगा।

**Shri Madhu Limaye :** I take exception to it. I again insist that they should feel ashame

**डा० वी० के० आर० वी० राव:** प्रश्न यह था कि जब मंत्रालय को इसकी जानकारी मिल गई थी तो उसने सम्बन्धित कम्पनी को उसी समय नोटिस क्यों नहीं दिया। इसका उत्तर यह है कि मैं खाद्य मंत्रालय से पूछताछ करके जानकारी दे दूंगा। (व्यवधान)।

**Mr. Speaker :** He has said that he would reply after making enquiry from Food Ministry.

**श्री श्रीधरन:** क्या यह सच है कि खाद्य के महानिदेशक और खाद्य निगम में सतर्कता अधिकारी ने धोखा देने के प्रयास सम्बन्धी फाइल को देखने के बाद यह जानने की कोशिश नहीं की कि क्या फर्म को कालीसूची में रखने तथा उनके विरुद्ध दांडिक कार्यवाही करने के लिये कोई कार्यवाही की गई थी और क्या इस मामले में विधि मंत्रालय तथा महाधिवक्ता की राय तथा केन्द्रीय जाँच विभाग की सहायता भी प्राप्त की गई थी ? यदि नहीं तो क्या कारण थे ?

**डा० वी० के० आर० वी० राव:** जब यह प्रश्न सभा में 1966 में उठाया गया था और मेरा विचार है कि इस कम्पनी द्वारा भेजे गए परिपत्र की एक प्रति पटल पर रखी गई थी तो उस समय ये सारे प्रश्न उठे थे और मेरी स्मरणशक्ति मेरा साथ दे रही है तो मेरे माननीय मित्र ने जो प्रश्न उठाया है वह भी वही है। हमने महाधिवक्ता तथा अन्य विधि अधिकारियों से परामर्श नहीं किया था। पत्र की प्रति मिलते ही हमने इस विषय पर विधि मंत्रालय से यह जानने के लिये परामर्श किया था कि क्या किया जाना चाहिये। जैसा कि सभा को याद होगा, मैंने वाद-विवाद में भाग भी लिया था। विधि मंत्रालय की सलाह, जो मैंने देखी थी, यह थी कि

आप इस प्रकार से कम्पनी पर मुकदमा नहीं चला सकते जब तक कि आप पत्र की मूल प्रति प्राप्त नहीं करते और यह प्रमाणित नहीं करते कि यह पत्र कम्पनी की प्रेरणा पर लिखा गया था। मैं सभा को बताना चाहता हूँ कि इसके अगले दिन मुझे कम्पनी से तार द्वारा एक संदेश प्राप्त हुआ कि वह इस परिपत्र के जारी होने के लिये उत्तरदायी नहीं है और उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के पहिले इस बात को ध्यान में रखना चाहिये। मैंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। दुर्भाग्यवश कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया जा सका क्योंकि उस समय कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक मामला विचाराधीन था और मेरा विचार है कि लोहा और इस्पात नियंत्रक ने प्रतिबन्ध लगा दिया है।

**Shri Madhu Limaye** : You are trying to mislead the House. There is no case pending in Calcutta High Court about rise import.

**डा० वी० के० आर० वी० राव** : मैं मिथ्या वक्तव्य देने का आदी नहीं हूँ।

**Shri Madhu Limaye** : Mr Speaker, no enquiry is being held about Appejay Shipping Company in Calcutta.

**डा० वी० के० आर० वी० राव** : चर्चा के दौरान यह प्रश्न भी उठाया गया था । दुर्भाग्यवश सुरेन्द्र ओवरसीज़ कम्पनी एक संयुक्त कम्पनी है और ये सब इस सौदे के विभिन्न भाग अथवा पहलू हैं। आप इन्हें अलग-अलग नहीं कर सकते।

**श्री मधुलिमये** : नहीं।

**डा० वी० के० आर० वी० राव** : यह विधि मंत्रालय की सलाह थी। हमें विधि मंत्रालय ने यह सलाह दी थी कि हम न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करें। वस्तुतः हम यह चाहते थे कि हम श्री मधु लिमये के कथन के आधार पर कलकत्ता उच्च न्यायालय से अनुमति लें क्योंकि मुझे भी यह बात उचित मालूम हुई कि दो बातों को क्यों मिलाया जाय और चावल के प्रश्न पर क्यों न कार्यवाही की जाय। हम यह चाहते थे कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाय कि प्रतिबन्ध आदेश के होते हुए भी इस कम्पनी को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाय। फिर कलकत्ता के हमारे वकीलों ने हमें यह सलाह दी, जिसका बाद में विधि मंत्रालय ने अनुमोदन भी किया, कि हमारे लिये यह अच्छा होगा कि हम उस समय तक प्रतीक्षा करें जब तक कि इस प्रश्न का फैसला न हो जाय। इस प्रश्न का फैसला अगस्त में होने वाला था और वाद-विवाद जुलाई के अन्त में हुआ। यह मामला 7 अगस्त तक निपट गया था परन्तु दुर्भाग्यवश फैसला रोक लिया गया है और अभी तक नहीं दिया गया है।

विशेष व्यक्ति के बारे में खाद्य मंत्रालय कार्यवाही कर रहा है। वस्तुतः खाद्य मंत्री ने इस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की है। उसे गिरफ्तार किया गया था, एक गोदाम पर छापा मारा गया था, कागजात पकड़े गए थे और इस अधिकारी को जमानत पर छोड़ दिया गया है। खाद्य मंत्रालय मुकदमा चलाने की कार्यवाही कर रहा है।

जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है जैसे ही उच्च न्यायालय फैसला देगा जिससे हम कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र हो जायेंगे हम इस कम्पनी को एक कारण बताओ नोटिस देंगे कि उसे, जहाँ तक परिवहन का सम्बन्ध है और आगे सरकारी कार्य का देना क्यों न बंद कर दिया जाय।

**Shri Kameshwar Singh** : Was the report called for from the Director of Ports and Depots, Cochin only after the receipt of the circular letter from our Embassy at Rangoon ?

In case, it is true what are the findings of the Director and the action taken by Government thereon ?

**डा० वी० के० आर० वी० राव** : जहाँ तक मुझे पता है कोचीन पत्तन द्वारा ऐसी कोई जाँच नहीं की गई। मंत्रालय इस बारे में संतुष्ट नहीं था कि घोखाधड़ी की कोई बात नहीं हुई है। चेतावनी को ध्यान में रखा गया था और उसके अनुसार काम किया गया था।

**Shri Madhu Limaye** : Mr Speaker, the hon. Minister just told that as soon as this circular was received in the Food Ministry, action was taken at the level of Deputy Secretay and this matter was not taken up at the level of Ministers. Would he reply in explicit terms whether the Food Minister had seen this file as also the circular in which an attempt was made to cheat the Government and even after seeing the file the Minister in the Food Ministry did not take any action in this regard? I would also like to add that Shri Jagjiwan Ram had given an assurance in April that Government is filing a case against this company and the Regional Food Director even filed the case. Now you are saying that we have been advised that a case cannot be filed. May I know the exact position in the matter ?

**डा० वी० के० आर० वी० राव** : पहिले प्रश्न के बारे में तो मुझे वही उत्तर दुहराना होगा जो मैंने पहिले दिया है। मुझे यह मामला खाद्य मंत्रालय के पास भेजना पड़ेगा और वहाँ से उत्तर प्राप्त करना होगा।

**Shri Madhu Limaye** : This House has become a mockery. This is not the way to reply.

**डा० वी० के० आर० वी० राव**. सभा मेरी बात सुनने का कष्ट करे। मैं, मेरे पास जो जानकारी है, उसी के आधार पर उत्तर दे सकता हूँ। यदि और अधिक जानकारी चाहिये, तो मुझे और समय देना पड़ेगा।

खाद्य मंत्रालय द्वारा मुकदमा चलाये जाने तथा मेरे कथनों आदि के बारे में माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि ये दो भिन्न-भिन्न बातें हैं। खाद्य मंत्रालय इस अधिकारी पर मुकदमा चला रहा है। इसीलिये तो मैंने कहा था कि इस अधिकारी के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया गया है। उसे गिरफ्तार किया गया था, किसी गोदाम की तलाशी ली गई थी और इस अधिकारी को जमानत पर छोड़ दिया गया था। यह मामला न्यायालय में चल रहा है।

जहाँ तक परिवहन मंत्रालय का सम्बन्ध है, इस कम्पनी को सरकारी कार्य देना बन्द करने से पहिले हमारे लिये एक 'कारण बताओ' नौटिस देना आवश्यक है और ऐसा करने से पहिले हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम या तो विशेष अपील के द्वारा अथवा प्रतिबन्ध के बारे में फैसला प्राप्त करके कलकत्ता उच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त करें।

**Shri Madhu Limaye** : Mr. Speaker, You may kindly allow one hour discussion on this question under Rule 193 because we have not received replies to any of our questions .

**अध्यक्ष महोदय** : वह सभा में नहीं दी जाती। यदि लिखित रूप में प्रार्थना आयेगी तो, उसपर विचार किया जायेगा ?

## अल्प सूचना प्रश्न के बारे में

**अध्यक्ष महोदय** : अब हम अल्प सूचना प्रश्न लेंगे।

श्री सरजू पाण्डेय। वह उपस्थित नहीं है।

कल भी ऐसा ही हुआ था। अल्प सूचना प्रश्न की सूचना दी जाती है। मंत्रालय उसे स्वीकार भी कर लेता है परन्तु जो सदस्य यह अल्प सूचना प्रश्न देता है वह उस दिन सभा में उपस्थित नहीं होते।

**श्री हेम बरुआ**: उन सदस्यों द्वारा, जो हमेशा सभा में उपस्थित रहते हैं, दिये गए अल्प सूचना प्रश्नों को स्वीकार नहीं किया जाता।

**अध्यक्ष महोदय**: यह मेरे हाथ की बात नहीं है।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

### बर्मा से चावल का आयात

*485. **श्री मधु लिमये**: क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यहबतानें की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1961–62 में बर्मा से चावल मंगाने के लिये किसी नौवहन फर्म को ठेका देने के लिये टेंडर माँगे गए थे;

(ख) क्या इस मामले में परिवहन मंत्रालय की राय भी पूछी गयी थी; और

(ग) यदि हाँ, तो उस मंत्रालय ने क्या सिफारिश की थी?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)**: (क) से (ग) 1961 में और 1962 में बर्मा से चावल लाने के लिये ठेका देने के हेतु कोई टेंडर नहीं माँगे गए थे। प्रथा तो यह थी कि नौवहन महा-निदेशक, खाद्य महा-निदेशक तथा भारतीय जहाज मालिकों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके भाड़े की दर तथा अन्य शर्तें तय की जाती थीं। 1961 में सरकार ने चावल लाने के लिये उसी दर और शर्तों पर चावल लाने की पेशकश भी करने का निश्चय किया था जो 1960 में तय की गई थी। नियर ट्रेड काँफ्रेंस की पाँच सदस्यीय कम्पनियों ने, जो यह माल लाती रही थीं, इन शर्तों को मंजूर करने से इंकार कर दिया और उन्होंने यह आग्रह किया कि दरों में संशोधन किया जाये केवल तभी वे चावल लाने के लिये जहाज बुक करने को सहमत होंगे। तीन अन्य भारतीय जहाजरानी कम्पनियाँ अर्थात् सुरेन्द्र ओवरसीज़ लिमिटेड, गिल अमीन स्टीमशिप कम्पनी लिमिटेड तथा ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन सरकार द्वारा पेश की गई शर्तों पर सामान लाने को तथापि तैयार थीं। तदनुसार खाद्य तथा कृषि मंत्रालय और परिवहन तथा संचार मंत्रालय ने आपस में सलाह मशविरा करके यह निर्णय किया कि 1961 में चावल लाने के लिये इन तीनों जहाजरानी कम्पनियों को ठेका दिया जाये।

जहाँ तक 1962 में चावल लाने का सम्बन्ध था नियरट्रेड काँफ्रेंस की सदस्य कम्पनियों ने यह कहा कि वे कान्फ्रेंस के बाहर वालों के समान काम करने को तैयार हैं तथा 1961 के लिये निर्धारित भाड़े की दर और शर्तों को स्वीकार करने को तैयार हैं। तदनुसार 1962 में सामान लाने का ठेका, कान्फ्रेंस की सदस्य कम्पनियों को एवं कांफ्रेंस के बाहर की तीन कम्पनियों को अर्थात् सुरेन्द्र ओवरसीज़ लिमिटेड, शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया और रतनाकार शिपिंग को दिया गया था।

**जम्मू तथा काश्मीर सरकार द्वारा ऋण की अदायगी**

*486. **श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और काश्मीर सरकार ने मार्च, 1964 से अक्तूबर 1967 के अन्त तक ऋण की कितनी राशि लौटा दी है ; और

(ख) इसपर कितना ब्याज दिया गया है ?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) :** (क) और (ख) : महा लेखापाल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जम्मू और काश्मीर सरकार ने मार्च 1964 से अक्तूबर 1967 की अवधि के दौरान भारत सरकार को निम्न राशि लौटाई थी :—

(एक) मूलधन 18,42,61,791 रुपए

(दो) ब्याज 5,26,19,574 रुपये

**लक्कदीव द्वीपसमूह**

*487. **श्री शिव चंद्र झा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब से केन्द्रीय सरकार द्वारा लक-दीव, मिनिकाय तथा अमीन-दीव द्वीप समूह का प्रशासन अपने हाथ में लिया गया है तब से वहाँ प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है तथा उद्योगों और कृषि का किंचित भी विकास नहीं हुआ है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरन शुक्ल) :** (क) जी, नहीं। 1956 में जब से ये महाद्वीप संघ राज्यक्षेत्र में मिलाये गए हैं कृषि और उद्योग सम्मेत के विभिन्न विकास क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई है और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि प्रति व्यक्ति 1956 में 90.14 रुपए से बढ़कर 1966 में 273.98 रुपए हो गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**Anti-National Activities of Political Parties in Assam, Nagaland & West Bengal.**

489. **Shri Shiv Kumar Shastri :** **Dr. Surya Prakash Puri :**
**Shri Ram Avtar Sharma :** **Shri Ramji Ram :**
**Shri Prakash Vir Shasri :** **Shri Raghuvir Singh Shastri :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether some politicians and political organisations in Assam, Nagaland and West Bengal have started negotiations with the armed rebels of those areas openly ; and

(b) whether Government have tried to ascertain the possibilities of some foreign power working behind these threats ?

**The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) :** (a) and (b) Government are not aware of any negotiations between some politicians and political organisations and armed rebels in Assam, or Nagaland or West Bengal. The Government are, however, aware of the contacts between Naga and Mizo Hostiles and some foreign countries.

**कोंकण राज्य की माँग**

*490. **श्री देवराव पाटिल :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्बन्धित लोगों ने एक अलग कोंकण राज्य बनाये जाने की माँग की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस माँग का आधार क्या है ?

**गृह-कार्य मंत्री श्री यशवन्त राव चव्हाण** : (क) सरकार से ऐसी कोई माँग नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**Secessionist Tendencies in Various States**

491. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the secessionist tendencies are on the increase in various States ; and

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government in the matter ?

**The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan)** : (a) The Government are aware of the persistence of secessionist activities in some parts of the country.

(b) The Unlawful Activities (Prevention) Bill 1967, when enacted, will also provide for more effective prevention of secessionist activities.

**Governor of Nagaland**

492. **Shri Jagannath Rao Joshi** : **Shri N. S. Sharma** :
**Shri Sharda Nand** : **Shri A. B. Vajpayee** :
**Shri Jageshwar Yadav** :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Nagaland has made a demand that a separate Governor should be appointed for that State ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

**The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan)** :

(a) Yes, Sir.

(b) The question is under consideration.

**राज्यपालों का सम्मेलन**

*493. **श्री ईश्वर रेड्डी** : **श्री शिवकुमार शास्त्री** :
**श्री रामावतार शर्मा** : **श्री रामजी राम** :
**श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : **श्री हरदयाल देवगुण** :
**श्री मरण्डी** : **श्री वीरेश्वर कलिता** :
**श्री स० च० बेसरा** : **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** :
**श्री यशपाल सिंह** :

क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में हाल में हुए राज्य पालों के सम्मेलन में किन किन विषयों पर विचार विमर्श किया गया था; और

(ख) उसमें क्या क्या निर्णय किये गये ?

**गृह-काय मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) और (ख) राज्यपालों का सम्मेलन देश के सामान्य हित के विषयों पर चर्चा करने के लिये हर वर्ष दिल्ली में होता है। सम्मेलन में कोई

औपचारिक निर्णय नहीं किए जाते हैं। पिछले सम्मेलन में राज्यपालों को राज्यों की राजनीतिक तथा प्रशासनिक स्थिति तथा विशेषकर कृषि उत्पादन के संदर्भ में देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा की थी।

**Drenging in River Hooghly**

494. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) Whether Government have drawn up any scheme to keep the river Hooghly navigable throught the year ;

(b) whether government have received the dredgers of modern type for dredging it ; and

(c) the purpose for which the silt taken out of the river is being used ?

**The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao)** : (a) A regular programme exists for keeping the river Hooghly navigable throughout the year. This programme envisages the dredging of the bars numbering 15 in the river route from the Sandheads to the port, execution of river training works in the difficult reaches to improve the flow conditions, and the restoration of perennial headwater supply by the construction of a barrage across the Ganga at Farakka.

A separate Department has been set up by the Calcutta Port Commissioners to deal with the matters concerning the hydraulic problems of the river Hooghly which includes supply of technical data and notes on the best mehtod of training the river in the difficult reaches and sustaining an effective dredging programme. This Department conducts experiments with the models of the river Hooghly at the Central Water and Power Research Station, Poona, for carrying out river training works.

(b) The Calcutta Port Commissioners maintain a large fleet of dredgers for dredging the bars in the navigable channel and dredging the berths and lock entrances in the port. The recent additions to the fleet are provided with modern dredgets and appliances and one of these dredgers was specially suited for dredging in the estuary in all weather conditions.

(c) The silt dredged with the help of bucket dredgers and grab dredgers, which work in the port proper, is used to reclaiming land. A large area of land in the King Georges Dock area has thus been reclaimed and given out on lease.

The various bars in the navigable channel of the river are dredged with the help of suction dredgers and the dredged material composed of silt in suspension is discharged into the river in areas known as *cul-de-sac* where accretion is needed. It is considered an expansive proposition to use this dredged material for reclaiming low lying land.

**दिल्ली में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक-करण**

*496. **श्री मयावन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिये एक कार्यकारी आदेश जारी किया जाये;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सुझाव पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया था तथा इसके लिये कानून बनाना आवश्यक समझा गया था। इसलिये दिल्ली में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के सम्बन्ध में विधेयक दिल्ली महानगर परिषद् के समक्ष रखा गया था। परिषद् ने अपनी 19 अक्तूबर, 1967 की बैठक में विधेयक की सिफारिश की थी। विधेयक में उसका विस्तार ऐसे सभी अन्य राज्यक्षेत्रों में जहां कानूनी तौर पर पृथक्करण नहीं है, करने के लिये संशोधन किया गया है तथा जैसे ही विधेयक को अन्तिम रूप दिया जायेगा कानून बनाने का विचार है।

**केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति की रक्षा**

*497. **श्री कंवर लाल गुप्त :** **श्री रा० की० अमीन :**
**श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता चला है कि राज्य सरकारें आवश्यकता पड़ने पर केन्द्रीय सरकार की सम्पत्तियों और संस्थानों की रक्षा के लिए पुलिस की व्यवस्था नहीं करतीं, जिसके परिणामस्वरूप विमान तथा रेल सेवाएं अस्त-व्यस्त हो जाती हैं और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में काम बन्द हो जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से लिखा-पढ़ी की है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके सम्बन्ध में राज्य सरकारों की यदि कोई प्रतिक्रिया हुई है, तो क्या ?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों से कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करने के लिये कहा गया है ताकि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा न पड़े। उनसे संसद् द्वारा बनाये गए कानूनों तथा राज्यों में लागू होने वाले किन्हीं वर्तमान कानूनों का पालन करने का भी अनुरोध किया गया है।

**पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा के सीमा क्षेत्रों में पाकिस्तानियों की घुसपैठ**

499. **श्री समर गुह** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर तथा नवम्बर, 1967 में पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा सीमा-क्षेत्रों में पाकिस्तानी लोग अनेक बार घुस आये थे और क्या ऐसी घुसपैठ को रोकने के लिये भारतीय सीमा सेना को हस्तक्षेप करना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो कब और कहां कहां इस प्रकार से घुसपैठ की गई और उनका ब्यौरा क्या है और भारत तथा पाकिस्तान की ओर के कितने-कितने व्यक्ति हताहत हुए थे ।

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में पाकिस्तानी सरकार को कोई विरोध पत्र भेजा है और सीमाओं पर पाकिस्तानियों द्वारा की जाने वाली इस प्रकार की घुसपैठ न होने देने के सम्बन्ध में कोई संयुक्त उपाय करने का सुझाव दिया गया है, और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) अक्तूबर में 7 और नवम्बर में 6 ऐसी घटनायें हुई थीं जिनमें पाकिस्तानी नागरिक पश्चिम बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर भारतीय

राज्यक्षेत्र में घुस आये थे। त्रिपुरा में अक्तूबर में 4 और नवम्बर में 3 ऐसी घटनायें हुई थीं। ऐसी अधिकांश घटनाओं में घुसपैठियों को सीमा सुरक्षा दल तथा ग्राम प्रतिरक्षा दलों द्वारा रोका गया था और उनके प्रयत्नों को विफल कर दिया गया था।

(ख) जिन घुसपैठों का उपर्युक्त भाग (क) में उल्लेख किया गया है उनमें से अधिकांश मामलों में मामूली से अपराध किए गए थे। पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा दल द्वारा घुसपैठियों को रोकते समय तीन घुसपैठिये मारे गए थे। भारत की ओर एक व्यक्ति मारा गया था तथा तीन हताहत हुए थे। त्रिपुरा में सीमा सुरक्षा दल तथा पड़ताल सैनिकों के साथ लड़ते-लड़ते पाँच पाकिस्तानी घुसपैठिये मारे गए थे।

(ग) सभी मामलों में पाकिस्तान को विरोध पत्र भेजा गया था तथा प्रत्येक विरोध-पत्र में और समय-समय पर होने वाली सीमा बैठकों में पाकिस्तानी अधिकारियों से प्रार्थना की गई थी कि वह सीमा क्षेत्रों में अपराधी तत्त्वों को रोके तथा ऐसी घटनाओं को पुनः न होने दे।

(घ) विरोध-पत्रों का उत्तर आने तथा सीमा बैठकों के परिणामों के उपयोगी सिद्ध होने की सम्भावना है।

**नई दिल्ली में कनाट सर्कस में गुण्डों द्वारा आक्रमण**

*500. **श्री बलराज मधोक :** क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि 22 अक्तूबर, 1967 को कनाट सर्कस में बहुत से गुण्डों ने मकान पर आक्रमण कर उनको लूटा था?

(ख) क्या यह भी सच है कि पुलिस आधे घण्टे से अधिक समय तक वहाँ नहीं पहुँची;

(ग) क्या यह भी सच है कि हाल के कुछ महीनों में दिल्ली में गुण्डा-गर्दी सामान्य रूप से बढ़ रही है और;

(घ) यदि हाँ, तो दिल्ली में शान्ति तथा व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल):** (क) कनाट सर्कस की दो फर्मों के बीच दुकानों के बाहर साइन बोर्ड लगाने के सम्बन्ध में झगड़ा हुआ था। ऐसा बताया जाता कि 22 अक्तूबर, 1967 को सायंकाल कुछ गुण्डों ने साथ वाली दुकान से सोडावाटर की बोतलें उठा कर ऐसे कुछ व्यक्तियों पर फेंकी थीं जो अपनी दुकान के बाहर साइनबोर्ड लगा रहे थे। इससे दोनों फर्मों के प्रदर्शन कक्षों के शीशे टूट गए थे परन्तु किसी व्यक्ति को चोट नहीं आई। पुलिस ने दंगे के दो मामलों और सोडावाटर की बोतलें चुराने का एक मामला दर्ज कर लिया है।

(ख) यह घटना अचानक हो गई थी। परन्तु दुर्भाग्यवश दुर्घटना के समय पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन का स्टेशन हाउस अधिकारी तथा सम्बन्धित कांस्टेबिल दोनों राउंड पर गए हुए थे तथा वे नहीं मिल सके। कंट्रोल रूम की गाड़ी के घटनास्थल पर पहुँचने में अत्यधिक देरी हो गई थी जो खेदजनक है। देरी के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जा रही है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। यह कहना ठीक नहीं है कि दिल्ली में अराजकता है। सरकार की जानकारी के अनुसार अपराध नियंत्रण में है। दूसरे, प्रशासन द्वारा अपराध की स्थिति का समय-समय पर पुनर्विलोकन किया जाता है तथा कानून और व्यवस्था में सुधार करने के लिये उचित कार्यवाही की जाती है।

**सरकारी कर्मचारियों के संघों को मान्यता देना**

*501. **श्री स० मो० बनर्जी:**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न सरकारी कर्मचारी संघों को मान्यता देने में विलम्ब किया जा रहा है, क्योंकि नए नियम अभी तक नहीं बनाये गए हैं,

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या नियमों को अन्तिम रूप देने से पहले सरकार का विचार कर्मचारी संघों के साथ विचार-विमर्श करने का है?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामस्वामी):** (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये संयुक्त सलाहकार व्यवस्था तथा अनिवार्य मध्यस्थ निर्णय सम्बन्धी योजना प्रयोगात्मक अवधि के लिये आरम्भ की गई है तथा सरकारी कर्मचारियों के संगठनों तथा संघों को मान्यता देने के लिये औपचारिक नियम बनाने के प्रश्न पर यथासमय विचार किया जायेगा।

**Crimes Committed by Pakistanis on Indian Border Districts of West Bengal**

502. **Shri Lakhan Lal Kapoor** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the armed plunderers, murderers and dacoits of East Pakistan are a source of great harassment to the rural people of Chapra, Islampur, Goalpokhar, Chaklia and Karnadigdhi Thanas of West Bengal, situated along the border ;

(b) whether it is also a fact that the Central Border Security Force is doing little to check their activities ; and

(c) if so, the reassons therefor ?

**The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan)** :

(a) No, Sir. There have, however, been some cases of heinous crimes in the Thanas of Chopra, Islampur, Goalpukhar, Chakulia and Karandighi this year, in which the complicity of East Pakistani criminals is suspected.

(b) and (c) No, Sir, The Border Security Force have been maintaining strict vigilance and are carrying out regular patrolling in the area. In a number of cases, criminals have been intercepted and stolen property recovered.

**मिजो पहाड़ियाँ**

*505. **श्री यज्ञदत्त शर्मा:** **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :**

**श्री के० पी० सिंह देव :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मिजो विद्रोहियों द्वारा उत्पन्न किए गए वर्तमान संकट को समाप्त करने के लिये मिजो पहाड़ियों का नियंत्रण सेना को सौंपने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो अन्तिम निर्णय कब तक किए जाने की सम्भावना है?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**पाकिस्तानियों द्वारा आसाम पुलिस के एक असिस्टेन्ट सब-इन्सपेक्टर का अपहरण**

*506. **श्री यशपाल सिंह:**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 18 नवम्बर, 1967 को ग्वालपाड़ा जिले के चार क्षेत्र से आसाम सरकार की पुलिस के एक असिस्टेन्ट सब-इंस्पेक्टर के अपहरण के बारे में पाकिस्तान सरकार से उत्तर प्राप्त हो गया है,

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उन्होंने इस अधिकारी को रिहा कर दिया है?

**गृहकार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

**क्षेत्रीय परिषदें**

*507. **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षेत्रीय परिषदों को पुनः सक्रिय बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल):** (क) और ख) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 में निहित इन परिषदों की योजना अनुसार क्षेत्रीय परिषदें कार्य कर रही हैं और सामान्य हितों के मामलों को निपटाने में सक्रिय भाग ले रही हैं। परिषदों की और अधिक बैठकें करने का विचार है।

**तिरुप डिविजन में अत्यावश्यक वस्तुओं की कमी**

*508. **श्री कामेश्वर सिंह :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अत्यावश्यक वस्तुओं की अत्यधिक कमी के कारण तिरुप डिवीजन में नागरिकों तथा शांति बनाये रखने वालों सैनिकों को हो रही कठिनाई की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) जी, हाँ। इस प्रकार के समाचार मिले थे कि तिरप जिले में नामपोंग, वुजयनगर, चांगलांग, खोंसा, लोंगडुंग, पांचेन और नयौसा जैसे कुछ स्थानों पर वर्षा ऋतु में अत्यावश्यक वस्तुओं की कमी होगई थी। इसका कारण नेफा में भारी वर्षा के परिणामस्वरूप संचार साधनों का अस्त-व्यस्त हो जाना था।

(ख) नेफा प्रशासन ने उन स्थानों पर, जहाँ सड़कों के द्वारा नहीं पहुँचा जा सकता था, विमानों द्वारा अत्यावश्यक सामान भेजने के लिये तत्काल कार्यवाही की। जहाँ पर सड़क मार्ग उपलब्ध था, वहाँ राशन ले जाने के लिये विभागीय मोटर गाड़ियों का फौरन उपयोग किया गया। आडू धान की खेतों की कटाई शुरू हो जाने से अब स्थिति सामान्य हो गई है और नवम्बर से किसी भी स्थान से कमी का कोई समाचार नहीं मिला है।

**राजस्थान के राज्यपाल तथा स्थल सेनाध्यक्ष की हत्या का कथित प्रयास**

*509. **श्री रवि राय :** **श्री बलराज माधोक :**

**श्री कंवर लाल गुप्त :** **श्री बेणी शंकर शर्मा :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या एक साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित समाचार के बारे में राजस्थान सरकार के एक प्रवक्ता द्वारा व्यक्त की गई इस राय की उन्हें जानकारी है कि सितम्बर, 1967 के अन्तिम सप्ताह में जब राजस्थान के राज्यपाल तथा सेनाध्यक्ष राजस्थान के सीमा-क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे, तो कुछ पाकिस्तानी लोग उनकी हत्या करने का प्रयास कर रहे थे ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) जी, हाँ।

(ख) राजस्थान सरकार द्वारा जारी किए गए दिनांक 14 नवम्बर, 1967 के प्रेस नोट के अंतर्गत उद्धरणों की एक प्रति जिसमें आवश्यक ब्यौरा दिया गया है, सभा पटल पर रख दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1880/67**]

**सी० आई० ए० एजेण्ट स्मिथ के वक्तव्य**

*510. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री स० मो० बनर्जी :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सी. आई. ए. के भूतपूर्व एजेन्ट मि. जान स्मिथ ने सोवियत समाचार पत्र में प्रकाशित अपने लेख में गंभीर रहस्यों का उद्घाटन किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने अपने लेख में कहा है कि अप्रैल, 1955 में "काश्मीर प्रिंसेज" विमान दुर्घटना सी. आई. ए. द्वारा तोड़-फोड़ की कार्यवाही का परिणाम थी ;

(ग) क्या इन वक्तव्यों के बारे में सरकार द्वारा कोई जाँच की गई है अथवा की जा रही है ; और

(घ) किस तरीके से सच्चाई का पता लगाने का सरकार का विचार है ?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) मि० जान स्मिथ द्वारा लिखित तीन लेख, जो "लिटरा टुरनाया गजेटा" में प्रकाशित हुए हैं और जिनमें भारत में सी० आई० ए० की कार्यवाहियों का उल्लेख किया गया है, सरकार के ध्यान में आये हैं ?

(ख) जी, हाँ।

(ग) और (घ) जहाँ तक "काश्मीर प्रिंसेस" के दुर्घटनाग्रस्त होने का सम्बन्ध है इंडोनेशिया की सरकार ने जिसके जल प्रांगण में यह दुर्घटना हुई थी, जाँच आयोग नियुक्त किया था जिसका प्रतिवेदन भारत सरकार को विधिवत प्राप्त हो गया था। इस प्रतिवेदन की प्रतियाँ 26 दिसम्बर, 1955 को संसद पुस्तकालय को भेजी गई थीं।

जहाँ तक अन्य मामलों का सम्बन्ध है, मैं 20 नवम्बर, 1967 को सभा में पहिले ही एक वक्तव्य दे चुका हूँ।

**Grants to Hindi Institutions in Bihar**

3090. **Shri Ram Avtar Shastri** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Central Government give annual grants to the Hindi institutions *in* Bihar ;

(b) if so, the names and addresses of these institutions and the amount of grant paid to each, separately during 1965-66, 1966-67, and 1967-68 ; and

(c) the basis on which grants are being paid to these Hindi institutions ?

**The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh)** : (a) to (c) Grants to Voluntary Hindi Organisations are given mainly for propagation of Hindi in non-Hindi speaking States. Grants to Hindi Institutions located in Hindi-speaking States are given only for implementation of specific Schemes relating to development of the language. In Bihar, grants totalling Rs. 55,800. were given to the Bihar Rashtrabhasha Parishad, Patna in 1961-62, 1963-64 and 1964-65 under the Scheme of Preparation, Translation and Publication of Standard Works of University level in Hindi. No grants were given during the years 1965-66, 1966-67 and 1967-68 as the grants released earlier have not so far been fully utilized. The grant is given on 100 % basis at the rates approved under the scheme.

**उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथ**

3093. **श्री सरजू पाण्डे:** क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर, 1967 को उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजपथ कुल कितने मीलों में थे, और

(ख) प्रत्येक राजपथ का नाम तथा लम्बाई कितनी है ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन):** (क) 1455 मील।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1881/67]:**

**Arrest of Two Pakistanis in Bombay**

3094. **Shri Hukam Chand Kachwai : Shri R. S. Vidyarthi :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that two Pakistani nationals with arms were arrested in Bombay recently ;

(b) if so, the particulars of arms recovered from them and the action taken against them; and

(c) the period for which the aforesaid Pakistani nationals had been staying in India ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :**

(a) Yes, Sir.

(b) Two pistols and 10 cartridges. Both the persons are being prosecuted under the Arms Act and the Indian Passport Act and the the rules framed thereunder.

(c) About three months.

**पुरावशेषों का निर्यात**

3095. **श्री म० ला० सोंधी:** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन दुर्लभ पुरावशेषों की कुछ वस्तुओं को वापस लाने का कोई प्रस्ताव है जो अनुचित ढंग से विदेशों में पहुँच गई हैं,

(ख) यदि हाँ, तो वे पुरावशेष किस किस्म के हैं तथा उन्हें किन-किन देशों से वापस लाने का विचार है; और

(ग) क्या बहुमूल्य वस्तुओं को देश के विभिन्न संग्रहालयों से एक स्थान पर केन्द्रित करने का कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन है?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह):**

(क) और (ख) जो पुरावशेष अनुचित तरीके से विदेश चले गए हैं और जो सरकार के ध्यान में आये हैं उन्हें वापस लाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

**बंबई-कांडला विमान सेवा**

3096. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा:** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के अहमदाबाद को बगैर छुए बंबई और कांडला के बीच विमान सेवा चालू करने के निर्णय से गुजरात में बड़ा भारी रोष फैला है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की इस विषय में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध म कोई विरोध सूचक ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(घ) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने इस मार्ग पर यातायात का संभावित परिमाण मालूम करने के लिये कोई यातायात सर्वेक्षण किया था;

(ङ) यदि हाँ तो सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है; और

(च) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की नयी शीतकालीन अनुसूची में अहमदाबाद को छोड़ देने के क्या कारण हैं?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह):**

(क): 16.11.67 से बम्बई-कांडला विमान सेवा सप्ताह में चार दिन अहमदाबाद से होकर परिचालित होती है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) और (ङ) आई० ए० सी० ने कोई विस्तृत यातायात सर्वेक्षण करना आवश्यक नहीं समझा। मौजूदा सेवा का औचित्य स्थापित करने के लिये पर्याप्त यातायात है।

(क) शीतकालीन अनुसूची में अहमदाबाद को छोड़ा नहीं गया।

## बेगमपेट हवाई अड्डे के लिए सीधी संयोजक सड़क

3097. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हैदराबाद में बेगमपेट हवाई अड्डे पर आने वाले लोगों को हाल ही में किए गए धावन पथ के विस्तार के कारण लम्बे और चक्करदार रास्ते से आने में होने वाली असुविधा और कठिनाई के बारे में मालूम है;

(ख) क्या सरकार का धावन पथ के समानान्तर एक सीधी संयोजक सड़क बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार का इस मामले में क्या-क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)**: (क) धावन पथ के और अधिक लम्बे बनाये जाने के कारण सड़क को मोड़ना पड़ा। इससे शहर तक की दूरी चार मील और बढ़ गयी है।

(ख) और (ग) मुख्य धावन पथ के दक्षिण में एक नए टर्मिनल क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। इसके लिए एक नया पहुँच मार्ग होगा जिससे तै की जाने वाली दूरी कम हो जायेगी।

## National Highways in Maharashtra

3098. **Shri D. S. Patil** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) the total mileage of national highways in Maharashtra on the 31st October, 1967 ; and

(b) the names of these national highways ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan)** : (a) 1487 miles.

(b) A statement, giving the required information, is laid on the Table of the House [**(Placed in Library See no. LT-1882/67**[.

## द्वारिका मन्दिर का परिरक्षण

3099. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वारिका स्थित भगवान कृष्ण के मन्दिर के परिरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ मरम्मत हाल ही में आरम्भ की गई थी किन्तु उसे बाद में छोड़ दिया गया था;

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं

(घ) क्या यह भी सच है कि कुछ प्राइवेट पार्टियों ने मन्दिर की मरम्मत की पेशकश की थी;

(ङ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उस पेशकश को स्वीकार न किए जाने के क्या कारण हैं;

(च) क्या प्रधान मंत्री की हाल ही की द्वारका यात्रा के दौरान उन्हें इस संबंध में कोई ज्ञापन दया गिया था; और

(छ) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाई करने का प्रस्ताव है?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह):**

(क) वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान मन्दिर की अविलम्ब मरम्मत आरम्भ करने के लिये कदम उठाए गए हैं–

(ख) से (ङ) गुजरात के स्वर्गीय मुख्य मंत्री ने 1965 में सुझाव दिया था कि मन्दिर को केन्द्रीय संरक्षण से मुक्त कर दिया जाए ताकि उसकी मरम्मत प्राइवेट पार्टी द्वारा की जा सके। गुजरात सरकार ने मन्दिर का केन्द्रीय सरकार के संरक्षण से मुक्त कराने के स्वर्गीय मुख्य मंत्री के प्रस्ताव को वापस ले लिया था और इच्छा प्रकट की थी कि पुरातत्त्व सर्वेक्षण मन्दिर की आवश्यक मरम्मत करे। सर्वेक्षण ने वर्तमान वित्त वर्ष में किए जाने के लिए कुछ अत्यावश्यक मरम्मत प्रारम्भ की है और इस महत्वपूर्ण स्मारक की अन्य मरम्मतों के लिए विस्तृत तखमीने भी तैयार किए हैं।

(च) जी हाँ।

(छ) स्मारक को संरक्षित स्मारकों की केन्द्रीय सूची में रखने और धन की उपलब्धता के अनुसार उसकी आवश्यक मरम्मत कराने का अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है।

**राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में शराब की दुकान**

3100. **श्री मयावन**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मसूरी स्थित राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के निदेशक ने इस अकादमी के परिसर में शराब की दुकान खोलने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसपर क्या निर्णय किया गया है?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**महाराष्ट्र में पर्यटन केन्द्र**

3101. **श्री कृ० मा० कौशिक:** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में जिले-वार पर्यटन केन्द्रों की संख्याएं क्या हैं

(ख) इनमें से प्रत्येक केन्द्र का पर्यटक आकर्षण क्या है ;

(ग) क्या सरकार महाराष्ट्र में ऐसे केन्द्रों की संख्या बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(घ) क्या सरकार का चन्दा जिले के राजपुरा तालुका स्थित मानकगढ़ को उन केन्द्रों में सम्मिलित करने का विचार है क्योंकि यहाँ प्राकृतिक सुन्दरता से घिरा हुआ एक ऐतिहासिक किला है?

**पर्यटन तथा असैनिक उडडयन मंत्री (डा० कर्णसिंह):**

(क) से (ग) एक विवरण सलग्न है जिसमें उन शहरों व केन्द्रों की सूची दी गयी है जहाँ कि केन्द्रीय व राज्य सरकारों द्वारा दूसरी और तीसरी योजनाओं की अवधियों के दौरान

सुविधाएँ प्रदान की गयीं और जहाँ चौथी योजना की अवधि के दौरान सुविधाएँ प्रदान करने का प्रस्ताव है [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०** 1883/67]

(घ) जी, नहीं।

**भारत-कनाडा संस्थान**

3102. **श्री श्रीनिवास मिश्र :** **श्री रा० बरुआ :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केनेडा की ओर से श्री शास्त्री के नाम से कोई भारत-कनाडा संस्थान खोलने का प्रस्ताव है और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

**शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :**

(क) कनाडा सरकार का मेकगिल विश्वविद्यालय, मान्ट्रेयल में 'शास्त्री भारत-कनाडा संस्थान' नामक एक संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(ख) प्रस्तावित संस्थान के मुख्य कार्य निम्नांकित हैं:

(i) संस्थान द्वारा प्रदान की गई छात्रवृत्तियों तथा अधिछात्रवृत्तियों की मदद से और कनाडा के विश्वविद्यालयों और कालेजों के चुने हुए विद्वानों और विद्यार्थियों द्वारा भारत में मानव-विद्याओं और सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्रों में किए गए अध्ययनों के जरिए भारत संबंधी ज्ञान और सदभावना को बढ़ावा तथा प्रोत्साहन देना,

(ii) भारत अध्ययन संबंधी "पीठ" स्थापित करने के लिए कैनाडा के विश्वविद्यालयों और कालेजों को प्रोत्साहित करना और,

(iii) भारत संबंधी पुस्तकालय सामग्री प्राप्त करना और उसे केनेडा के विश्वविद्यालयों और कैनेडा के राष्ट्रीय पुस्तकालय को उपलब्ध करना।

संस्थान भारत में शाखा कार्यालय स्थापित कर सकता है। इसके मामले, दो सलाहकार परिषदों की मदद से, एक कनाडा में और दूसरा भारत में, एक बोर्ड द्वारा संचालित होंगे।

संस्थान का भारतीय मुद्रा में खर्च, केनेडा के विदेशी सहायता कार्यक्रम से एकत्रित रुपए के केनेडा के अंश से तथा संस्थान का डालर खर्च केनेडा और गैर-भारतीय संसाधनों से पूरा किया जाएगा।

**Left Communists in West Bengal**

3103. **Shri Ramji Ram** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of West Bengal had sometime ago apprised the Central Government of the incidents of looting etc. by the left Communists in West Bengal ;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether any directions were issued by the Centre to the State Government to take any action against them in this connection ; and

(d) if so, the details thereof ?

**The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan)** : (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

**Law and order Situation**

3104. **Shri D. N. Patodia** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the Central Government receives weekly reports from the State Governments regarding the law and order situation ;

(b) if so, whether it is a fact that such reports were also received from the Government of Rajasthan in respect of the period covering the 7th March, 1967 when the Police resorted to firing in Jaipur ;

(c) what are the contents of the report ; and

(d) the particular reasons given in the report for resorting to Police firing on the 7th March in Johribazar, Jaipur city and how many deaths were mentioned in the report ?

**The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan)** : (a), No Sir.

(b) to (d) Do not arise.

**पश्चिम बंगाल विधान सभा में पेश किये जाने वाले विधेयकों के प्रारूप**

3105. **डा० रानेन सेन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल विधान सभा में पेश किए जाने वाले कुछ विधेयकों के प्रारूप राष्ट्रपति की अनुमति के लिये केन्द्रीय सरकार के पास भेजे गए हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है और उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल नैमित्तिक श्रमिक (विनियमन तथा उत्पादन) विधेयक का प्रारूप जो जून, 1967 में राज्य सरकार द्वारा भेजा गया था, राज्य सरकार की सहमति से स्थायी श्रम समिति को निर्देशित किया गया था। विधेयक पर केन्द्रीय सरकार के विचार स्थायी श्रम समिति की सिफारिशों के प्राप्त होने के बाद निश्चित किए जायेंगे।

**नक्सलबाड़ी**

3106. **श्री श्रीधरन**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क क्या यह सच है कि चीन ने नैपाली साम्यवादी नेताओं के माध्यम से नक्सलबाड़ी के विद्रोहियों की सहायता की थी ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जाँच की गई है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)**: (क) सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तथापि पेकिंग रेडियो नक्सलबाड़ी क्षेत्र में उग्रवादियों द्वारा चलाये गए आन्दोलन को प्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन दे रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

**भारत और अमरीका के बीच जहाज भाड़े की दरें**

3107. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कॉफ्रेंस लाइनों ने भारत और अमरीका के बीच भाड़े की दरें पुनः कम से कम 7½ प्रशिशत बढ़ा दी हैं जो स्वेज नहर के पुनः खोल दिए जाने के बाद तुरन्त लागू कर दी जायेंगी

(ख) यदि हाँ, तो इस वृद्धि तथा इसके लिये भारत सरकार की सहमति के क्या विशेष कारण हैं और

(ग) हमारे आयात और निर्यात व्यापार को अधिक प्रतियोगी बनाने के हेतु जहाज भाड़े की दरों को घटाकर औसत अन्तर्राष्ट्रीय दर के बराबर लाने के लिये क्या प्रयास किए गए थे अथवा किए जा रहे हैं ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अधिक असंगत और भेदभावपूर्ण दरों सम्बन्धी समस्त समस्याओं को हल करने के लिये जिनके कारण हमारे निर्यात व्यापार में बाधा पहुँच रही है, भारत सरकार ने नौवहन महा-निदेशालय के एक भाग के रूप में भाड़ा जाँच विभाग नामक एक विशेष संगठन स्थापित किया है। इस विभाग ने दरों के समंजन के लिये एक प्रक्रिया निकाली है और जहाजों पर काम करने वाले व्यक्तियों और जहाज मालिकों ने इस प्रक्रिया को सामान्यतया स्वीकार कर लिया है। जहाज कर्मचारियों की शिकायतों की जब भी वे प्राप्त होती हैं, इस विभाग द्वारा जाँच की जाती है और सम्बन्धित नौवहन सम्मेलनों में इन शिकायतों को ठीक प्रकार से उठाया जाता है। यह विभाग बहुत से मामलों में दरों में समंजन प्राप्त कराने में सहायक रहा है। नौवहन सम्मेलनों को इस बात के लिये भी प्रेरित किया गया है कि उचित मामलों में अच्छी दरों का उल्लेख किया जाय। उन्होंने वस्तुतः इस्पात की ट्यूबों, हल्की इंजीनियरी के माल, बिजली के सामान आदि जैसी निर्यात की अनेक नयी वस्तुओं के बारे में भाड़े की दरें कम कर दी हैं।

भारत सरकार ने जहाज कर्मचारियों और जहाज मालिकों के बीच विचार विमर्श के लिये एक नया सभा स्थान भी तैयार किया है। इस समय तीन क्षेत्रीय जहाज कर्मचारी संस्थायें हैं और राष्ट्रीय स्तर पर एक अखिल भारतीय जहाज कर्मचारी परिषद है। अखिल भारतीय जहाज कर्मचारी परिषद ने भारतीय जहाज मालिकों के साथ सम्पर्क समितियाँ तथा भारत के निर्यात व्यापार में लगे नौवहन सम्मेलन किये हैं। इस विचार विमर्श व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य जहाज कर्मचारियों और जहाज मालिकों को एक दूसरे के नजदीक लाना है ताकि भाड़ा दर की एक नीति बनायी जा सके जो भारत की विशेष आवश्यकताओं के लिये उपयुक्त हो और भारत के विदेश व्यापार के सफल संचालन में बाधा डालने वाली नौवहन सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

**आई० ए०सी० का विमान बेड़ा**

3108. **श्री रा० बरुआ** : **श्री मधुलिमये** :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आई० ए० सी० और एयर इंडिया विमान-बेड़ों में विस्तार करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसपर अनुमानतः कितना खर्च होगा?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह):**

(क) और (ख) एयर इंडिया ने 768.75 लाख रुपए की लागत के एक बोइंग-707-320 सी विमान का क्रय आदेश दिया है जिसकी डिलीवरी अगस्त, 1968 में होने की आशा है। एयर इंडिया 48.20 करोड़ रुपए की कुल पूंजी लागत पर दो बोइंग 747 (जम्बो जेट) विमानों की खरीद के बारे में भी बातचीत कर रहा है।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, कानपुर का फालतू पुर्जों व फालतू इंजनों की लागत सहित 14.24 करोड़ रुपए की कुल लागत के 14 एच-एस-748 विमानों की खरीद के आर्डर दिए हैं। इनमें से दो विमान कारपोरेशन तो पहले ही दिए जा चुके हैं। सात और विमानों के मार्च, 1969 तक मिल जाने की आशा है। शेष पाँच विमानों की डिलीवरी मार्च, 1970 तक पूरी कर ली जायगी।

**एलैक्जेंडर मोमोट का निष्कासन**

3109. **जार्ज फरनेंडीज:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 अगस्त, 1967 के बम्बई के "करेन्ट" साप्ताहिक में एक अमरीकी नागरिक, श्री एलेक्जेंडर ई० मोमोट के निष्कासन के मामले सम्बन्धी समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो श्री मोमोट के विरुद्ध किन परिस्थितियों में निष्कासन की कार्यवाही की गई थी?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :** (क) जी, हाँ।

(ख) यह मामला बम्बई नगर की दीवानी अदालत में लम्बित है और अतः यह निर्णयाधीन है।

**नाटीकल एन्ड इंजीनियरिंग कालेज में प्रतिरक्षा पाठ्यक्रम**

3110. **श्री चन्द्र शेखर :**

क्या **परिवाहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि लाल बहादुर शास्त्री नॉटीकल एण्ड इंजीनियरिंग कालेज में मर्चेन्ट नौसेना के अधिकारियों के लिए प्रतिरक्षा पाठ्यक्रमों का आयोजन करने की योजना की क्रियान्वित संतोषजनक ढंग से नहीं हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस योजना को सफल बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

**गैर सरकारी क्षेत्र में बन्दूकें बनाने के कारखाने**

3111. **श्री बाबूराव पटेल :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में गैर-सरकारी क्षेत्र में बन्दूकें बनाने के कारखानों के लिये लाइसेंस देने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो कब; और

(ग यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)**: (क) से (ग) जैसा कि माननीय सदस्य को उनके द्वारा 29 नवम्बर 1967 को इस सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2212 के उत्तर में सूचित किया जा चुका है, 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसरण में भारत सरकार और सरकारी क्षेत्र में हथियार तथा गोला-बारूद बनाने के लिये कोई नए लाइसेंस जारी नहीं कर रही है सिवाय हवाई राइफल्स/हवाई बन्दूकों तथा परकसन कैप्स के जिन्हें इस समय इस नीति के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है।

**एलप्पी बन्दरगाह**

3112. **क० प्र० सिंह देव :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि एलप्पी पत्तन के लगभग 200 श्रमिक हड़ताल पर हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) जी, नहीं। अब नहीं हैं।

(ख) इस हड़ताल का, जो 2 नवम्बर से 10 नवम्बर, 1967 तक रही, कारण श्रमिकों द्वारा अपनी वर्तमान मजूरियों में 50 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने की माँग थी।

(ग) बड़े पत्तनों को छोड़कर अन्य पत्तनों की कार्यकारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है, राज्य पत्तन अधिकारी ने बताया है कि 10 नवम्बर, 1967 को आयोजित औद्योगिक सम्बन्ध समिति की एक बैठक में समझौता हो गया और हड़ताल खत्म हो गई।

**मनीपुर में नागाओं द्वारा युद्ध-विराम समझौते का उल्लंघन**

3113. **श्री म० ला० सोंथी :** **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छिपे नागाओं ने, उनके साथ 13 अगस्त, 1964 से हुए युद्ध विराम समझौते का मनीपुर में घुसकर कितने बार उल्लंघन किया है;

(ख) तब से कुल कितनी मुठभेड़ें हुई हैं; और भारत की ओर के कितने व्यक्ति मरे हैं; और

(ग) भविष्य में युद्धविराम रेखा का उल्लंघन न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) और (ग) मनीपुर में छिपे नागाओं के केवल प्रवेश मात्र से ही युद्ध-विराम (ससपेंशन आफ आपरेशन्स) समझौते का, जो 6 सितम्बर, 1964 से लागू हुआ है, उल्लंघन नहीं हो जाता।

(ख) ऐसी 108 मुठभेड़ों में सुरक्षा बल के 52 कर्मचारी मारे गए थे।

**Jagat Guru's Visit to Kashmir**

3114. **Shri Onkar Lal Berwa :** **Shri Ram Gopal Shalwale :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state whether it is a fact that the Jagat Guru Shankaracharya who wanted to visit Kashmir recently was refused entry by the Jammu and Kashmir Government ?

**The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) :** Government of Jammu and Kashmir have intimated that the Jagat Guru Shankaracharya did not seek permission to visit Jammu and Kashmir. The question of refusing permission does not therefore arise.

**सार्वजनिक दंगों का सामना करना**

3115. **श्री समर गुह :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल में गैर-कानूनी गतिविधियों के बढ़ जाने को दृष्टि में रखते हुए, क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्यों के गृह-कार्य मंत्रियों के परामर्श से कोई उपाय निकालने का है जिससे सार्वजनिक दंगों का सामना करने में कम से कम व्यक्ति हताहत हों ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरणशुक्ल) :** ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

**वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद में सम्बद्ध झगड़े**

3116. **डा० रानेन सेन :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों के दो दलों में काफी समय से आपस में झगड़े खड़े हो गए हैं जिन्हें संबंधित अधिकारी समाप्त नहीं कर सके हैं; और

(ख) यदि ऐसा है तो झगड़े किस प्रकार के थे और उन्हें समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाए गए ?

**शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :** (क) हमें किसी भी झगड़े की जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**केरल पुलिस आवास योजना**

3117. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** **श्री अ० कु० गोपालन :**
**श्री चक्रपाणि :** **श्री प० गोपालन :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में पुलिस आवास योजना को शामिल करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को कोई अभ्यावेदन भेजा है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों पर विचार किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :** (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

## जर्मनी के छापे खाने

3118. **श्री रामकृष्ण गुप्त**: क्या शिक्षा मंत्री 21 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न सं० 3198 को दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस करार को अन्तिम रूप दे दिया गया है जिसमें सस्ती पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशनार्थ पश्चिम जर्मनी की सरकार तीन छापेखानों को उपहार रूप में दे रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो करार के मदों के ब्यौरे क्या हैं?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद)**: (क) जी हाँ। इस करार पर 27 नवम्बर, 1967 को हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) करार की प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 1884/67]**

## लक्कदीव समूह

3119. **श्री शिवचन्द्र झा**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंचवर्षीय योजनाओं में लक्कदीव, मिनीकॉय तथा अमनदीव द्वीप समूहों में प्रति व्यक्ति आय में हुई दर, उद्योगों तथा कृषि के विकास तथा शिक्षा एवं समाज कल्याण कार्यों में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन द्वीप समूहों के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि नियत की गई है?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)**:

(क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1885/67]**।

(ख) 226.40 लाख रुपए (अस्थायी तौर पर)।

## Kidnapping of Clergymen By Mizo Rebels

3120. **Dr. Surya Prakash Puri:**
**Shri Shiv Kumar Shastri:**
**Shri Ram Avtar Sharma:**
**Shri Dhireshwar Kalita:**
**Shri Parkash Vir Shastri:**
**Shri Ramji Ram:**
**Shri Y. S. Kushwah:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Mizo rebels kidnapped five clergymen recently;

(b) whether it is also a fact that these clergymen refused to speak out anything regarding the rebels at the time of their offering prayers in the church; and

(c) if so, whether these clergymen have been brought back or not?

**The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan)**: (a) to (c) Information is being obtained from the State Government and will be laid on the table of the House.

**नागालैण्ड द्वारा अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करना**

3121. **श्री मधुलिमये:** **श्री कृष्ण मूर्ति:**
**श्री वेदव्रत वरुआ:**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि नागालैण्ड राज्य ने अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल):** (क) इस विषय पर नागालैण्ड विधान सभा द्वारा पारित संख्या की एक प्रति राज्य ने भेजी है।

(ख) इस मामले पर राज्य विधान सभा निर्णय ले सकती है।

**नागरिकों को सैनिक प्रशिक्षण**

3122. **श्री रणधीर सिंह:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आपात की स्थिति के लिये तैयार रहने हेतु सीमावर्ती राज्यों में समर्थ शरीर वाले नागरिकों को थोड़ी अवधि का प्रशिक्षण देने तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों को सरकारी खर्च पर हथियार देने तथा हथियार रखने के लाइसेंस उदारतापूर्वक देने की किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल):** (क) और (ख) जी, नहीं। लेकिन वर्ष 1954 में लोकसभा में पारित एक संकल्प के अनुसरण में भारत सरकार ने राज्य सरकारों का सहयोग प्राप्त कर एक योजना चालू की है जिसका नाम 'नागरिक राइफल प्रशिक्षण योजना' है और इस के अन्तर्गत देश भर के नागरिकों को हथियार चलाने, उनका रख-रखाव आदि के बारे में प्रशिक्षण की सुविधाएँ दी गई हैं। इस योजना के मूल उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

(क) राष्ट्र के नवयुवकों को निशानेबाजी में प्रशिक्षित करना।

(ख) स्वस्थ स्पोर्ट को प्रोत्साहन देना तथा नागरिकों को आत्म-रक्षा के लिये तैयार करना; और

(ग) राष्ट्रीय रक्षा में भाग लेने की भावना डालना।

इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

(क) पुलिस प्रशिक्षकों द्वारा पुलिस स्टेशनों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(ख) सदस्य को 3 रुपए का नाम मात्र का प्रवेशशुल्क देना पड़ता है और एक बार में प्रयुक्त गोला-बारूद के लिये 1 आना देना पड़ता है; और

(ग) प्रशिक्षण कार्य के लिये सरकार ने सदस्यों को 122 राइफिल्स उपलब्ध करवाई हैं।

**चलचित्रों के इश्तहारों तथा विज्ञापनों का सेंसर**

3123. **श्री राम कृष्ण गुप्त:**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अश्लील तथा भद्दे चलचित्रों के इश्तहारों तथा विज्ञापनों पर क्या कोई प्रतिबन्ध

(ख) यदि हाँ, तो क्या चलचित्रों के इश्तहारों तथा विज्ञापनों की सामग्री की जाँच करने का कोई प्रस्ताव है?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल):** (क) अश्लील विज्ञापनों का प्रकाशन तथा प्रदर्शन और अश्लील इश्तहारों का वितरण, सार्वजनिक प्रदर्शन अथवा परिचालन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

(ख) जी नहीं। चलचित्र इश्तहार सिनिमेटोग्राफ अधिनियम 1952 तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के क्षेत्राधिकार में नहीं आते। तथापि उन इश्तहारों की जाँच करने के लिये जो प्रदर्शन से पहले स्वैच्छिक आधार पर उसके पास भेजे जाते हैं, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक फिल्म प्रचार समिति बनाई है जिसके सदस्य केन्द्रीय फिल्म सेंसर्स बोर्ड के सभापति तथा चलचित्र उद्योग के प्रतिनिधि हैं। भारत सरकार ने राज्य सरकारों का ध्यान दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 142 की ओर दिलाया है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक प्रदर्शित विज्ञापन को अन्य बातों के साथ अश्लीलता की दृष्टि से आयुक्त की स्वीकृति के लिये भेजना पड़ता है। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे भद्दे तथा अश्लील इश्तहारों तथा विज्ञापनों पर नियंत्रण रखने के लिये म्युनिसिपल उप-नियमों में ऐसी ही व्यवस्था शामिल करने के प्रश्न पर विचार करें।

**भारतीय तथा पाकिस्तानी सीमा सुरक्षा दलों के अधिकारियों की बैठक**

3124. **श्री मयावन:**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि तस्कर-व्यापार तथा अन्तर्राज्य अपराधों को रोकने के लिये 5 नवम्बर, 1967 को वाघा में भारतीय सीमा सुरक्षा दल तथा पाकिस्तान सीमा सुरक्षा दल के उच्च अधिकारियों ने विचार-विमर्श किया था;

(ख) यदि हाँ, तो इस बैठक में किन-किन मुख्य विषयों पर बातचीत हुई थी;

(ग) इस वार्ता का क्या परिणाम निकला; और

(घ) उसमें क्या-क्या निर्णय किए गये?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण):** (क) भारतीय सीमा सुरक्षा दल तथा पाकिस्तान रेंजर्स के वरिष्ठ अधिकारियों की तस्कर व्यापार तथा अन्तर्राज्यीय अपराधों को रोकने के उपायों पर विचार-विमर्श करने के लिये 4 नवम्बर, 1967 को (5 नवम्बर, 1967 को नहीं) वाघा में बैठक हुई थी।

(ख) जिन मुख्य विषयों पर विचार-विमर्श किया गया वे इस प्रकार हैं—तस्करी ढोरों के उठाये जाने गलती से अनजाने में सीमा पार किये जाने की समस्याएं, कच्छ के रन में गश्ती, सीमा के भारत की ओर हुस्सेनवाला में तथा सीमा के पाकिस्तान की ओर जस्सर में एक मीनार का निर्माण आदि।

(ग) और (घ) तस्कर व्यापार, घुसपैठ तथा अन्तर्सीमा, अपराधों को रोकने में प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष को पूरा-पूरा सहयोग देगा।

**वैज्ञानिकों की बैठक**

3125. **श्री मरंडी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में वैज्ञानिकों की कोई बैठक हुई थी और उसमें प्रधान मंत्री ने भी भाग लिया था; और

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा हुई और उनपर क्या निर्णय किए गए ?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद)** :

(क) जी हां।

(ख) जिन प्रमुख विषयों पर चर्चा की कई उनमें निम्नलिखित विषय शामिल थे :—

( i ) विज्ञान शिक्षा ;

( ii ) विज्ञान को लोकप्रिय बनाना और वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास ;

(iii ) सर्वव्यापी माध्यम का उपयोग

( iv) विज्ञान शिक्षा और भाषाएं

( v ) विश्वविद्यालयों और प्रयोगशालाओं में बिज्ञान शिक्षण

(vi) योग्य व्यक्तियों का बाहर जाना ;

(vii) विज्ञान का आयोजन ;

(क) विज्ञान नीति और विज्ञान के लिए बजट ;

(ख) राष्ट्रीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ;

(ग) राष्ट्रीय विज्ञान और टेक्नोलोजी अकादमी ;

(घ) विज्ञान प्रशासन का नया पहलू ;

(ङ) विश्वविद्यालय

(viii) अनुसंधान और टेक्नोलोजी का आयोजन और उपयोग ।

सम्मेलन अनौपचारिक था और उसका उद्देश्य आमंत्रित वैज्ञानिको और टेकनोलोजीविदों के बीच विचारों का आदान-प्रदान था ।

**Accident to I.A.C. Dakota Near Calcutta in June, 1967**

3126. **Shri R. S. Vidyarthi** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7424 on the 1st August, 1967 and state :

(a) whether the enquiry into the accident to the I.A.C. Dakota near Calcutta on the 4th June, 1967, has since been completed ; and

(b) if so, the details thereof ?

**The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh)**: (a) Yes, Sir.

(b) The investigation conducted by a Board of Inquiry set up by the Indian Airlines Corporation has confirmed that the Dakota aircraft unexpectedly encountered turbulent weather

over Ishwardi (East Pakistan) and was tossed about in the air for a few minutes. Prompt action was taken by the Pilot to warn the passengers and by the Flight Steward to help them. Two passengers and three members of the crew, however, sustained minor injuries and some passengers' baggage thrown about.

**Bridges in Assam**

3127. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8306 on the 8th August, 1967 and state :—

(a) the amount to be spent on the construction of bridges in Assam ;

(b) the amount spent on the construction of 152 bridges and the time taken to construct them ; and

(c) when the construction of 2 major and 133 minor bridges would be completed ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan)** : (a) Rs. 15.53 crores.

(b) The amount which has been spent on these bridges is Rs. 9.71 crores, and the time taken to construct them was about 4½ years, i.e. from December, 1962 to July, 1967.

(c) The work on these bridges will be taken up as soon as funds are available.

**सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार विरोधी उपाय**

3128. **श्री रविराय :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जाँच विभाग और राज्यों के भ्रष्टाचार विरोधी विभागों के अधिकारियों के सम्मेलन में, जो हाल में दिल्ली में हुआ था, क्या निर्णय किए गए थे ; और

(ख) सरकारी सेवाओं में से भ्रष्टाचार का पूरी तरह उन्मूलन करने के लिए सरकार का विचार क्या ठोस कार्यवाही करने का है ?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) विचारों का तथा दोनों के मतलब के विषयों पर जानकारी का आदान-प्रदान करने की दृष्टि से और सतर्कता-कार्य के महत्वपूर्ण पहलुओं तथा राज्यों में भ्रषटाचार विरोधी उपायों में सुधार करने के मार्गोपायों पर विचार करने के लिये 13 से 15 नवम्बर, 1967 तक दिल्ली में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो तथा भ्रष्टाचार विरोधी राज्य अधिकारियों का एक संयुक्त सम्मेलन हुआ था।

(ख) सेवाओं में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये सरकार जो विभिन्न पग उठा रही है उनसे सभा को अवगत रखा गया है।

**वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की धनबाद की बैठक**

3130. **श्री रवि राय :** **श्री भोगेन्द्र झा :**

**श्री यशपाल सिंह :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के निर्देशकों का पिछले महीने धनबाद में एक सम्मेलन बुलाया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनुसंधान संबंधी तकनीकी तथा वैज्ञानिकों की समस्याओं पर विचार-विमर्श करने की बजाए निदेशकों ने मुख्यतः प्रशासनिक समस्याओं पर विचार-विमर्श किया; और

(ग) यदि हाँ, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि इन सम्मेलनों में प्रशासनिक समस्याओं की बजाए वैज्ञानिक अनुसंधान को प्राथमिकता मिले?

**शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन)** : (क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं। सम्मेलन में, अन्तर-प्रयोगशाला सहयोग, प्रयोगशालाओं की उपलब्धियों का मूल्यांकन, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और तकनीकी मंत्रालयों के बीच सम्बन्ध सुनिश्चित करने, राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक आयोजना के निर्माण में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के भाग लेने, परामर्शदायी सेवाओं तथा कुछ संगठन संबंधी मामलों के विषय में विचार किया गया।

(ग) जिन प्रायोजनाओं में एक से अधिक प्रयोगशालाओं की रुचि हो उन प्रायोजनाओं पर ही विचार-विमर्श करने तथा अनुसंधान कायक्रमों संबंधी समस्याओं पर विचार करने तथा प्राप्त परिणामों के उपयोग पर अधिक बल देने का प्रस्ताव है।

**दिल्ली की अमान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं पर नियंत्रण**

3131. **श्री अदिचन**: क्या शिक्षा मंत्री 26 जुलाई, 1967 को अतारांकित प्रश्न संख्या 6843 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में अमान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं पर नियंत्रण रखने के लिए मॉडल विधेयक के प्रारूप को अब अन्तिम रूप दे दिया गया है

ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) कब इस विधेयक को संसद में पेश किए जाने की आशा की जाती है?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद)** :

(क) से (ग) जी नहीं । परिष्करण करने से पहले इस विधेयक को दिल्ली नगर निगम परिषद को दिखाने का विचार है।

**अध्यापकों और छात्रों के लिए मकान और छात्रावास**

3132. **श्री आदिचन : श्री जनार्दनन :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोई ऐसी योजना तैयार की गई है जिसमें चौथी योजना के दौरान विश्वविद्यालय और कालिजों के अध्यापकों को रहने के लिए मकान और छात्रों के लिए अधिक अच्छे छात्रावासों की व्यवस्था हो;

(ख) यदि ऐसा है तो कितने मकान बनाए जायेंगे;

(ग) उसकी अनुमानित लागत क्या होगी; और

(घ) इस संबंध में विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली प्रस्तावित वित्तीय सहायता की मात्रा क्या होगी?

**शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन):**

(क) जी हाँ। चौथी योजना में छात्रावास और कमचारियों के क्वार्टर/ अध्यापक हास्टेल बनाने की निम्नलिखित योजनाएँ सम्मिलित की गई हैं: –

(i) विश्वविद्यालयों और सबद्ध कालिजों को अनुदान (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा)

(ii) विश्वविद्यालयों और दिल्ली के कालिजों को ऋण (शिक्षा मंत्रालय द्वारा)

(iii) संबद्ध कालिजों के हास्टिलों के लिए राज्य सरकारों को ऋण;

(iv) भारतीय औद्योगिकी संस्थानों और प्रादेशिक इंजीनियरी कालिजों को छोड़कर शेष इंजीनियरी कालेजों को हास्टिल बनाने के लिये ऋण (शिक्षा मंत्रालय द्वारा

(ख) और (ग) विश्वविद्यालयों और कालिजों (जिनमें भारतीय औद्योगिक संस्थान, प्रादेशिक इंजीनियरी कालिज और अन्य इंजीनियरी कालिज शामिल नहीं हैं) के छात्रों और अध्यापकों के रहने के स्थान से संबंधित समिति ने लगभ 44,000 कमेचारी-क्वर्टिर और 900 अध्यापक-हास्टेल और 3 लाख विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त हास्टेल चौथी योजना के अन्त तक बनाने की सिफारिश की हैं और उसकी अनुमानित लागत 257.0 करोड़ रुपए होगी। भारतीय औद्योगिकी सस्थानों और प्रादेशिक इजीनियरी कालिजों के लिए ऐसी सुविधाएँ इन सस्थाओं की स्थापना के कुल कार्यक्रम के भीतर ही बनाने की व्यवस्था होती हैं इजीनियरी कालिजों के सबंध में इस प्रकार की आवश्यकताओं के ऐसे पूर्वानुमान तैयार नहीं किए गए हैं।

(घ) अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ारा राज्य विश्वविद्यालयों और संबद्ध कालिजों के मामले में हिस्सेदारी के आधार पर और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को शतप्रतिशत आधार पर दिए जाते हैं। ऋणशिक्षा मंत्रालय द्वारा शतप्रतिशत आधार पर कुछ अधिकतम सीमाओं के अधीन मंजूर किए जाते हैं। अनुदानों/ऋणों की ठीक मात्रा निधियों की उपलब्धि और विश्वविद्यालयों तथा कालिजों के प्रस्तावों पर निर्भर करेगी ।

**दिल्ली में नगर दीवार**

3133. **श्री अदिचन:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली की मध्यकालीन दीवार को गिराने का निर्णय किया है;

(ख) क्या बहुत साल पहले पुरातत्त्व विभाग ने दीवार को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया था;

(ग) क्या दीवार को गिराने के निगम के निर्णय को पुरातत्व विभाग ने अनुमोदित कर दिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह):** (क) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि निगम का इरादा दिल्ली की मध्यकालीन दीवार को गिराने का है।

(ख) दिल्ली दरवाजे के निकट की दीवार जिसका एक हिस्सा दिल्ली नगर निगम द्वारा गिरा दिया गया है, भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक नहीं है।

(ग) और (घ) दिल्ली नगर निगम द्वारा गिराई गई दीवार का भाग चूंकि भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित क्षेत्र में नहीं है, इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता।

**मैसूर के अधिकारियों की वरिष्ठता सूची**

3134. **श्री क० लकप्पा:**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप मैसूर सरकार द्वारा तुरन्त कार्यवाही हेतु भेजी गई मैसूर सरकार के अधिकारियों की वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप देने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण):**

28 जून, 1967 को प्रश्न संख्या 3921 के उत्तर में प्रगति की सूचना देने के पश्चात 87 राजपत्रित अधिकारियों तथा 4,680 गैर-राजपत्रित कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची और छपा गई है। 1369 राजपत्रित अधिकरियों तथा 20,144 गैर-राजपत्रित कर्मचारियों की अन्तिम वरिष्ठता सूची अभी छपनी बाकी है। इस बकाया कार्य को पूरा करने के लिये राज्य सरकारों से कहा गया है।

**सामाजिक सेवा उन्मुख शिक्षा**

3135. **श्री शिव चन्द्र झा:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत की वर्तमान शिक्षा पद्धति सामाजिक सेवा की ओर पर्याप्त उन्मुख नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) भारत में वे विश्वविद्यालय कौन से हैं, जहाँ स्नातक तथा स्नातकोत्तर विद्यार्थी अपनी उपाधियाँ प्राप्त करने से पहले विशेष सामाजिक सेवा का प्रशिक्षण लेते हैं और ऐसे सामाजिक सेवा प्रशिक्षण कितने प्रकार के हैं?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :** (क) जी, हाँ।

(ख) स्काउट व मार्ग दर्शन और श्रम व सामाजिक सेवा शिविरों आदि जैसे कार्यकलापों के जरिए स्वेच्छिक आधार पर सामाजिक सेवा के तत्व को महत्ता पर जोर दिया जा रहा है। कुछ सामाजिकसेवा लोग शैक्षिक संस्थाओं में काय कर रही हैं। कालेज तथा विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए इस समय सरकार द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना बनाई जा रही है।

(ग) विश्वविद्यालयों से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**भारत के पर्यटन स्थलों के विषय में साहित्य**

3136. **श्री शिव चन्द्र झा:** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के पर्यटन स्थलों के विषय में पर्याप्त साहित्य की कमी है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने और अधिक ऐसा पर्यटन विषयक साहित्य जिससे विदेशी पर्यटकों को विशेषकर अमरीका के लोगों को सहायता मिल सके, प्रकाशित करने के लिये क्या कदम उठाये हैं?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग पर्यटन विभाग ने प्रचार सामग्री के उत्पादन के लिये 34 लाख रुपए नियत किए हैं, इसमें अंग्रेजी भाषा में तैयार की जाने वाली सामग्री भी सम्मिलित है जिसका उपयोग अमरीकी खपत के लिये है।

**भारत और नेपाल की पार्श्ववर्ती सड़क परियोजना**

3137. **श्री शिव चन्द्र झा:** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत और नेपाल की सीमा पर पार्श्ववर्ती सड़क बनाने की परियोजना को पूरा करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है;

(ख) अब तक कितनी धन राशि खर्च की जा चुकी है; और

(ग) इस सड़क के बिहार से गुजरने वाले भाग पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन)**:

(क) परियोजना पर 111 करोड़ रु० व्यय होने का अनुमान है।

(ख) और (ग) वित्तीय वर्ष 1966–67 के अन्त तक लगभग 35 करोड़ रु० की राशि व्यय की गई। इसमें से बिहार में 13 करोड़ रु० व्यय किया गया। 1967–68 में इस परियोजना पर पूर्वानुमानित रूप से 12 करोड़ रु० होगा जिसमें से 5 करोड़ रु० बिहार क्षेत्र में व्यय होने का अनुमान है।

**Indian Border Security Force Personnel Killed**

3138. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of personnel belonging to the Indian Border Security Force killed on the Indian border during the last two years ;

(b) the extent and type of assistance given to their families separately ; and

(c) the number of injured security personnel who have been discharged from service on the recommendation of the medical boards and the nature of assistance given to them ?

**The Minister of Home Affairs ( Shri Y. B. Chavan)** :

(a) Sixteen Border Security Force personnel were killed in operations during the last two years ;

(b) and (c) The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

**Employees on Deputation**

3139. **Shri Hukum Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of employees who came on deputation to work in the various Ministries of the Central Government during the last ten years ;

(b) the number of Gazetted and Non-Gazetted employees amongst them and their number State-wise ;

(c) the number out of them who have since gone back and the number who have got their period extended ;

(d) whether a minimum period for deputation purposes has been fixed by the various Ministries ; and

(e) whether the Dearness Allowance paid to the employees on deputation is at the Central or the State rates ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)** :

(a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

(d) State Government employees are deputed to the various Ministries of the Central Government against tenure posts (i.e. permanent posts which may not be held by Government servants for more than a limited period) as well as non-tenure posts. The period of tenure specified for the following tenure posts in the Central Secretariat is indicated against each of them :—

| | |
|---|---|
| (1) Under Secretary to the Government of India | .. 3 years |
| (2) Deputy Secretary to the Government of India | .. 4 years |
| (3) Director ; Joint Secretary to the Government of India and posts of equivalent rank and above | .. 5 years |

In exceptional circumstances, however, where the public interest so demands, the tenure of an individual officer in the same post or any other post or class of posts may be extended or curtailed with the consent of the lending authority. The period of tenure of other 'tenure posts' against which State Government employees are appointed on deputation under the various Ministries of the Government of India is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

In non-tenure posts, the period of deputation of State Government employees should not ordinarily exceed one year at a time and should not normally be extended beyond three years. The period of deputation may, however, be curtailed or extended with the consent of the lending authority, if it is necessary to do so in the public interest.

(e) The State Government employees on deputation to the Centre are entitled to dearness allowance under the rules of the State Government or under the rules of the Central Government, according as they retain the scales of pay under the State Government or draw pay in the scales attached to the posts under the Central Government. All India Services Officers, whether they serve in connection with the affairs of the Union or of the State, are granted dearness allowance at Central rates.

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने और अधिक ऐसा पर्यटन विषयक साहित्य जिससे विदेशी पर्यटकों को विशेषकर अमरीका के लोगों को सहायता मिल सके, प्रकाशित करने के लिये क्या कदम उठाये हैं?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग पर्यटन विभाग ने प्रचार सामग्री के उत्पादन के लिये 34 लाख रुपए नियत किए हैं, इसमें अंग्रेजी भाषा में तैयार की जाने वाली सामग्री भी सम्मिलित है जिसका उपयोग अमरीकी खपत के लिये है।

**भारत और नैपाल की पार्श्ववर्ती सड़क परियोजना**

3137. **श्री शिव चन्द्र झा**: क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत और नैपाल की सीमा पर पार्श्ववर्ती सड़क बनाने की परियोजना को पूरा करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है;

(ख) अब तक कितनी धन राशि खर्च की जा चुकी है; और

(ग) इस सड़क के बिहार से गुजरने वाले भाग पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन)**:

(क) परियोजना पर 111 करोड़ रु० व्यय होने का अनुमान है।

(ख) और (ग) वित्तीय वर्ष 1966–67 के अन्त तक लगभग 35 करोड़ रु० की राशि व्यय की गई। इसमें से बिहार में 13 करोड़ रु० व्यय किया गया। 1967–68 में इस परियोजना पर पूर्वानुमानित रूप से 12 करोड़ रु० होगा जिसमें से 5 करोड़ रु० बिहार क्षेत्र में व्यय होने का अनुमान है।

**Indian Border Security Force Personnel Killed**

3138. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of personnel belonging to the Indian Border Security Force killed on the Indian border during the last two years ;

(b) the extent and type of assistance given to their families separately ; and

(c) the number of injured security personnel who have been discharged from service on the recommendation of the medical boards and the nature of assistance given to them ?

**The Minister of Home Affairs ( Shri Y. B. Chavan)** :

(a) Sixteen Border Security Force personnel were killed in operations during the last two years ;

(b) and (c) The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

**Employees on Deputation**

3139. **Shri Hukum Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of employees who came on deputation to work in the various Ministries of the Central Government during the last ten years ;

(b) the number of Gazetted and Non-Gazetted employees amongst them and their number State-wise ;

(c) the number out of them who have since gone back and the number who have got their period extended ;

(d) whether a minimum period for deputation purposes has been fixed by the various Ministries ; and

(e) whether the Dearness Allowance paid to the employees on deputation is at the Central or the State rates ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)** :

(a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

(d) State Government employees are deputed to the various Ministries of the Central Government against tenure posts (i.e. permanent posts which may not be held by Government servants for more than a limited period) as well as non-tenure posts. The period of tenure specified for the following tenure posts in the Central Secretariat is indicated against each of them :—

| | |
|---|---|
| (1) Under Secretary to the Government of India | .. 3 years |
| (2) Deputy Secretary to the Government of India | .. 4 years |
| (3) Director ; Joint Secretary to the Government of India and posts of equivalent rank and above | .. 5 years |

In exceptional circumstances, however, where the public interest so demands, the tenure of an individual officer in the same post or any other post or class of posts may be extended or curtailed with the consent of the lending authority. The period of tenure of other 'tenure posts' against which State Government employees are appointed on deputation under the various Ministries of the Government of India is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

In non-tenure posts, the period of deputation of State Government employees should not ordinarily exceed one year at a time and should not normally be extended beyond three years. The period of deputation may, however, be curtailed or extended with the consent of the lending authority, if it is necessary to do so in the public interest.

(e) The State Government employees on deputation to the Centre are entitled to dearness allowance under the rules of the State Government or under the rules of the Central Government, according as they retain the scales of pay under the State Government or draw pay in the scales attached to the posts under the Central Government. All India Services Officers, whether they serve in connection with the affairs of the Union or of the State, are granted dearness allowance at Central rates.

**Pakistani Spies**

3140. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Pakistani spies arrested in Kashmir during the last two years ;

(b) the number out of them being prosecuted ; and

(c) the number who have not been prosecuted and the reasons therefor ?

**The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan)** (a) to (c) According to information received from the State Government, 116 such spies were arrested during the last two years, out of whom 21 were prosecuted. The remaining 95 are under detention.

**दिल्ली के विद्यार्थियों पर अश्रु गैस का प्रयोग**

3141. **श्री रमानी :** **श्री राम मूर्ति :**

**श्री सत्यनारायण सिंह :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 नवम्बर, 1967 को सनातन धर्म कॉलेज, धौला कुआँ, दिल्ली के छात्रों पर पुलिस ने अश्रु गैस के गोले छोड़े ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) अश्रु गैस के गोले फटने से कितने छात्र घायल हुए थे ;

(घ) क्या सरकार का इस मामले की जाँच कराने का विचार है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो कब और इसके क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त चव्हाण)**: (क) और (ख) पुलिस को 400-500 छात्रों को तितर-बितर करने के लिये जोकि अंधाधुंध पत्थर फेंक रहे थे, अश्रु गैस का प्रयोग करना पड़ा।

(ग) डाक्टरी रिपोर्ट के अनुसार केवल एक विद्यार्थी घायल हुआ।

(घ) और (ङ) इस घटना के सम्बन्ध में एक मुकदमा भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 341, 427, 332 तथा 353 के अन्तर्गत दर्ज किया है तथा उसकी जाँच हो रही है।

**Son-et-Lumiere at Red Fort, Delhi**

3142. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the 'Son-et-Lumiere' spectacle at Red Fort, Delhi, the name "Pharnavis" is mentioned amongst the freedom fighters of 1857, whereas the name of Nana Saheb Dhundhupant Peshwa should have been mentioned ; and

(b) if so, the steps taken by Government for rectifying this mistake in the programme ?

**The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh):**

(a) The mistake crept into the script for the show prepared by a noted historian.

(b) The tape in addition to containing sound has also got pulses activising the light combination appropriate to each sequence in the story. No portion of the tape can be cut without the light combination going out of gear, which would ruin the show. The mistake will, therefore, have to be corrected when the tape is changed and the script fully revised. The India Tourism Development Corporation, who are now in charge of the show, have been asked to do this when a revision of the show is made, which is expected to be done fairly soon.

**Wrestling Competition**

3143. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the names of the countries wherefrom the wrestlers participated in the World Wrestling Competition held in Delhi from 12th to 14th November, 1967 ;

(b) the extent to which Government extended its co-operation thereto ;

(c) the number of wrestlers who were victorious ; and

(d) whether Government propose to give some rewards to the wrestlers ?

**The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad)**: (a) 1. Bulgaria, 2. Ceylon, 3. East Germany, 4. France, 5. Hungary, 6. Iran, 7. Isreal, 8. Japan, 9. Korea, 10 Mexico, 11. Mangolia, 12. Poland, 13. Rumania, 14. Sweden, 15. Switzerland, 16. Turkey, 17. USA, 18, USSR, 19. West Germany and 20. India.

(b) Government agreed to sanction grant-in-aid not exceeding Rupees one lakh, on deficit basis, of which Rupees ninety thousand have already been released. Government also placed at the disposal of the Wrestling Federation of India the National Stadium at a nominal rent of Rs. 1,000. . The National Institute of Sports loaned to the Federation two wrestling mats.

(c) In each of the eight weights, one Gold, one Silver and one Bronze Medal were awarded ;

(d) So far as India is concerned, Shri Bishamber Singh got the Silver Medal in the bantam weight and Shri Udey Chand got the 5th position in light weight respectively Both the wrestlers are already recepients of Arjuna Awards given to outstanding amateur sportsmen. In amateur wrestling, no wrestler can be given any cash reward.

**Dumriaghat Bridge over River Gandak**

3144. **Shri Bibhuti Misra** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that June, 1966 was the target date fixed for the completion of Dumriaghat bridge over the river Gandak ;

(b) whether keeping in view the present pace of the construction, it is likely to take another three years for its completion ;

(c) whether it is also a fact that with the delay in construction, the amount of expenditure is increasing ; and

(d) if so, the steps taken for the speedy construction of the work ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan)** : (a) and (b) The target date for the completion of the bridge, as per the contract agreement, is 31st December, 1967, and not June, 1966. It will not, however, be possible to adhere to this date due to difficulties encountered during the well-sinking operations. The Bihar Public Works Department have recently intimated that the work is likely to be completed by 31st December, 1969.

(c) and (d) The requisite information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha when received.

## नगरपालिका बोर्ड, पोर्ट ब्लेयर

3145. **श्री एस्थोस :** **श्री अनिरुधन :**
**श्री पो० राममूर्ति :** **श्री शिवनाथ मेनन :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जब वह अन्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह गए थे, पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका के सदस्यों ने उनके सामने कुछ माँगें रखी थीं ;

(ख) यदि हाँ, तो वे माँगें क्या थीं ; और

(ग) उनपर क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल):** (क) जी हाँ, गृह कार्य मंत्री के सामने माँगें रखी गई थीं ;

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1886/67]।

(ग) प्रतिकरात्मक भत्ता, मकान किराया भत्ता, अन्डमान विशेष भत्ता, आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी आदि, नगरपालिका के घाटे को पूरा करना, डेरी फार्म को खोलना, सरकारी सम्पत्तियों पर कर लगाना आदि माँगों पर विचार किया गया तथा उन्हें या तो रद्द कर दिया गया अथवा व्यवहार्य नहीं पाया गया। शिक्षा के स्तर को ऊँचा करने तथा वहाँ बसने वालों की भाषा को शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक जीवन में उचित स्थान देने के बारे में प्रयत्न किए जा रहे हैं। अन्य माँगों की भी जाँच हो रही है।

## उड़ीसा के विश्वविद्यालयों को सहायता

3146. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के सम्बलपुर और बरहामपुर विश्वविद्यालयों से वित्तीय सहायता और अनुदान के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि ऐसा है तो इन विश्वविद्यालयों में से प्रत्येक को कितनी-कितनी राशि दी गई हैं ; और

(ग) 1967-68 में उत्कल विश्वविद्यालय को कितना अनुदान और वित्तीय सहायता दी गई ?

**शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन):**

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता

(ग) रुपए 7,43,314.31 (27 नवम्बर, 1967 तक)

## केन्द्रीय स्कूल भुवनेश्वर

3147. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार ने भुवनेश्वर के केन्द्रीय स्कूल के नए भवन के लिए स्थल अब तक दे दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले की आद्यतन स्थिति क्या है;

(ग) स्कूल पर अपना भवन कब तक हो जाएगा;

(घ) 1967-68 से 1968-69 तक के दौरान इस प्रयोजन के लिए कोई रकम दी गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी रकम दी गयी थी ?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद):**

(क) और (ख) एक प्रस्ताव पेश किया गया है और समझा जाता है कि वह राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन के अन्तिम स्तर पर है।

(ग) जैसे ही नए स्थल पर भवन का निर्माण पूरा हो जाएगा।

(घ) और (ङ) स्कूल भवनों के निर्माण के लिए धन की व्यवस्था बजट में एकमुश्त कर दी जाती है, और इस स्कूल के भवन के निर्माण हेतु अपेक्षित धन आयोजनाओं तथा तखमीनों के मिलने पर मजूर कर दिया जाएगा।

**भारत में इंजीनियरी महाविद्यालय**

3148. **श्री अ० क० गोपालन:** **श्री चक्रापाणि :**

**श्री प० गोपालन :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय इजीनियरी महाविद्यालयों की संख्या क्या है; और

(ख) इन महाविद्यालयों में शिक्षा पा रहे विद्यार्थियों की सख्या क्या है?

**शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन):** (क) और (ख) सस्थाओं से शिक्षा सम्बन्धी चालू सत्र की विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है। फिर भी प्राप्त सामग्री के अनुसार देश में 138 इजनियरी महाविद्यालय हैं जिनमें प्रथम डिग्री एव स्नातकोत्तर पाठयक्रम के विद्यार्थियों की सख्या लगभग 83,500 है।

**दुर्गापुर में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस शिविर**

3149. **श्री अ० क० गोपालन:** **श्री विजय मोदक :**

**श्री गणेश घोष :** **श्री सत्यनारायण सिंह :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने दुर्गापुर में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का एक शिविर स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या प्रयोजन है; और

(ग) क्या दुर्गापुर में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का शिविर स्थापित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने भेजा था?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल):**

(क) और (ख) देश के विभिन्न भागों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं ताकि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के दलों को दूर फासलों पर न जाना पड़े और उनके

आवश्यकता के समय वहाँ तैनात करने में समय न लगे। इसी प्रकार का एक केन्द्र दुर्गापुर में स्थापित करने की योजना है।

(ग) 1964 में पश्चिमी बंगाल पदाधिकारियों ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कुछ दल कलकत्ता के निकट स्थापित करने का सुझाव दिया था। और बातों के अतिरिक्त दुर्गापुर इस माँग को भी पूरा करता है।

**Lodging Facilities at Belur** (Mysore)

3150. **Shri Jagannath Rao Joshi**: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that foreign tourists who visit Belur and Halibid in Mysore State face great inconvenience on account of lack of lodging facilities there ; and

(b) if so, the steps proposed to be taken in this regard ?

**The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) :**

(a) and (b) The base for foreign tourists visiting Belur and Halebid is Mysore or Bangalore. However, for the convenience of those tourists who would like to spend more time at these two places, a Tourist Bungalow has been constructed at Hassan. Plans for the improvement and expansion of this bungalow and an existing dak bungalow at Belur are under consideration of Government. Schemes for the development of tourist facilities at Belur, Halebid and Hasan have been included in the draft Fourth Five Year Plan on Tourism. Details are being settled in consultation with the State Government, keeping in view availability of funds.

**Central Government Employees injured in the Kashmir Pandits' Agitation**

3151. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Central Government employees killed and injured during the agitation by the Kashmiri Pandits ; and

(b) the extent of loss of Central Government property involved during the agitation ?

**The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan ) :**

(a) and (b) According to information received one employee was killed. Remaining information is being collected.

**चण्डीगढ में अध्यापकों की गिरफ्तारियां**

3152. **श्री चक्रपाणि :** **श्री प० गोपालन :**
**श्रीमती सुशीला गोपालन :** **श्री उमा नाथ :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चन्डीगढ़ में 5 नवम्बर, 1967 को गिरफ्तार किए गए अध्यापकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) यदि हाँ, तो आन्दोलन के क्या कारण हैं; और

(ग) झगड़े को तय करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) :**

(क) पाँच अध्यापक, सभी अध्यापक पंजाब राज्य के थे जिन्होंने 5 नवम्बर, 1967 को अपने आप को गिरफ्तार करवाया।

(ख) पजाब राज्य के प्राइवेट स्कूल अध्यापकों की मांग उन वेतनमानों को सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमानों के समान बनाने तथा कुछ अन्य सुविधाओं के बारे में थी।

(ग) मामले पर पंजाब सरकार विचार कर रही है।

**आसाम में पाकिस्तान घुसपैठियों को भारत छोड़ो आदेश**

3153. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारो** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए भारत छोड़ो नोटिसों का आसाम में पाकिस्तानी घुसपैठियों के द्वारा पालन नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार इसके लिये क्या कार्यवाही कर रही है कि उस आदेश का पालन हो और घुसपैठिये भारत छोड़कर चले जायें ?

**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** :

(क) और (ख) पाकिस्तानी घुसपैठियों को जब भारत छोड़ो नोटिस दिए जाते हैं, विशेष न्यायाधिकरणों के पास अभिवेदन कर सकते हैं जो कि आसाम में विदेशी (न्यायाधिकरण) आदेश 1964 के अन्तर्गत स्थापित किए गए थे अथवा न्यायालय में यह कहकर सिविल मुकदमा दर्ज करा सकता है कि वे भारत के नागरिक हैं तथा निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकते हैं। जब तक अदालत उनके अभिवेदन को निपटा नहीं देती, भारत छोड़ो नोटिस लागू नहीं किए जाते हैं। जो विशेष न्यायाधिकरणों के पास अभिवेदन नहीं देते अथवा सिविल मुकदमा दर्ज नहीं कराते उनके मामलों में भारत छोड़ो नोटिसों का पालन होता है और उन्हें देश को छोड़ना पड़ता है।

**राज्यपालों की नियुक्ति**

3154. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यपालों की नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में विभिन्न राज्य सरकारों से विशेषकर गैर-कांग्रेसी सरकारों से सुझाव आये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है और उनपर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) और (ख) संविधान के अन्तर्गत राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं परन्तु गैर-संवधानिक परम्परा के अनुसार नियुक्ति से पूर्व राज्य के मुख्य मंत्री से परामर्श किया जाता है। दो मामलों में मुख्य मंत्रियों ने कहा था कि नियुक्ति उनसे परामर्श प्राप्त करके अथवा उनकी सहमति से की जानी चाहिये। इन सुझावों को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि यह संविधान के उपबन्धों के अनुकूल नहीं थे।

**उच्च न्यायालयों में अनिर्णित मुकदमे**

3155. **श्रीयज्ञदत्त शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 नवम्बर 1967 को विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष कुल कितने मुकदमे अनिर्णित पड़े थे;

(ख) किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक अनिर्णित मुकदमे थे और वे कब से अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ग) क्या अनिर्णीत मुकदमों का निबटारा करने के लिये कोई समय सीमा निधारित करने का सरकार का विचार है ?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :**

(क) 1 नवम्बर, 1967 को विभिन्न उच्च न्यायालयों के सामने अनिर्णीत मुकदमों की संख्या का पता इस समय नहीं है। 30.6.67 को जो अनिर्णीत मुकदमे थे उनकी संख्या सभा पटल पर रखे गए विवरण में दी हुई है। [**देखिये संख्या एल० टी०** 1887/67]।

(ख) इलाहाबाद उच्च न्यायालय। समय 1944 से जून 1967 के अन्त तक है।

(ग) उच्च न्यायालयकेमुकदमोंनिपटाने केलियेकोई समय निर्धारित नहीं किया जा सकता परन्तु मुकदमों को शीघ्र निपटाने का प्रयत्न किया जाता है विशेषकर उन मुकदमों का जो बहुत दिन से अनिर्णीत पड़े हैंए ।

**विवेकानन्द शिला स्मारक**

3156. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कन्या कुमारी में विवेकानन्द शिला स्मारक बनाने से उस स्थान का पर्यटन की दृष्टि से महत्व बढ़ जायेगा ; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने विवेकानन्द स्मारक प्रायोजना को पूरा करने के लिए अब तक कितनी सहायता दी है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :** (क) : आशा है कि विवेकानन्द शिला स्मारक कन्या कुमारी क्षेत्र में पयटकों के लिए एक अतिरिक्त आकर्षण का विषय होगा।

(ख) स्मारक को पूरा करने के लिये सहायता देने की कोई भी योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

**Ramweshwaram Temple**

3157. **Shri Hardayal Devgun** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the management of the historical temple in Rameshwaram has asked Central Government for financial asistance for the renovation of the ancient temple ;

(b) if so, the amount of assistance Government have agreed to give ; and

(c) if the reply to part (a) be in the negative, the reasons therefor ?

**The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh)** : (a) No, Sir.

(b) and (c). Does not arise.

**भ्रष्टाचार के मामले**

3158. **श्री श्रद्धाकर सुपाकर :** क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भ्रष्टाचार के कुल कितने मामले एक वर्ष से अधिक समय से अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ख) इनमें से कितने मामले राजपत्रित अधिकारियों से सम्बन्धित हैं ?

**गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण ) :**

(क) 2618 (31.3.67 तक)

(ख) 449

### दिल्ली परिवहन की अप्रयुक्त बसें

3159. श्री अर्द्धाकार सूपाकर: क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फालतू पुर्जों के न होने से दिल्ली परिवहन की कई बसें बेकार पड़ी हैं।

(ख) क्या यह भी सच है कि पचास से अधिक बसें ऐसी हैं जो एक वर्ष से भी कम समय तक चली हैं और खराब पड़ी हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उन्हें चलने के योग्य बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री श्री भक्त दर्शन):** (क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) दिल्ली परिवहन उपक्रम द्वारा आवश्यक पुर्जों के आयात तथा देश में बने पुर्जों के प्रयोग के बारे में प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि बसों को चलने योग्य बनाया जा सके।

### दिल्ली के पुलिस मैनों के विरुद्ध मामले

3160. श्री अनिरुद्धन : श्री वि० कृ० मोडक :
श्री पी० राममूर्ति : श्री सत्यनारायण सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1967 में हुए आन्दोलन में भाग लेने के अभियोग में कुल कितने पुलिस-मैनों के विरुद्ध मामले अभी निर्णयाधीन हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन मामलों की जाँच करने के लिये एक समिति नियुक्त की है;

(ग) यदि हाँ, तो समिति के सदस्य कौन-कौन हैं; और

(घ) समिति कब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल):** (क) 821

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

### Refrigeration Arrangements for Ships and Vessels for Export of Fish

3161. **Shri Maharaj Singh Bharti** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) the number of vessels available in the country equipped with refrigeration arrangements for regular export of fish ;

(b) whether it is a fact that export of fish is being hampered for want of vessels equipped with refrigeration arrangements ;

(c) whether it is also a fact that there is shortage of fish in Bengal due to the fact that there are not enough number of vessels equipped with refrigeration arrangements for regulating daily supply of fish from Madras to Calcutta ; and

(d) if so, the steps taken by Government in this regard :

**The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao).**

(a) Information is not readily available.

(b) The question of inadequacy of existing refrigerated sapce for export of fish is being examined in consultation with the shippers and shipowners.

(c) and (d) : The surplus fresh water fish available in Madras is being already transported by rail to Calcutta. There is, however, no large surplus of fresh water fish which gets held back for want of rail facilities.

There is no surplus of marine fish in Madras which would go to Calcutta by sea even if refrigerated transport is available. Besides for trasport by sea, frozen fish holds and freezing of fish would be necessary and such arrangements are not available at Madras. Even if these were available Calcutta itself cannot take frozen fish for want of cold storage facilities. It is, however, planned to introduce more refrigerated rail vans on important fish traffic routes in the country including that from Madras to Calcutta to cope with expected increases in fish production.

## क्रिकेट टीम का इंग्लैण्ड का दौरा

3162. **श्री मरंडी**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत की क्रिकेट टीम ने उसके हाल के इंगलैण्ड और पूर्वी के देशों के दौरे के समय घटिया दर्जे का खेल खेला;

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या यह भी सच है कि भारतीय क्रिकेट टीम इस दौरे में विदेशी मुद्रा का लाभ नहीं कमा सकी;

(ग) यदि ऐसा है तो भारत को कुल कितनी हानि उठानी पड़ी; और

(घ) भारत में क्रिकेट के खेल को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद)**: (क) भारतीय क्रिकेट टीम इंगलैण्ड में तीनों टैस्ट मैच हारी किन्तु पूर्व अफ्रीकी देशों में वह कुछ मैच जीती और शेष में बराबर रही।

(ख) और (ग) दौरे में भारतीय क्रिकेट टीम ने लगभग 9,000 पौ० की विदेशी मुद्रा कमाई।

(घ) भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड द्वारा निपुण व्यक्तियों को ढूंढ़ निकालने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है जिसमें राज्य संगठनों के सहयोग से स्कूल स्तर पर प्रशिक्षण केम्पों का आयोजन और प्रतियोगी क्रिकेट टूर्नामेंट जैसे कोचीन-बिहार ट्राफी के लिए अन्तर्राज्यीय स्कूल टूर्नामेंट, जोन स्तर पर विश्वविद्यालयों के लिए विज्जी ट्राफी टूर्नामेंट, और भारत की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप और रंजी ट्राफी के लिए अन्तर्राज्यीय खेल, दुलीप ट्राफी, के लिए भारत में जोन चैम्पियनशिप, और राष्ट्रीय चैम्पियनों तथा भारत की शेष टीमों के बीच ईरानी कप मैच की व्यवस्था करने के अतिरिक्त खेल को सुधारने के लिए आवश्यक कार्यवाही भी शामिल है।

## गंगा नदी में देशाभ्यन्तर नौवहन सेवा

3163. **श्री मरंडी**: **श्री स० मं० बेसरा**:

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने गंगा नदी में देशाभ्यन्तर नौवहन सेवा चलाने का पूण वित्तीय भार उठाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर रही है और

(ग) यदि हाँ तो क्या कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० बी० के० आर बी० राव):**

(क) से (ग) इस प्रकार का कोई सुझाव विचाराधीन नहीं है कि केन्द्रीय सरकार को गंगा में देशाभ्यन्तर नौवहन सेवा का कुल वित्तीय भार उठाना चाहिये। भूतपूर्व गंगा ब्रह्मपुत्र पानी परिवहन बोर्ड जिसका वित्तीय भार केन्द्रीय सरकार तथा बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और असम की सरकारों ने उठाया था, ने गंगा में राजमहल तथा बक्सर के बीच प्रयोगात्मक सेवा चलाई थी ताकि कम पानी में नाव चलाने की तकनीकों की व्यवहारिकता का पता चल सके। तकनीकी रूप में तो सेवा व्यवहारिक पाई गई परन्तु लाभ अधिक न होने के कारण इसे 1962 में बन्द करना पड़ा। गंगा में वाणिज्यिक सेवा चलाने की संभावना पर जिसका आधार वहाँ पर्याप्त मात्रा में सामान लाने ले जाने के लिये मिलना होगा, पर विचार हो रहा है।

**शिक्षा सलाहकार समिति की 23वीं बैठक**

3164. **श्री मरंडी :** **श्री स० च० बेसरा:**
**श्री ए० एम० जोशी :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 23 सितम्बर, 1967 को दिल्ली में हुई अपनी बैठक में यह सिफारिश की थी कि देश में हुए एक समान स्कूलों का विचार सरकार को मान लेना चाहिए ;

(ख) यदि ऐसा है तो क्या इस सम्बन्ध में कोई अंतिम निश्चय भी किया जा चुका है ; और

(ग) सलाहकार बोर्ड द्वारा उसकी बैठक में की गई अन्य सिफारिशों की मोटी रूपरेखाएं क्या हैं ?

**शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुणसेन):** (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) बोर्ड की सिफारिशों (एक समान स्कूलों की सिफारिश सहित) पर अन्तिम निश्चय लोकसभा में शिक्षा आयोग की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श होने के बाद किया जाएगा।

**काश्मीर सशस्त्र पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के बीच संघर्ष**

3165. **श्री बख्शी गुलाम मुहम्मद :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि श्रीनगर में हाल में काश्मीर सशस्त्र पुलिस तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के बीच कोई संघर्ष हुआ था;

(ख) यदि हाँ, तो इस संघर्ष के क्या कारण थे ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जाँच कराई है; और

(घ) यदि हाँ तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और सरकार ने इस मामले में और आगे क्या कार्यवाही की है ?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)**: (क) से (घ) अपना कार्य करते हुए काश्मीर सशस्त्र पुलिस तथा केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस के कुछ व्यक्तियों के बीच गलतफहमी के कारण मामूली सी घटना हो गई थी। क्षेत्रीय अधिकारियों ने मामले को संतोषजनक रूप से निबटा लिया है।

**सर्कस कलाकारों को पुरस्कार**

3166. **श्री मयावन:** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने सर्कस के कलाकारों की इस माँग को नहीं माना है कि उनके पेशे को कला के रूप में मान्यता प्रदान कर देनी चाहिये और उनके कलाकारों को मान देने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार आरम्भ किए जाने चाहिये;

(ख) यदि हाँ, तो निषेध के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय सर्कस संघ के अध्यक्ष ने सर्कस के कलाकारों को प्रशिक्षण-सुविधाएँ प्रदान करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था; और

(घ) यदि हाँ, तो इसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद)**: (क) जी हाँ।

(ख) सरकार यह आवश्यक नहीं समझती है कि सर्कस के कलाकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार आरम्भ किया जाए।

(ग) जी हाँ।

(घ) भारतीय सर्कस संघ के अध्यक्ष से सरकारी सम्बन्धित अधिकारियों के साथ उनके प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करने का अनुरोध किया गया था, परन्तु संघ से कोई उत्तर नहीं मिला।

**दिल्ली में शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएँ**

3167. **श्री कंवर लाल गुप्त:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में बी० एस-सी०, एम० एस-सी०, बी० कॉम, एम कॉम०, बी० टी० की कक्षाओं में प्रतिवर्ष छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो अगले वर्ष इन पाठयक्रमों में सभी पास छात्रों को प्रवेश दिलाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली में बी० ए० (पास) बी० एस० सी०, बी० एस सी० (आनर्स) और एम० ए० की कक्षाओं में प्रवेश के लिये पात्रता की शर्तें अन्य विश्वविद्यालयों से भिन्न है; और

(घ) यदि हाँ, तो सभी विश्वविद्यालयों में विशेषत: पंजाब और उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में, एक समान शर्तें निर्धारित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

**शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन)** : (क) जी, हाँ।

(ख) सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों से बना एक कार्यकारी दल प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के शुरू होने से पहले प्रवेश सम्बन्धी आवश्यकताओं

पर विचार करता हैं और जहां आवश्यक होता है वहां अतिरिक्त स्थानों के लिये आवश्यक कार्यवाही का सुझाव देता है।

(ग) दिल्ली विश्वविद्यालय या सरकार ने ऐसा कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया है।

(घ) विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय होती है और विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये प्रवेश की आवश्यकता निर्धारित करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भी समस्या की जानकारी होती है।

**वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद पर प्रलेख**

3168. **श्री प० गोपालन :** **श्री राममूर्ति :**

**श्री अ० क० गोपालन :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में कुछ उच्च कोटि के वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के गठन के संबंध में सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि ऐसा है तो उसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

**शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :**

(क) महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में एक समिति वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के चौथी पंचवर्षीय योजना संबंधी प्रस्तावों की फिर से ध्यानपूर्वक जाँच करने के लिये नियुक्त की गई थी, ताकि ऐसे मद जिनका देश की तत्काल आवश्यकताओं से संबंध नहीं हो उन्हें काट दिया जाए, और यदि कोई पहले से या अग्रिम कारवाई शुरू की जा चुकी है, तो उसका पुनर्विलोकन भी इसी बात को ध्यान में रख कर किया जाए।

(ख) रिपोर्ट की मुख्य बातों का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1888/67]

**वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद में वैज्ञानिक**

3169. **श्री प० गोपालन :** **श्री राममूर्ति :**

**श्री अ० क० गोपालन :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद में ऐसे व्यक्ति बड़ी संख्या में हैं जिनके पद नाम वैज्ञानिक हैं किन्तु उनके पास वास्तव में वैज्ञानिक योग्यताएं नहीं हैं; और

(ख) यदि ऐसा है तो इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन):** (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद में वैज्ञानिक पदों पर लगाए गए कुछ व्यक्तियों के पास वैज्ञानिक योग्यताएं नहीं हैं।

(ख) ऐसे व्यक्तियों के मामलों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया है अनुदेश भी जारी किए जा चुके हैं कि भविष्य में इस प्रकार की नियुक्तियाँ नहीं की जाएं।

**पाकिस्तानी हथियारों का डाकुओं के क्षेत्रों में चोरी छिपे लाया जाना**

3170. **श्री बाबू राव पटेल:**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी स्वचालित हथियार जिनका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश हैं और राजस्थान में डाकू प्रयोग कर रहे हैं, कुछ सेवा निवृत्त पुलिस और सेवा अधिकारियों की मदद से चोरी छिपे लाये जा रहे हैं;

(ख) क्या इस प्रकार चोरी छिपे लाये गए हथियार भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, ढ़लिया, झांसी और आगरा के जिलों में भी पाये गए थे और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और उनके विरुद्ध क्या कायवाही की गई है?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)**: (क) से (ग) अभी तक केवल मध्य प्रदेश सरकार ने यह सूचना दी है कि राज्य के डाकुओं वाले क्षेत्रों में पाकिस्तानी हथियार पाये गए हैं। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य सरकारों से विस्तृत जानकारी माँगी गयी है।

**Foreign Tourists**

3171. **Shri R. S. Vidyarthi :** **Shri Shri Chand Goel :**
**Shri O. P. Tyagi:**

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of tourists who visited India during 1965, 1966 and 1967, so far ;

(b) the number of Germans, French, Russians and Americans amongst them ; and

(c) the foreign exchange earned during 1966-67 ?

**The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh):**

(a) The total number of foreign tourists who visited India during 1965, 1966 and up-to June 1967 is given below :—

| | | |
|---|---|---|
| 1965 | | 1,47,900 |
| 1966 | | 1,59,603 |
| Jan-June 1967 | .. | 80,685 |

(The above figures exclude nationals of Pakistan).

(b) The number of German, French, Russian and the American tourists among the above was as follows :

| Nationality | | 1965 | 1966 | Jan. -June 1967 |
|---|---|---|---|---|
| Greman | .. | 6,452 | 7,677 | 3,691 |
| French | .. | 5,507 | 6,232 | 2,888 |
| Russian | .. | 2,377 | 2,215 | 892 |
| U. S. A. | .. | 39,309 | 41,459 | 20,919 |
| Canadian | .. | 2,974 | 2,888 | 1,500 |
| S. American | .. | 1,899 | 2,299 | 931 |

(c) The foreign exchange earnings from foreign tourists (excluding Pakistani nationals) during the calendar year 1966 and from January-June 1967 have been estimated at Rs. 22.60 crores and Rs. 11.33 crores respectively.

**Everest Museum at Darjeeling**

3172 **Shri Mohan Swarup** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an Everest Museum has been opened at Darjeeling ;

(b) if so, the details of exhibits collected there ; and

(c) the amount of financial assistance given to the museum ?

**The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad)**: (a) Yes Sir,

(b) The Museum, when completed, will include the following exhibits :

(i) Photographs and relics of Everest expeditions.

(ii) Portraits of the members of Indian Everest expeditions as also the portraits of the leaders of other earlier expeditions and successful summit-climbers.

(iii) Colour transporencies and photographs of equipment used in Everest expeditions.

(iv) Equipment used in the successful Everest expeditions.

(v) A model of Everest massif. It will also show the routes followed by various Everest Expeditions, as well as the tragic spots where human lives were lost in the course of the expeditions.

(e) A sum of Rs. 10,000 - has been given by the Indian Mountaineering Foundation to the Himalayan Mountaineering Institute, Darjeeling to set up the Museum.

**पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण**

3173. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में पाठ्यपुस्तको के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि ऐसा है तो क्या योजना के अन्तर्गत सभी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूलों को राष्ट्रीकृत पाठ्य पुस्तकों को अपनाना होगा; और

(ग) यदि ऐसा है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद)**:

(क) से (ग) जी हाँ। शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद के सहयोग द्वारा पहली से आठवीं कक्षा तक पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की एक योजना को दिल्ली प्रशासन एक निर्धारित कार्यक्रम में पहले से ही कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अन्तर्गत प्रशासन और स्थानीय निकायों द्वारा चलाये जा रहे अथवा सहायता प्राप्त सभी स्कूलों को संबंधित कक्षाओं के लिए अनुमोदित पुस्तकें अपनानी होंगी। इस योजना के अन्तर्गत अब तक 25 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं।

जहाँ तक नौवीं से ग्यारहवीं तक की कक्षाओं का संबंध है उनके लिए पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की योजना नहीं है किन्तु माध्यमिक शिक्षा के केन्द्रीय बोर्ड ने इस वर्ष पाँच पाठ्य पुस्तकें अंग्रेजी में और संस्कृत में प्रकाशित की है जिन्हें बोर्ड से संबद्ध सभी उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को अपनाना होगा।

**पर्यटन ग्राम**

3174. **डा० रानेन सेन:** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए देश में पर्यटन ग्रामों का विकास करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मोटी-मोटी बातें क्या हैं ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**चंडीगढ़ प्रशासन**

3175. **श्री रामकृष्ण गुप्त:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चंडीगढ़ संघ राज्य-क्षेत्र के वर्तमान प्रशासन के विरुद्ध सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उनपर क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल):** (क) और (ख) चंडीगढ़ प्रशासन के विरुद्ध कोई भी शिकायत नहीं मिली है परन्तु लोग समय-समय पर अपनी शिकायतें और अभ्यावेदन भेजते रहते हैं जिनपर समुचित ध्यान दिया जाता है।

**पंजाब विश्वविद्यालय के नाम में परिवर्तन**

3176. **श्री राम कृष्ण गुप्त:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरियाना कॉंग्रेस समिति ने सरकार से इस आशय का अनुरोध किया है कि पंजाब विश्वविद्यालय का नाम बदल कर हरियाना तथा पंजाब विश्वविद्यालय अथवा चंडीगढ़ विश्व-विद्यालय कर दिया जाये ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल):** (क) हरियाना प्रदेश कांग्रेस समिति की कार्य पालिका द्वारा 3 सितम्बर, 1967 के पास किए गए प्रस्ताव की एक कापी, जिसमें 'पंजाब विश्वविद्यालय' का नाम 'हरियाना तथा पंजाब विश्वविद्यालय' करने का सुझाव दिया गया है; सरकार को मिला है।

(ख) प्रस्ताव की व्यवहारिकता पर विचार किया जा रहा है।

**दिल्ली परिवहन बसों के पासधारी**

3177. **श्री म० ला० सोंधी:** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन उपक्रम द्वारा चलाई गई प्राइवेट बसें दिल्ली परिवहन उपक्रम के पासधारियों को ले जाने में आनाकानी करते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) दिल्ली परिवहन तथा प्राइवेट बस मालिकों के बीच ठेके की शर्तें क्या हैं;

(घ) क्या दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसों के पासधारियों को दिल्ली परिवहन द्वारा ली गई गैर-सरकारी बसों में ले जाने का कोई उपबन्ध नहीं है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन):** (क) से (ङ) दिल्ली परिवहन उपक्रम ने गैर-सरकारी बस चालकों के साथ जो ठेका किया था उसमें यह उपबन्ध है उन्हें पासधारी लोगों को ले जाना होगा। सम्बन्धित प्राधिकारी, अर्थात उपक्रम को जितनी शिकायतें पासधारियों को गैर सरकारी बसों द्वारा न ले जाये जाने के बारे में मिली, उन सब मामलों में उन्हें दंडित किया गया है। समझौते की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रखदी गयी है। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1889/67**] समझौते के खंड 8 में यह उपबन्ध है कि गैर सरकारी बसें दिल्ली परिवहन उपक्रम द्वारा जारी किये गये पास धारण करने वाले लोगों को ले जायेंगी।

**अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये विद्यालय एवं महाविद्यालय**

3178. **श्री म० ला० सोंधी**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली राज्य में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये विद्यालयों और महाविद्यालयों की संख्या क्या है;

(ख) प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षित होने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इन संगठनों द्वारा प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या दिल्ली राज्य के स्कूलों की माँग पूरी करने में पर्याप्त नहीं है और इस कारण बहुत से व्यक्ति पड़ोसी राज्यों में प्रवेश पाने के लिये विवश होते हैं; और

(घ) यदि ऐसा है, तो क्या सरकार का विचार दिल्ली राज्य में अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण विद्यालयों और महाविद्यालयों की संख्या बढ़ाने का है?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद):**

(क) और (ख)

| संगठन का नाम | 1967–68 वर्ष में प्रवेश संख्या | |
|---|---|---|
| | कनिष्ठ बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिये | बी० एड० पाठयक्रम के लिये |
| (i) अध्यापक प्रशिक्षण संस्था, दरियागंज, दिल्ली | 131 | — |
| (ii) अध्यापक प्रशिक्षण संस्था, अलीपुर, दिल्ली | 122 | — |
| (iii) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली | 58 | 120 |
| (iv) केन्द्रीय शिक्षा संस्था, दिल्ली। | — | 140 |

(ग) सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

(घ) जी, नहीं सरकार ने ही इन संस्थाओं की संख्या बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं किया है।

**भूतपूर्व नरेशों द्वारा प्रकाशित पुस्तिका**

3179. **श्री म० ला० सोंधी :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के भूतपूर्व नरेशों द्वारा गत अक्तूबर में प्रकाशित की गई पुस्तिका में उल्लिखित बातों की जानकारी सरकार को है;

(ख) क्या यह सच है कि इस पुस्तिका के अनुसार देश के विभाजन के समय भारत के कुल क्षेत्र में 47 प्रतिशत क्षेत्र पर 28 प्रतिशत जनता पर उनका शासन था;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस पुस्तिका के अनुसार निजी थैलियों में कोई परिवर्तन करना या उनको बन्द करना अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 291 में उपबंधित गारंटी से मुकरना होगा ; और

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त पुस्तिका का प्रत्युत्तर जारी करने का है ?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण):**

(क) जी, हाँ। सरकार को उस पुस्तिका का पता है जो भारत के भूतपूर्व नरेशों के नाम से सितम्बर, 1967 में प्रकाशित हुई थी।

(ख) जैसा कि भारतीय रियासतों सम्बन्धी श्वेत-पत्र, 1950 में लिखा है कि जो रियासतें भारत संघ में मिली थी उनका क्षेत्र और वहाँ की जनसंख्या विभाजनोत्तर भारत के क्षेत्र और क्षेत्र संख्या का क्रमशः 48 प्रतिशत और 28 प्रतिशत थी।

(ग) पुस्तिका में ऐसे विचार व्यक्त किए गए हैं।

(घ) जी, नहीं।

**स्कूटर चालकों के विरुद्ध शिकायतें**

3180. **श्री प्रेमचन्द वर्मा : श्री निहाल सिंह :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजधानी में स्कूटर चालकों के विरुद्ध इस आशय की बहुत शिकायतें मिली हैं कि वे कम दूर जाने वाले यात्रियों को ले जाने के लिये मना कर देते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि टैक्सी किराये में वृद्धि तथा स्कूटर अपेक्षाकृत कम संख्या में होने के कारण इस प्रकार की शिकायतें काफी बढ़ गई हैं;

(ग) यदि हाँ, तो बुरा व्यवहार करने वाले स्कूटर चालकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है, और

(घ) क्या सरकार का विचार स्कूटरों के लिये अधिक परमिट देने का है ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन)** : (क) स्कूटर चालकों के विरुद्ध कुछ शिकायतों दिल्ली प्रशासन को मिली हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) बुरा व्यवहार करने वाले स्कूटर चालकों के विरुद्ध मोटर व्हिकल्स अधिनियम त उसके अधीन बने नियमों के अधीन कार्यवाही की गई है।

(घ) स्कूटर चालकों को परमिट उदारतापूर्वक दिए जा रहे हैं।

**जांच आयोगों के लिये न्यायाधीशों की नियुक्ति**

3181. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखे बिना कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों अथवा भूत-पूर्व न्यायाधीशों के जाँच के विषय विशेष की जानकारी है या नहीं; जाँच करने के लिये उनकी नियुक्ति के बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों की सरकार को जानकारी है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उनपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** :(क) सरकार के सामने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**विदेशी पुस्तकों का थोड़ी कीमत पर पुनः प्रकाशन**

3182. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है जिसके अन्तर्गत भारतीय एवं विदेशी लेखकों द्वारा लिखित प्रामाणित शिक्षात्मक कृतियों और संदर्भ पुस्तकों को कम कीमत पर पुनः प्रकाशन किया जाएगा :

(ख) यदि ऐसा है तो योजना के प्रारम्भ किए जाने के समय से कितनी कृतियाँ और पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं;

(ग) यदि कोई भी प्रकाशन नहीं हुआ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सारी योजना पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है ?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :**

(क) सरकार भारतीय लेखकों द्वारा लिखित प्रमाणिक कृतियों के सस्ते संस्करण निकालने के लिये भारतीय प्रकाशकों को सहायता दे रही है। सरकार ब्रिटेन, अमरीका और सोवियत रूस को उन देशों के लेखकों द्वारा लिखी प्रामाणिक कृतियों के सस्ते संस्करणों के पुनःप्रकाशन में भी सहकार करती है।

(ख) भारतीय योजना के अन्तर्गत एक पुस्तक पुनः प्रकाशित की जा चुकी है और एक और पुस्तक शीघ्र ही प्रकाशित की जाने वाली है। सहकारिता कायक्रम के अन्तर्गत 224 ब्रिटिश पुस्तकें, 532 अमरीकी पुस्तकें और 104 सोवियत पुस्तकों का पुनः प्रकाशन किया जा चुका है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सहकारिता कार्यक्रमों के लिये सम्बन्धित विदेशी सरकारें सहायता देती हैं। भारत सरकार ने अब तक 20,550.00 रुपयों का प्रत्यक्ष और 19,897.19 रुपयों का परोक्ष व्यय किया है।

**आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों के लिये पृथक विश्वविद्यालय**

3183. **श्री ओ० प्र० त्यागी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों के लिये एक पृथक विश्वविद्यालय स्थापित करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस बात पर समुचित ध्यान दिया गया है कि ऐसा करने से पहाड़ी लोग मैदानों में रहने वाले लोगों के साथ निकट सम्पर्क स्थापित करने के अवसर से वंचित रह जायेंगे ?

**शिक्षा मंत्री (श्री त्रिगुण सेन)** : (क) पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र, जिसमें नागालैण्ड, नेफा, मनीपुर तथा आसाम के पहाड़ी क्षेत्र सम्मलित हैं, के लिये एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि नागालैण्ड राज्य की विधान सभा भारत के संविधान 252 (एक) के अधीन इस आशय का एक प्रस्ताव पास न कर दे।

(ख) जिस समिति ने विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की थी उसने समस्या का भलीभाँति अध्ययन किया था और उसने यह विचार व्यक्त किया था कि "ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना सेन केवल पहाड़ी लोगों के हितों की रक्षा होगी, बल्कि वस्तुतः इससे पहाड़ी और मैदानी लोगों के बीच एकता की भावना को बल मिलेगा।

**Nagas Trying to cross over to Pakistan**

3184. **Shri Ram Singh Ayarwal** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 100 Naga rebels were noticed trying to flee to East Pakistan near Koming in Tamenglong sub-division as reported in the 'Hindustan' dated the 10th November, 1967 ; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

**The Minister of the Home Affairs (Shri Y. B. Chavan)** : (a) The Government have no information to this effect.

(b) Does not arise.

**बाड़मेर क्षेत्र में सीमावर्ती सड़कें**

3185. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री 11 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5201 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाड़मेर क्षेत्र में सीमावर्ती सड़कों के निर्माण कार्य की प्रगति तेज करने के लिए और धन दिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो कितना ; और

(ग) सड़कों के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन)** : (क) जी, हाँ।

(ख) यद्यपि राजस्थान में उच्च प्राथमिकता प्राप्त सामरिक महत्त्व की सड़कों के निर्माण हेतु चालू वर्ष में 8.45 करोड़ रुपए की राशि नियत की गई है, परन्तु बाड़मेर क्षेत्र की सामरिक महत्त्व की सड़कों के निर्माण के लिये पृथक रूप से कोई राशि निर्यत नहीं की गई है।

(ग) बाड़मेर क्षेत्र की सामरिक महत्त्व वाली सभी सड़कों पर निर्माण कार्य चल रहा है। राज्य सरकार ने जो जानकारी दी है, उसके अनुसार कुल 417 मील लम्बी सड़क में से 122

मील सड़क बन चुकी है। एक अन्य 60 मील के टुकड़े पर काम पूरा हो चुका है तथा अन्य कई स्थानों पर निर्माण-कार्य चल रहा है।

**पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के भारत में निश्चित अवधि से अधिक ठहरने के विरुद्ध कार्यवाही**

3186. **श्री कामेश्वर सिंह :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 19 जुलाई, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 1232 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन 6510 पाकिस्तानियों के विरुद्ध, जो भारत में रहने की अपनी अवधि समाप्त हो चुकने के बाद भी यहाँ ठहरे हुए हैं। विदेशी व्यक्ति अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्लः)** (क) जी, हाँ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**कोचीन शिपयार्ड**

3187. **श्री कामेश्वर सिंहः**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री 27 जून, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 759 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या सरकार ने कोचीन शिपयार्ड के लियें उस समूची राशि की इस बीच मंजूरी दे दी है जिसकी तकनीकी कार्य संचालन दल ने उसके लिये सिफारिश की थी;

(ख) यदि हाँ, तो कुल कितनी राशि मंजूर की गई है; और

(ग) इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० बी० के० आर० बी० राव):** (क) और (ख) भारत सरकार इस बीच कोचीन शिपयार्ड परियोजना का अनुमोदन कर दिया है और उसपर 36 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान लगाया है और उसपर 5 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा भी खर्च आयेगी।

(ग) मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज से यह अनुरोध किया गया है कि वह अपने प्रतिनिधियों को सहयोग की शर्तों के अध्ययन के लिए नियुक्त करे और परियोजना में तकनीकी सहयोग के लिये कोई ऐसा समझौता तैयार करे, जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो। जैसे ही प्रारम्भिक कार्यवाहियाँ पूरी हो जायेंगी वैसे ही परियोजना पर निर्माण कार्य शुरू हो जायेगा।

**विदेशों में हवाई अड्डों पर सुविधाएँ**

3188. **श्री वेदव्रत बरुआ :**
**श्री देवकीनन्दन पाटोदिया:**
**श्री न० कु० सांघी :**
**श्री रा० रा० सिंह देव :**
**श्री य० अं० प्रसाद :**
**श्री धीरेन्द्रनाथ देव :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने विदेशों में महत्वपूर्ण हवाई अड्डों पर उपलब्ध सुविधाओं का पता लगाने के लिये मास्को, लन्दन और न्यूयार्क की हाल ही में एक अध्ययन यात्रा की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस बात पर समुचित ध्यान दिया गया है कि ऐसा करने से पहाड़ी लोग मैदानों में रहने वाले लोगों के साथ निकट सम्पर्क स्थापित करने के अवसर से वंचित रह जायेंगे ?

**शिक्षा मंत्री (श्री त्रिगुण सेन)** : (क) पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र, जिसमें नागालैण्ड, नेफा, मनीपुर तथा आसाम के पहाड़ी क्षेत्र सम्मलित हैं, के लिये एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि नागालैण्ड राज्य की विधान सभा भारत के संविधान 252 (एक) के अधीन इस आशय का एक प्रस्ताव पास न कर दे।

(ख) जिस समिति ने विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की थी उसने समस्या का भलीभाँति अध्ययन किया था और उसने यह विचार व्यक्त किया था कि "ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना सेन केवल पहाड़ी लोगों के हितों की रक्षा होगी, बल्कि वस्तुतः इससे पहाड़ी और मैदानी लोगों के बीच एकता की भावना को बल मिलेगा।

**Nagas Trying to cross over to Pakistan**

3184. **Shri Ram Singh Ayarwal** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 100 Naga rebels were noticed trying to flee to East Pakistan near Koming in Tamenglong sub-division as reported in the 'Hindustan' dated the 10th November, 1967 ; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

**The Minister of the Home Affairs (Shri Y. B. Chavan)** : (a) The Government have no information to this effect.

(b) Does not arise.

**बाड़मेर क्षेत्र में सीमावर्ती सड़कें**

3185. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री 11 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5201 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाड़मेर क्षेत्र में सीमावर्ती सड़कों के निर्माण कार्य की प्रगति तेज करने के लिए और धन दिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो कितना ; और

(ग) सड़कों के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन)** : (क) जी, हाँ।

(ख) यद्यपि राजस्थान में उच्च प्राथमिकता प्राप्त सामरिक महत्त्व की सड़कों के निर्माण हेतु चालू वर्ष में 8.45 करोड़ रुपए की राशि नियत की गई है, परन्तु बाड़मेर क्षेत्र की सामरिक महत्त्व की सड़कों के निर्माण के लिये पृथक रूप से कोई राशि निर्यत नहीं की गई है।

(ग) बाड़मेर क्षेत्र की सामरिक महत्त्व वाली सभी सड़कों पर निर्माण कार्य चल रहा है। राज्य सरकार ने जो जानकारी दी है, उसके अनुसार कुल 417 मील लम्बी सड़क में से 122

मील सड़क बन चुकी है। एक अन्य 60 मील के टुकड़े पर काम पूरा हो चुका है तथा अन्य कई स्थानों पर निर्माण-कार्य चल रहा है।

**पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के भारत में निश्चित अवधि से अधिक ठहरने के विरुद्ध कार्यवाही**

3186. **श्री कामेश्वर सिंह :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 19 जुलाई, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 1232 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन 6510 पाकिस्तानियों के विरुद्ध, जो भारत में रहने की अपनी अवधि समाप्त हो चुकने के बाद भी यहाँ ठहरे हुए हैं। विदेशी व्यक्ति अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल:)** (क) जी, हाँ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**कोचीन शिपयार्ड**

3187. **श्री कामेश्वर सिंह:**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री 27 जून, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 759 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या सरकार ने कोचीन शिपयार्ड के लिये उस समूची राशि की इस बीच मंजूरी दे दी है जिसकी तकनीकी कार्य संचालन दल ने उसके लिये सिफारिश की थी;

(ख) यदि हाँ, तो कुल कितनी राशि मंजूर की गई है; और

(ग) इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० बी० के० आर० बी० राव):** (क) और (ख) भारत सरकार इस बीच कोचीन शिपयार्ड परियोजना का अनुमोदन कर दिया है और उसपर 36 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान लगाया है और उसपर 5 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा भी खर्च आयेगी।

(ग) मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज से यह अनुरोध किया गया है कि वह अपने प्रतिनिधियों को सहयोग की शर्तों के अध्ययन के लिए नियुक्त करे और परियोजना में तकनीकी सहयोग के लिये कोई ऐसा समझौता तैयार करे, जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो। जैसे ही प्रारम्भिक कार्यवाहियाँ पूरी हो जायेंगी वैसे ही परियोजना पर निर्माण कार्य शुरू हो जायेगा।

**विदेशों में हवाई अड्डों पर सुविधाएँ**

3188. **श्री वेदव्रत बरुआ:** **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया:**
**श्री न० कु० सांघी:** **श्री रा० रा० सिंह देव:**
**श्री य० अं० प्रसाद:** **श्री धीरेन्द्रनाथ देव:**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने विदेशों में महत्वपूर्ण हवाई अड्डों पर उपलब्ध सुविधाओं का पता लगाने के लिये मास्को, लन्दन और न्यूयार्क की हाल ही में एक अध्ययन यात्रा की है;

(ख) यदि हाँ, तो इस अध्ययन से क्या अनुभव प्राप्त किया गया; और

(ग) उपयुक्त अध्ययन के परिणामस्वरूप भारत में विमान-यात्री सुविधाओं में किस प्रकार सुधार किए जाने की संभावना है?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह):**

(क) जी, हाँ। यात्रा के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य विदेशों में महत्वपूर्ण हवाई अड्डों पर उपलब्ध सुविधाओं से परिचित होना था।

(ख) उक्त अनुभव से यह मालूम हुआ कि पर्यटकों को अधिकाधिक संख्या में आकर्षित करने के लिये हमारे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर उनकी बनावट तथा उनपर उपलब्ध सुविधाओं, दोनों में काफी सुधार की आवश्यकता है।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अडडों के संभव विकास का एक विस्तृत अध्ययन अब श्री जे० आर० डी० टाटा की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा किया जा रहा है।

**महिला प्रत्याशियों के लिए ट्यूशन फीस**

3189. **श्रीमती द्वारकेश्वरी सिन्हा:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य विश्वविद्यालय महिला प्रत्याशियों से ट्यूशन फीस नहीं लेते;

(ख) यदि ऐसा है तो उन विश्वविद्यालयों की संख्या क्या है जिनमें महिलाओं की शिक्षा संबंधी उन्नति के लिए यह व्यवस्था की गई है;

(ग) क्या निःशुल्क शिक्षा के अतिरिक्त कुछ और भी ऐसी व्यवस्था है जो शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े समाज की महिलाओं की तरक्की के लिए की गई हैं; और

(घ) देश में इन विशिष्ट शिक्षा व्यवस्थाओं से लाभ उठाने वाली महिलाओं की अनुमानित संख्या क्या है?

**शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन):**

(क) और (ख) सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

(ग) लड़कियों की शिक्षा की उन्नति के लिये चौथी योजना में सम्मिलित किए गए निम्नलिखित कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने पर किए गए व्यय में 75% की सहायता भारत सरकार देती है:—

**स्कूल शिक्षा**

**राज्य क्षेत्र में सम्मिलित योजनाएँ**

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापिकाओं के लिए क्वार्टरों का निर्माण,

(ii) अध्यापिकाओं के लिए ग्राम-भत्ता;

(iii) लड़कियों के लिए हास्टलों का निर्माण;

(iv) लड़कियों के लिए शौचालयों का निर्माण;

(v) 'स्कूल माताओं' की नियुक्ति; और

(vi) मुफ्त पुस्तकों और वर्दियों की व्यवस्था, आदि।

**कालेज/विश्वविद्यालय शिक्षा**

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान)

(vii) महिलाओं के लिए होस्टिलों का निर्माण।

**तकनीकी शिक्षा (राज्य क्षेत्र)**

(viii) लड़कियों के लिए पोलिटेक्नीक की स्थापना।

(घ) सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

**जासूसी**

3190 **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1966-67 में कितने भारतीय राष्ट्रजन विदेशों के लिए जासूसी करते हुए पाये गये और उनमें से कितने सामान्य नागरिक थे और कितने सरकारी कर्मचारी; और

(ख) इस बढ़ते हुए खतरे को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

**गृह-कार्य-मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण):** (क) बारह राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जनवरी 1966 से अक्तूबर, 1967 के दौरान 8 भारतीय राष्ट्रजन, जिनमें 4 सरकारी कर्मचारी सम्मिलित हैं, विदेशों के लिए जासूसी करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार किए गए हैं। शेष राज्यों से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) देश में जासूसी सम्बन्धी गतिविधियों को रोकने के लिए पर्याप्त व्यवस्था मौजूद है।

**S. T. T. C. Members**

3191. **Shri Rajdeo Singh** : Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the term of office of most of the members of the Commission for Scientific and Technical Terminology is to expire shortly ; and

(b) if so, whether there is any proposal to extend their terms of office ?

**The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) :**

(a) Yes, Sir, the term of some members of the Commission is to expire shortly.

(b) The question of extension of the term of a member is decided on its merits, after taking into account all factors including the age of the member.

**Reorganisation of Commission for Scientific and Technical Terminology**

3192. **Shri Rajdeo Singh** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to reorganise the Commission for Scientific and Technical terminology to ensure its proper functioning ; and

(b) if so, the time by which this is likely to be done ?

**The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh** : (a) and (b) Yes Sir, the reorganization of some aspects of the working of the Commission for Scientific and Technical Terminology is under consideration. This will take some time.

**केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग पर खर्च की गई राशि**

3193. **श्री मोलहू प्रसाद:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की सिब्बंदी तथा अन्य मदों पर 1966–67 वर्ष में अलग-अलग कितनी राशि खर्च की गई; और

(ख) क्या यह राशि पिछले वित्त वर्ष की राशि से अधिक है और यदि हां, तो कितनी?

**शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह):**

(क) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की सिब्बंदी तथा अन्य मदों पर 1966–67 वर्ष में किए गए खर्च की राशि निम्नांकित है:–

| मद का नाम | खर्च की गई राशि | |
|---|---|---|
| | केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय | वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग |
| 1 | 2 | 3 |
| | रुपए | रुपए |
| अधिकारियों का वेतन | 2,38,450 | 4,29,795 |
| सिब्बंदी का वेतन | 4,06,106 | 4,48,317 |
| भत्ते तथा मानदेय आदि | 3,49,706 | 4,10,446 |
| अन्य व्यय | 60,509 | 80,196 |
| हिन्दी के प्रसार की योजनाएं तथा अन्य खर्च | 2,43,750 | 6,52,438 |
| | 12,98,521 | 20,21 192 |

निदेशालय तथा आयोग का कुल योग: 33,19,713 रुपए

(ख) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का 1966-67 का कुल 33,19,713, रुपए का कुल खर्च 1965-66 में इन दोनों संगठनों पर हुए खर्च से 10,66,405 रुपए ज्यादा है। 1965-66 के लिए इन दोनों संगठनों के खर्च से अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, उस वर्ष केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के नियंत्रण में केवल एक समान बजट था। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग को केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय से 1 अक्तूबर, 1965 से अलग किया गया था।

**प्रशासन में हिन्दी का प्रयोग**

3194. **श्री ओंकार गोयल**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रशासन में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिये सरकार की नवीनतम नीति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इस बारे में अब तक प्राप्त परिणाम इसके लिये पहले से निर्धारित तत्त्वों के अनुसार हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये सरकार का विचार क्या सक्रिय कार्यवाही करने का है?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य में (श्री विद्याचरण शुक्ल)**: (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1890/67]।

(ख) और (ग) निर्धारित लक्ष्यों को कभी-कभी पूरा नहीं किया जा सका है क्योंकि अभी तक केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाना संभव नहीं हो सका है।

(घ) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाने की गति को तेज किया जा रहा है और हिन्दी के प्रयोग के लिए सरकारी हिदायतों के पालन को सुनिश्चित करने के लिये प्रशासनिक उपाय किए जा रहे हैं।

**शेख अब्दुल्ला की रिहाई**

3195. **श्री मधु लिमये**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शेख अब्दुल्ला की रिहाई के बारे में कोई निर्णय कर लिया है;

(ख) क्या सरकार ने यह पता लगाया है कि काश्मीर और भारत पाकिस्तान सम्बन्धों के बारे में इस समय उनके क्या विचार हैं; और

(ग) क्या शेख अब्दुल्ला भारत और पाकिस्तान के महासंघ के प्रस्ताव का अब भी समर्थन करते हैं?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)**: (क) शेख अब्दुल्ला पर से प्रतिबन्ध हटाने के लिए कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) शेख अब्दुल्ला अब भी महासंघ के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं या नहीं, सरकार को इसका पता नहीं है।

**केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग पर खर्च की गई राशि**

3193. **श्री मोलहू प्रसाद**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की सिब्बंदी तथा अन्य मदों पर 1966–67 वर्ष में अलग-अलग कितनी राशि खर्च की गई; और

(ख) क्या यह राशि पिछले वित्त वर्ष की राशि से अधिक है और यदि हाँ, तो कितनी ?

**शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह)**:

(क) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की सिब्बंदी तथा अन्य मदों पर 1966–67 वर्ष में किए गए खर्च की राशि निम्नांकित है:–

| मद का नाम | खर्च की गई राशि | |
|---|---|---|
| | केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय | वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग |
| 1 | 2 | 3 |
| | रुपए | रुपए |
| अधिकारियों का वेतन | 2,38,450 | 4,29,795 |
| सिब्बंदी का वेतन | 4,06,106 | 4,48,317 |
| भत्ते तथा मानदेय आदि | 3,49,706 | 4,10,446 |
| अन्य व्यय | 60,509 | 80,196 |
| हिन्दी के प्रसार की योजनाएं तथा अन्य खर्च | 2,43,750 | 6,52,438 |
| | 12,98,521 | 20,21 192 |

निदेशालय तथा आयोग का कुल योग: 33,19,713 रुपए

(ख) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का 1966-67 का कुल 33,19,713, रुपए का कुल खर्च 1965-66 में इन दोनों संगठनों पर हुए खर्च से 10,66,405 रुपए ज्यादा है। 1965-66 के लिए इन दोनों संगठनों के खर्च से अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, उस वर्ष केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के नियंत्रण में केवल एक समान बजट था। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग को केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय से 1 अक्तूबर, 1965 से अलग किया गया था।

## प्रशासन में हिन्दी का प्रयोग

3194. **श्री ओंकार गोयल**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रशासन में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिये सरकार की नवीनतम नीति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इस बारे में अब तक प्राप्त परिणाम इसके लिये पहले से निर्धारित तत्त्वों के अनुसार हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये सरकार का विचार क्या सक्रिय कार्यवाही करने का है?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य में (श्री विद्याचरण शुक्ल)**: (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1890/67]।

(ख) और (ग) निर्धारित लक्ष्यों को कभी-कभी पूरा नहीं किया जा सका है क्योंकि अभी तक केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाना संभव नहीं हो सका है।

(घ) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाने की गति को तेज किया जा रहा है और हिन्दी के प्रयोग के लिए सरकारी हिदायतों के पालन को सुनिश्चित करने के लिये प्रशासनिक उपाय किए जा रहे हैं।

## शेख अब्दुल्ला की रिहाई

3195. **श्री मधु लिमये**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शेख अब्दुल्ला की रिहाई के बारे में कोई निर्णय कर लिया है;

(ख) क्या सरकार ने यह पता लगाया है कि काश्मीर और भारत पाकिस्तान सम्बन्धों के बारे में इस समय उनके क्या विचार हैं; और

(ग) क्या शेख अब्दुल्ला भारत और पाकिस्तान के महासंघ के प्रस्ताव का अब भी समर्थन करते हैं?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)**: (क) शेख अब्दुल्ला पर से प्रतिबन्ध हटाने के लिए कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) शेख अब्दुल्ला अब भी महासंघ के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं या नहीं, सरकार को इसका पता नहीं है।

**Candidates for Tribhuvan University**

3196. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many students in India who wanted to appear in the various examinations of the Tribhuvan University of Nepal, had to face great difficulty due to non-availability of forms in time ;

(b) if so, the action taken by Government in that regard ;

(c) whether Government have considered the policy in respect of allowing Indian students to appear in the examinations of foreign Universities as private candidates ;

(d) if so, the decision taken thereon ?

**The Minister of Education (Dr. Triguna Sen)** : (a) and (b) According to a newspaper report students in India who had applied to Tribhuvan University for forms for admission to various examinations did not get these well in advance. The Indian Embassy in Nepal, who took up the matter with the University authorities, was informed that immediate steps had been taken to despatch the forms to all the students whose applications had been received.

(c) No general policy has been adopted in respect of allowing Indian students to appear in the examinations of foreign Universities as private candidates.

(d) Does not arise.

**English as Optional Subject**

3197. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many States have decided to make English an optional subject rather than a compulsory subject ;

(b) whether any such proposal has been received from the Delhi Administration also ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

**The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad)** :

(a) As for as the Government of India is aware, so far only two States, viz. Uttar Pradesh and Bihar have taken decision to make English as an optional subject.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

**Library Facilities in Villages.**

3198. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Library facilities are totally absent in the villages in the country ; and

(b) if so, the steps taken to provide such facilities ?

**The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh)** : (a) and (b) Central Government gives grants to the public libraries catering to a population of atleast 50,000. Provision of library facilities in the villages is so far the concern of respective State Governments Union Territories.

### कानपुर विश्वविद्यालय को सहायता

3199. **श्री स० मो० बनर्जी**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कानपुर विश्वविद्यालय को बनाने के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है

(ख) यदि हाँ, तो अब तक कितनी रकम मंजूर की गई है;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी कुछ रकम दी है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसको कितनी रकम दी है ?

**शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :**

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) 31,322.73 रुपए (18-11-67 तक)

### I. A. S. and I. P. S. Officers

3200. **Shri Shiv Kumar Shastri : ... Shri Ram Avtar Sharma : Shri Raghubir Singh Shastri :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that most of the promoted I.A.S. and I.P.S. officers are posted on duty in the same State from which they are promoted to these services ; and

(b) whether this practice has contributed to the growth of regional feelings?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla ):**

(a) Yes, Sir. All the State Service officers promoted to the IAS/IPS against the promotion quota are allotted to the same State cadre. They may, however, serve under the Central Government or any other State Government on deputation.

(b) No Sir. We are not aware of this.

### नागालैंड किस्म के प्रशासन की मांग

3201. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अन्य भागों मे भी अपने क्षेत्रों के लिये नागालैण्ड किस्म के प्रशासन की माँग की है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन माँगों पर इस बीच विचार किया गया है और यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) और (ख) नागालैण्ड भारतीय संघ का एक राज्य है परन्तु संविधान के अनुच्छेद 371 (क) में उसके सम्बन्ध में कुछ विशेष उपबन्ध किए गए हैं। अन्य किसी राज्य के सम्बन्ध में ऐसा उपबन्ध करने के लिए कोई माँग नहीं की गई है ?

## छात्र संघों की मांगें

3202. **श्री रा० रा० सिंह देव :** **श्री य० म० प्रसाद :**
**श्री धीरेन्द्रनाथ देव :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय छात्र-संघों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन अगस्त, 1967 में दिल्ली में आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन के बुलाने का क्या प्रयोजन था; और

(ग) क्या देश में छात्र-संघों के मार्गदर्शन के लिए सांस्कृतिक संगठन बनाने के लिए कोई निर्णय किया गया है ?

**शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :**

(क) और (ख) भारत के विश्वविद्यालय छात्र-संघ के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा जो एक स्वैच्छिक संगठन है, अन्य बातों के साथ-साथ ग्रीष्मावकाश और खाली समय में राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रमों में छात्रों के योगदान, राष्ट्रीय एकता और अनुशासन तथा सही मूल्यों की भावना का संचार करने के संबंध में विचार करने के लिये सम्मेलन आयोजित किया गया था।

(ग) जी, नहीं। फिर भी इसके साथ-साथ शिक्षा आयोग ने सिफारिश की है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय को निश्चय करना चाहिये कि उनका छात्र संघ किस प्रकार कार्य करेगा।

## दिल्ली पुलिस द्वारा आन्दोलन

3203. **लाखनलाल गुप्त :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अप्रैल 1967 के आन्दोलन में दिल्ली पुलिस के कितने कर्मचारियों को गिरफ्तार कर दूरस्थ स्थानों में छोड़ा गया था;

(ख) आन्दोलन में भाग लेने वाले दिल्ली पुलिस के कितने कर्मचारी अभी तक लापता हैं;

(ग) क्या उनका पता लगाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) ।**

(क) कोई नहीं।

(ख) कोई नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

## दिल्ली पुलिस

3204. **श्री लाखन लाल गुप्त :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1966 के अन्त में दिल्ली में अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों की संख्या क्या थी और इस समय क्या है;

(ख) 1966 के अन्त में दिल्ली में तैनात राज्य पुलिस दलों आदि की संख्या क्या थी और अब उनकी संख्या क्या है; और

(ग) इन पर 1966 और 1967 में पृथक-पृथक वार्षिक कितना धन व्यय किया गया ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल):**

(क) 1966 के अन्त तक .. 14,615

31.10.1967 को 15,175

(ख) 1966 के अन्त पर .. 467

इस समय .. कोई नहीं।

(ग) राज्य सरकारों से अभी बिल प्राप्त नहीं हुए हैं। मासिक व्यय लगभग 84,080 रु० आता है।

**दिल्ली पुलिस आन्दोलन**

3205. **श्री लाखन लाल गुप्त :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अप्रैल, 1967 के आन्दोलन में भाग लेने वाले दिल्ली पुलिस के कितने कर्मचारियों के संदूकों, बिस्तरों तथा सामान की तलाशी ली गई थी;

(ख) क्या इन पुलिस कर्मचारियों की हाथ की घड़ियाँ, बटुए तथा अन्य वस्तुएँ ले ली गई थीं, और

(ग) यदि हाँ, तो उनकी संख्या क्या थी ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल):** (क) दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के सन्दूकों, बिस्तरों आदि की किसी भी अवस्था में तलाशी नहीं ली गई थी;

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

**Crimes Committed by Pakistanis on Indian Border Districts of West Bengal**

3206. **Shri Lakhan Lal Kapoor:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the number of cases of thefts of cattle, decoities, looting and murders committed by the armed plunderers, murderers and dacoits of East Pakistan in Chopra, Islampur, Goalpokhar, Chaklia and Karnadigdhi Thanas of West Bengal since January, 1967 to-date?

**The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan)** : A statement is placed on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-1891/67].**

**Martyr Hari Krishna**

3207. **Shri Shashibhushan Bajpai** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the entire record and the court judgement on the case of the martyr Hari Krishna, a fighter of the freedom struggle, who was awarded capital punishment on the charge of firing at the Governor of the Punjab at Lahore in 1930 are available in India ; and

(b) if so, the place where the same are kept and whether they are available for study by the research students at the National Archives?

**The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh):**

(a) and (b) Information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

**Assistance to the Family Members of Martyr Hari Krishna**

3208. **Shri Shashibhushan Bajpai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the family members of the Martyr Hari Krishna, who was awarded capital punishment on charge of firing at the Punjab Governor in 1930 at Lahore, had requested Government for assistance ; and

(b) if so, the action taken by Government in regard thereto?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)** : (a) and (b) If the Hon'ble Member could indicate the names and other details of the members of the family concerned, Government would be in a position to say whether any financial assistance has been given to them.

**Martyr Madan Lal Dhingra**

3209. **Shri Shashibhushan Bajpai** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the documents containing the court proceedings and a copy of the judgement in the case of Shri Madan Lal Dhingra, the figure of India's freedom struggle who was awarded capital punishment on the charge of committing murder of Sir Curzon Ville in London in 1908-1909 are available with the Government of India ; and

(b) if so, the office in which they are available?

**The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh)**:

(a) and (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

**Revolutionary Party in San Fransisco**

3210. **Shri Shashibhushan Bajpai** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the court proceedings, documents and the copies of the judgements or records in respect of cases against the members of the Revolutionary Party organised by the Indians in San Fransisco for freedom struggle are available in India ; and

(b) if so, the department in which they are available?

**The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh)**:

(a) and (b) A photostat copy of the Court proceedings and judgement is available with the History of Freedom Movement Unit of the Ministry of Education.

**क्रान्तिदल के परिवार सदस्यों को सहायता**

3211. **श्री शशि भूषण वाजपेयी:**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जिन स्वतन्त्रता सेनानियों ने 1918–19 में सन फ्रांसिसको में क्रान्तिकारी दल संगठित किया था क्या उनके परिवार के सदस्यों ने सरकार से वित्तीय सहायता माँगी है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन्हें माँगी गई सहायता दे दी गई है?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)**: (क) और (ख) यदि माननीय सदस्य सम्बन्धित परिवारों के सदस्यों के नाम और अन्य ब्यौरा दे देते तो हम यह बताने की स्थिति में हो जाते कि क्या उनको कोई वित्तीय सहायता दी गई है।

**दिल्ली में चोरी की घटनाएं**

3212. **श्री स० चं० सामन्त:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली में चोरी की घटनाओं के बहुत बढ़ जाने की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो नए अपराधों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या यह सच है कि इन अपराधों के पीछे पुलिस कर्मचारियों का हाथ होता है; और

(घ) दिल्ली और नई दिल्ली में 1966–67 में और अप्रैल, 1967 से जुलाई तक चोरी की कितनी घटनाएं हुई और कितने मामलों में अपराधियों को पकड़ा गया और उन्हें सजा दी गई और कितने मामलों में अपरावी अभी फरार हैं?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल):** (क) दिल्ली में चोरियों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) दिल्ली में चोरी की घटनाओं को कम करने के लिये निम्न कदम उठाये गए हैं:–

(एक) स्थानीय पुलिस द्वारा सूचित गुण्डों और चोरों पर कड़ी निगरानी रखा जाना।

(दो) चोरी की अधिक घटनाओं वाले क्षेत्रों में पुलिस की गश्त का तेज किया जाना।

(तीन) अपराधिक दण्ड संहिता के अन्तर्गत आवधिक कार्यवाही।

(चार) सम्पत्ति के अपराधों को कम से कम करने के लिये नाकाबन्दी का किया जाना।

(पाँच) घरेलू नौकरों के पंजीकरण के लिये गहन आन्दोलन।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०** 1892/67]।

**मणिपुर के गैर-सरकारी कालेजों को अनुदान**

3213. **श्री मेघचन्द्र**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1966–67 और 1967–68 के दौरान कालेजवार मणिपुर के गैर सरकारी कालेजों को मणिपुर सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों की राशि कितनी है;

(ख) क्या किसी कालेज ने अनुदान की उच्च राशि के लिए मणिपुर सरकार से पत्र-व्यवहार किया था; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके ब्यौरे क्या हैं?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद):** (क) से (ग) मणिपुर प्रशासन से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**सीमा क्षेत्रों में सीमावर्ती सड़क परियोजना**

3214. **श्री सा० कुन्दू:** **श्री लक्ष्मण लाल कपूर:**

**श्री मोहन स्वरूप:**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर भारत के सीमा क्षेत्रों में सीमावर्ती सड़क परियोजना के निर्माण के लिए कितना धन मंजूर किया गया है

(ख) राज्यवार कितने मील लम्बी सड़कें बनाने की परियोजना है; तथा उसमें से कितनी पूरी हो चुकी हैं;

(ग) क्या सरकार को इन सड़कों को बनाने वाले कुछ ठेकेदारों के विरुद्ध जिन्होंने विशिष्ट विवरणों के अनुसार ईंटें और पत्थर सप्लाई नहीं किए हैं, शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इन ठेकेदारों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन)**: (क) परियोजना की अनुमानित लागत 111 करोड़ रु० है जबकि अब तक मंजूर की गई राशि अनुमानतः 68.12 करोड़ रु० है।

सीमावर्ती सड़क की राज्यवार कुल लम्बाई इस प्रकार है:—

| | | |
|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश | 680 | किलोमीटर |
| बिहार | 619 | ,, |
| पश्चिम बंगाल | 147 | ,, |
| आसाम | 99 | ,, |
| | .... | ..... |
| कुल | 1545 | ,, |

इसमें से 683 किलोमीटर नवीन निर्मित होगी और शेष 862 किलोमीटर लम्बी वर्तमान सड़कों में सुधार किया जायेगा। अब तक बिहार में मुजफ्फरपुर—बरौनी सेक्शन की 109 किलोमीटर लम्बी 2 लेनों को चौड़ा किया गया है। उत्तर प्रदेश में कैसिया-पड़रौना लिंके रोड (17 किलोमीटर) और बिहार में फोरवेस गंज—मरीसा सैक्शन को छोड़ कर सीमावर्ती सड़कों के सभी सेक्सनों पर काम चालू है।

(ग) और (घ) सीमावर्ती सड़कों से सम्बन्धित सारा निर्माण कार्य राज्यों के अपने-अपने सार्वजनिक निर्माण विभागों द्वारा किया जा रहा है। अपेक्षित जानकारी प्राप्त की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभापटल पर रख दी जायेगी।

**मध्य प्रदेश में डकैतियां**

3215. **श्री नीतिराज सिंह**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बढ़ती हुई डकैतियों तथा डाकुओं द्वारा हत्याएं और मनुष्यों के अपहरण के कारण उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान से लगते क्षेत्रों में असुरक्षा तथा आतंक बढ़ रहा है उसका सरकार को पता है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस आतंक को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)**: (क) मध्य प्रदेश सरकार ने सूचना दी है कि मध्यप्रदेश में कोई बढ़ती हुई असुरक्षा नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा जांच**

3216. **श्री चेंगलराया नायडू**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय जाँच विभाग ने इस वर्ष में अब तक सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कितनें मामलों में जाँच आरम्भ की है; और

(ख) कितने मामलों में जाँच पूरी हो गई; और

(ग) कितने मामलों में जाँच अभी की जानी है?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण)** : (क) जनवरी-अक्तूबर 1967 के दौरान सरकारी कर्मचारियों से सम्बन्धित 1680 मामलों में केन्द्रीय जाँच विभाग की विशेष पुलिस स्थापना डिवीज़न ने जाँच आरम्भ की है।

(ख) अक्तूबर, 1967 के अन्त तक जाँच पूरी होने के बाद 617 मामले निपटाये गए थे।

(ग) अक्तूबर, 1967 के अन्त पर 1063 मामले अनिर्णीत पड़े थे।

**राज्यपाल के सैनिक सचिव**

3217. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हरियाना सरकार ने अपने राज्य के राज्यपाल को एक सैनिक सचिव अथवा अंगरक्षक न दिए जाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के निर्णय के प्रति विरोध प्रकट किया है

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) हरियाणा के राज्यपाल को सैनिक सचिव न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या किसी अन्य राज्यपाल को भी सैनिक सचिव नहीं दिया गया है?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)**: (क) से (ग) राज्यपाल के साथ सैनिक सचिव के रूप में सेना के एक अधिकारी की प्रतिनियुक्ति के लिये हरियाना सरकार से एक प्रार्थना प्राप्त हुई थी। प्रार्थना पर विचार किया गया था और इस बीच चयन करने के लिए राज्यपाल को नामों की एक तालिका भेजी गई है।

(घ) पंजाब के राज्यपाल का पृथक सैनिक सचिव है। मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यपालों के सचिव सैनिक सचिवों के रूप में भी काम करते हैं। अन्य किसी राज्यपाल के पास सैनिक सचिव नहीं है।

**सुबर्ण रेखा नदी (उड़ीसा) पर पुल**

3218. **श्री स० कुण्डू**: क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में सुबर्णरेखा नदी पर पुल के बन जाने पर कलकत्ता को जाने वाले राष्ट्रीय राजपथ संख्या 5 की दूरी लगभग 80 मील कम हो जायेगी;

(ख) क्या यह भी सच है कि उड़ीसा सरकार ने इस पुल के बनाने के सम्बन्ध में सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसे बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन)** : (क) जी, नहीं। यदि कटक से कलकत्ता को जाने वाला यातायात राष्ट्रीय राजपथ संख्या 5 की बजाय बलसोर-खड़गपुर राज्य सड़क को प्रयोग करे तो फासिले में कमी लगभग 40 मील की होगी।

(ख) जी नहीं।

(ग) सुवर्णरेखा नदी पर प्रस्तावित पुल एक राज्य सड़क पर पड़ता है। अतः उड़ीसा की सरकार इसके निर्माण से मुख्य रूप से सम्बन्धित है। फरवरी, 1966 में भारत सरकार ने इस परियोजना के सर्वेक्षण के लिये 12,400 रु० की अनुदान सहायता मंजूर की थी। सर्वेक्षण इस बीच पूरा हो गया हैं। चतुर्थ योजना के आवंटनों को अन्तिम रूप देने के पश्चात् ही, इस पुल के लिये राज्य सरकार की सहायता अनुदान की प्रार्थना पर निर्णय किया जायेगा।

**शिक्षा मंत्रालय का पुनर्गठन**

3219. **श्री चेंगलराया नायडू**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा मंत्रालय का हाल ही में पुनर्गठन किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

**शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन)**: (क) जी, हाँ।

(ख) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है। (**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1893/67**)

**मणिपुर कन्टोन्मेण्ट का कांगला स्मारक**

3220. **श्री मेघचन्द्र**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इम्फाल कन्टोन्मेंट में निक्षिप्त काँगला के महत्वपूर्ण तथा एतिहासिक मूल्यवान भागों को उपेक्षित रूप से छोड़ दिया गया है और वे नष्ट भ्रष्ट होते जा रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उन्हें सुरक्षित रखने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह)** :

(क) और (ख) इस स्मारक को उन राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के बराबर नहीं माना गया है जो इतने महत्वपूर्ण हों जिन्हें केन्द्रीय संरक्षण में रखा जाए। इसलिए भारत सरकार का इनके संरक्षण से कोई सम्बन्ध नहीं है।

**संथाल परगना में विदेशी ईसाई मिशन**

3223. **श्री वेणी शंकर शर्मा**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1947 से किन-किन देशों के कितने-कितने विदेशी ईसाई मिशन सन्थाल परगना में कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या गत वर्ष वहाँ भूख से उत्पन्न स्थिति के कारण सन्थालों को ईसाई बनाने के बारे में उनकी गतिविधियों में कोई वृद्धि हुई है;

(ग) पिछले पाँच वर्षों में कितने लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया;

(घ) क्या गत वर्ष जब सूखे की स्थिति थी इन मिशनों ने अथवा अन्य किन्हीं मिशनों ने भागलपुर जिलों में काशोरिया तथा अन्य थानों के अन्तर्गत पास वाले आदिवासी गाँवों में भी अपना कार्य तेज कर दिया था, जहाँ ये मिशन पहले कभी भी सक्रिय नहीं रहे थे?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) से (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

**विशाखापत्तनम से लोह अयस्क का निर्यात**

3224. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेलाडिल्ला निक्षेपों से निकलने वाले लोह अयस्क की वर्तमान मात्रा को निर्यात करने के लिये विशाखापत्तनम पत्तन की क्षमता पर्याप्त है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या लोह अयस्क का निर्यात करने के लिये पूर्वी तट पर एक नया पत्तन बनाने की संभावना पर सरकार ने विचार किया है;

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसा पत्तन कब तक बन जाने की आशा है ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :** (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) विशाखापत्तनम से बेलाडिल्ला का 60 लाख टन लोह अयस्क प्रतिवर्ष निर्यात करना निश्चित किया गया है और इसके अतिरिक्त मात्रा के निर्यात के लिये दूसरे पत्तन के विकास करने के प्रश्न की तकनीकी जाँच की जा रही है।

(घ) अभी यह बताना संभव नहीं है कि दूसरे पत्तन का निर्माण कब होगा। तकनीकी जाँच के पूरा होने के बाद ही राय बताना संभव होगा ?

**उड़ीसा में पर्यटन**

3225. **श्री चिन्तामणि पाणिग्राही :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में उड़ीसा में पर्यटन के विकास के लिये कितनी स्कीमें प्रवर्तित कीं और उनके ब्यौरे क्या हैं; और

(ख) चौथी पंचवर्षी योजना में कौन-कौन सी स्कीमें प्रारम्भ की जानी हैं ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :**

(क) दूसरी और तीसरी योजनाओं की अवधि में भुवनेश्वर, कोणार्क, रंभा और पुरी में पर्यटकों के लिये आवास सुविधायें प्रदान करने के लिये छह स्कीमें प्रवर्तित की गयी थीं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

**भाग I के अंतर्गत स्कीमें (केन्द्रीय स्कीमें)**

1. कोणार्क में एक पर्यटक बंगले (श्रेणी 1) का निर्माण।
2. भुवनेश्वर में एक पर्यटक बंगले (श्रेणी 1) का निर्माण।

**भाग II के अन्तर्गत स्कीमें (जिनका व्यय केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन किया गया**

1 और 2 पुरी और भुवनेश्वर में पर्यटक बंगलों (श्रेणी II) का निर्माण।

3. पुरी में पर्यटक बंगले (श्रेणी II) का विस्तार।
4. रंभा में पर्यटक बंगले (श्रेणी II) का निर्माण।

(ख) उड़ीसा में पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में निम्न-लिखित स्कीमें प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है :—

**भाग स्कीमें (केन्द्रीय स्कीमें)**

1. कोणार्क में पर्यटन सुविधाओं का समेकित विकास **भाग II स्कीमें** (जिनका व्यय केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जायेगा)

1. उदयगिरि, ललितगिरि, रत्नगिरि काम्प्लेक्स का विकास (पर्यटक बंगले व कैंटीनें)
2. भुवनेश्वर और कोणार्क में पर्यटक बंगलों (श्रेणी II) का विस्तार तथा इन स्थानोंपर स्टाफ क्वार्टरों का भी निर्माण।
3. चिल्का झील पर मनोरंजन सुविधाओं की व्यवस्था।
4. हीराकुंड पर पर्यटकों के लिये आवास सुविधाओं का आयोजन।
5. भुवनेश्वर में मंदिरों व स्मारकों का विकास व सुधार।

**दिल्ली में डाकघर के माध्यम से सड़क कर की वसूली**

3226. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ चुनीदा डाकघरों के माध्यम से सड़क पर वसूल करने के प्रस्ताव पर दिल्ली प्रशासन ने विचार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन डाकघरों में इस सुविधा की व्यवस्था की जायेगी?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन):**

(क) और (ख) मामला दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है।

**वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के लिए लाइसेंस**

3227. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के आविष्कारों से लाभ उठाने के लिए अब तक कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(ख) लाइसेंसों की संख्या जिनको सरकार द्वारा व्यवहार में लाया गया है; और

(ग) क्या सरकार ने विदेशी अनुसंधान संस्थाओं के सहयोग की संभावनाओं पर विचार किया है जिसमें इस संबंध में विशेषज्ञों की अदला-बदली भी शामिल है?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद):**

(क) अक्तूबर, 1967 के अन्त तक 415 लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं।

(ख) चार ।

(ग) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा विदेशी अनुसंधान संस्थानों के साथ निम्नलिखित करार किए जा चुके हैं:—

(1) औषध: प्रभाव: वैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक और रासायनिक योगिकों तथा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, लखनऊ, रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी, हैदराबाद और रीजनल रिसर्च लैबोरेटरी, जम्मू द्वारा प्राप्त किए गए प्राकृतिक सारों की लाक्षणिक जाँच-पड़ताल करने के लिये रिकर लैबोरेटरीज, कैलीफोर्निया के साथ किया गया लाईसेंस और विकल्प करार।

(2) इन्सटीट्यूट फ्रांसे पेट्रोल, पेरिस (आई० एफ० पी०) के साथ निम्नलिखित के लिए किए गए दो करार :—

(i) हाइड्रोकार्बन कट्स और सहचारी अवधंन प्रक्रिया द्वारा पैदा किए गए अणुजीवों से संलिष्ट खाद्य-पदार्थ तैयार करने के लिये; और

(ii) भारत में हाइड्रोडिसल्फराइजेशन प्रक्रिया के विकास के लिए। प्रथम करार में विशेषज्ञों की अदला-बदली और आई० एफ० पी० पेरिस में भारतीय वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

**केन्द्रीय सनकर्ता आयोग**

3229. **श्री राम चरण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग केन्द्रीय सतर्कता अधिकारियों को निम्न मामलों में अपना विशेषज्ञ परामर्श देता है;

(एक) भ्रष्टाचार सम्बन्धी मामलों की जाँच पड़ताल करना,

(दो) भ्रष्टाचार सम्बन्धी नियमों/विनियमों और विधियों का निर्वचन;

(ख) क्या यह आयोग अपने परमर्शजन्य टिप्पणों के साथ निर्णयों का परिचालन करके केन्द्री सतर्कता अधिकारियों को न्यायिक विचारधारा की नवीनतम स्थिति से अवगत कराता रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या ऐसा करने के परिणामस्वरूप ऐसे मामलों की संख्या कम हो गई है, जो प्रक्रियागत दोषों के कारण न्यायालयों में सफल नहीं हो पाते?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण)** : (क) जी हाँ, जहाँ पर आवश्यक है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**मैसूर में नये हवाई अड्डों का निर्माण**

3230. **श्री अगाड़ी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री लिखित प्रश्न संख्या 3725 के 27 जून, 1967 को दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पर्यटन यातायात के लिए हास्सन, बीजापुर और हॉस्पेट में नए हवाई अडडों के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इनमें से प्रत्येक हवाई अड्डे की कुल अनुमानित लागत क्या-क्या होगी;

(ग) क्या निर्माण कार्य किसी स्टेट एजेंसी ने आरम्भ किया है या वे हवाई अड्डे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाये जा रहे हैं; और

(घ) निर्माण कार्यों के कब तक समाप्त होने की संभावना है?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह)** : (क) हास्सन में अच्छे मौसम की एक हवाई पट्टी का निर्माण-कार्य चल रहा है। बीजापुर और हॉस्पेट में हवाई अड्डों के निर्माण का प्रश्न विचाराधीन है।

(ख) हास्सन में अच्छे मौसम की एक हवाई पट्टी के निर्माण की अनुमानित लागत लगभग 11 लाख रुपए है और बीजापुर में सभी मौसमों के हवाई अड्डों के निर्माण की अनुमानित लागत लगभग 43.55 लाख रुपए है। हॉस्पेट में एक हवाई पट्टी के लिए प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) हास्सन में अच्छे मौसम की हवाई पट्टी का निर्माण-कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा नहीं। इस निर्माण-कार्य के 1968 के अन्त तक पूरा हो जाने की संभावना है।

**Tailoring and Embroidery in Delhi Schools**

3231. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of schools in Delhi which have got facilities for tailoring and embroidery;

(b) the number of teachers appointed as per the standard fixed by the Central Boards of Secondary Education for this programme ; and

(c) the steps being taken by Government to make these facilities available in those schools where they are not available at present ?

**The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad)** :

(a) to (c) Tailoring and/or Embriodery is taught under the subjects "Domestic Science" and "Crafts" in the Middle Departments of all the 164 Girls Schools. Domestic Science is an optional subject in the Higher Secondary Department, about of 100 Girls Schools where more knowledge about tailoring and embriodery is given. There are no separate teachers for tailoring and or embriodery in these schools, because the Domesitc Science teachers are competent to handle these branches also.

**अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी का प्रचार**

3232. **वि० ना० शास्त्री** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी सिखाने तथा उसे लोकप्रिय बनाने के लिये केन्द्रीय सहायता का रूप और विस्तार क्षेत्र क्या है ;

(ख) गत वित्तीय वर्ष के राज्यवार ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) क्या इसके पुनरीक्षण के लिए कोई योजना है?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह)** :

(क) अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी सिखाने और उसे लोकप्रिय बनाने के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता का रूप तथा विस्तार क्षेत्र नीचे दिया गया है:

(i) मिडिल, उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति तथा हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों की सरकारों को 100 प्रतिशत आधार पर अनुदान दिए जाते हैं।

(ii) स्वीकृत योजनाओं पर खर्च का 75 प्रतिशत तक हिन्दी सिखाने तथा उसे लोकप्रिय बनान के लिए स्वेच्छिक हिन्दी संस्थाओं को अनुदान दिए जाते हैं।

(iii) मैट्रिकोत्तर स्तर पर हिन्दी के अध्ययन के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों से संबंधित छात्रों के लिये छात्रवृत्तियों का अनुदान।

(iv) हिन्दी में पुस्तकें लिखने के लिए अहिंदी भाषी राज्यों के विद्वानों को पुरस्कार दिए जाते हैं।

(v) हिन्दी-लेखकों के सेमिनार और विद्यार्थियों के मेले इत्यादि का आयोजन।

(vi) हिन्दी पुस्तकों की मुफ्त भेंट।

(ख) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है (**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1894/67**)।

(ग) जी, नहीं।

**आई० ए० सी० और एयर इण्डिया में फालतू कर्मचारी**

3233. **श्री म० सुबर्शनम्**: क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इस समय आई० ए० सी० और एयर इण्डिया में सभी संवर्गों में फालतू कर्मचारी हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)**: (क) और (ख) दोनों एयर कार्पोरेशनों ने सूचित किया है कि उनके पास कोई भी कर्मचारी फालतू नहीं हैं।

**एयर इण्डिया के माध्यम से पर्यटन विषयक प्रचार**

3234. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का एयर इण्डिया के द्वारा प्रचार प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका मोटा-मोटा ब्यौरा क्या है?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)**: (क) और (ख) यूरोप में भारत के लिये पर्यटन विषयक प्रचार के मामले में एयर इण्डिया के साथ अधिक घनिष्ठ सहयोग का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

**त्रिभाषा का फारमूला**

3235. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्कूल शिक्षा और समाज शिक्षा की स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित स्कूलों के लिए संशोधित त्रिभाषा फार्मूले पर विचार किया जा चुका है;

(ख) यदि ऐसा है तो उसके क्या परिणाम हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाए गए?

**शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन)**: (क) से (ग) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 22 और 23 अगस्त, 1967 को नई दिल्ली में हुए अपने 33वें अधिवेशन में स्कूल शिक्षा और समाज शिक्षा की अपनी स्थायी समिति की सिफारिशों पर एजेंडा के भाग के रूप में विचार किया। बोर्ड ने अपने अध्यक्ष को इस बात के लिए प्राधिकृत किया कि वह बैठक में हुए विचार-विमर्श को ध्यान में रखकर शिक्षा की राष्ट्रीय नीति का एक मसौदा विवरण तैयार करें। इस सम्बन्ध में अन्तिम निश्चय लोक सभा में शिक्षा आयोग की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श होने के बाद किया जाएगा।

**शिक्षा संस्थाओं का अखिल भारतीय संघ**

3236. **श्री वी० चं० शर्मा**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिक्षा संस्थाओं के अखिल भारतीय संघ ने देश भर के अध्यापकों के लिए एक समान सेवा-शर्तों की मांग की थी;

(ख) क्या सरकार ने मांग पर विचार किया है; और

(ग) यदि ऐसा है तो उसके संबंध में उसकी क्या प्रतिक्रिया है?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद)**:

(क) से (ग) विविध क्षेत्रों से यह मांग प्राप्त हुई है किन्तु देश के सभी भागों मे सेवा की समान शर्तें लागू करना केन्द्र सरकार के लिए व्यवहारिक नहीं पाया गया है। शिक्षा राज्य का विषय होने के कारण अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में अध्यापकों के लिए सेवा की शर्तें निर्धारित करने की जिम्मेदारी मूलतः राज्य सरकारों की है।

**अभियान में कांग्रेस दल के अध्यक्ष के विरुद्ध विदेशी दूतावासों का योगदान**

3237. **श्री वी० चं० शर्मा**:

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कांग्रेस दल के अध्यक्ष की श्री कामराज के विरुद्ध चुनाव अभियान के सयोजकों तथा कुछ विदेशी दूतावासों के बीच कथित सहयोग के बारे में अग्रेतर जाँच की है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करनें का विचार है?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण)**: (क) जी, हाँ।

(ख) इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि श्री कामराज के विरुद्ध चुनाव अभियान के संयोजकों और विदेशी दूतावास में कोई सहयोग था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**अन्डमान में डीजल के चलने वाले वाटर पम्प**

3238. **श्री गणेश** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 28 जून, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 3929 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता की फर्म ने इंजनों के स्थान पर नए इंजन दे दिए हैं;

(ख) क्या अन्दमान लोक निर्माण विभाग ने इन इंजनों का निरीक्षण करने के लिये 17 और 20 फरवरी, 1967 को अन्दमान प्रशासन के एक भूतपूर्व अधिकारी को पत्र लिखे थे;

(ग) उस भूतपूर्व अधिकारी ने यदि कोई निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की है तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि हाँ, तो क्या उसने इंजनों में कोई दोष बताये हैं?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** :

(क) इंजनों के शीघ्र बदले जाने की आशा है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) अन्दमान वन विभाग में भूतपूर्व ट्रैक्टर इंजीनियर श्री डी० बी० किंग के प्रतिवेदन की एक प्रति सभापटल पर रखी जाती है। [पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 1895/67]।

(घ) अन्दमान प्रशासन के परिवहन अधिकारी से इन इंजनों का निरीक्षण करने के लिये नहीं कहा गया था।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**अन्दमान के प्लाईवुड का नौवहन**

3239. **श्री गणेश :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जुलाई से अक्तूबर, 1967 के बीच अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न भागों में कुल कितना प्लाईवुड जमा हो गया था;

(ख) क्या इसका कारण यह है कि निर्यात के लिये उस उद्योग को जहाजों में कम स्थान दिया गया;

(ग) क्या उसके बारे में प्लाईवुड उद्योग की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० बी० के० आर० बी० राव):**

(क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

(घ) शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड शीघ्र ही एक पुराना जहाज द्वीपों से इमारती लकड़ी लाने के लिए प्रयोग करेगी। इसके अतिरिक्त यात्री एवं मालवाहक जहाज एम० वी० 'निकोबार' को मालवाहक जहाज में बदल दिया गया है। इससे भी कुछ सुविधा होगी।

**अण्दमान राजकीय परिवहन विभाग**

3240. **श्रीगणेश :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री 28 जून, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 3928 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्दमान राजकीय परिवहन विभाग के टिकटों के गायब हो जाने के मामले में जाँच इस बीच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो जाँच पूरी होने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :** (क) से (ग) मामले में पुलिस की जाँच पूरी हो गई है और प्रतिवेदन 28 अक्तूबर, 1967 को अन्दमान के परिवहन विभाग में प्राप्त हुआ था। मामले पर अग्रेतर विभागीय जाँच हो रही है उसमें कुछ समय लगता है।

**केन्द्रीय माध्यमिक स्कूल, अन्दमान निकोबार द्वीपसमूह**

3241. **श्री रा० कृ० सिन्हा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक स्कूल, अन्डमान निकोबार द्वीपसमूह में शिक्षा का माध्यम हाल ही में बदल दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या परिवर्तन के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद)**: (क) और (ख) शिक्षा के माध्यम के बारे में कुछ गलत फहमी थी, उसे हाल ही में स्पष्ट कर दिया गया है।

(ग) और (घ) अभ्यावेदन (क) और (ख) के अन्तर्गत उल्लिखित गलतफहमी तथा स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में हैं।

**U. S. S. R. Scholarships for Students from Madhya Pradesh**

3242. **Shri G. C. Dikit** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of students from Madhya Pradesh who applied for U.S.S.R. scholarships since 1952 ; and

(b) the number of applicants out of them who were sanctioned these scholarships ?

**The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh)** :

(a) State-wise statistics in respect of the applications for the scholarhsips are not maintained as the selections are made on merit on all India basis.

(b) U.S.S.R. Postgraduate Scholarships were instituted in 1957-58 and since then 10 applicants from Madhya Pradesh have been selected. From the year 1961-62 the Peoples' Friendship (Patrice Lumumba) University, Moscow, has been offering Scholarships for Aspirantura/Diploma courses and for these courses 8 applicants from M.P. have been selected. Thus 18 applicants from M. P. have been selected for U.S.S.R. Scholarships.

**Asirgarh Fort in Madhya Pradesh**

3243. **Shri G. C. Dikit** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Asirgarh Fort considered to be one of the most important forts in Asia and a temple of Shiva and a mosque there situated in East Nimar District Madhya Pradesh are protected monuments ; and

(b) if so, the amount spent so far on the maintenance of the aforesaid monuments and the steps proposed to be taken to improve their condition ?

**The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh)** : (a) Yes, Sir.

(b) Rs. 3301 has been spent on maintenance and urgent repairs to these monuments during the four years from 1964-65 to 1967-68. No large scale repairs to the monuments are contemplated for the present but essential repairs will be carried out within the funds available.

**गृह-मंत्री का अन्दमान का दौरा**

3244. **श्री गणेश**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह के वन विभाग के चीफ कंजरवेटर की एक स्टेशन वैगन, जो गत नवम्बर के आरम्भ में गृह मंत्री के उन द्वीपों के दौरे के सम्बन्ध में प्रयोग लाये जाने हेतु दी गई थी, में तोड़-फोड़ करने की कोशिश की गई थी ;

(ख) परिवहन अधिकारी को इस तथ्य का पता कब लगा था और मुख्यायुक्त को इसकी सूचना कब दी गई थी ।

(ग) क्या इस स्टेशन वैगन का पूरा इंजन निकाल दिया गया था; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल):**

(क) से (घ) अन्दमान वन विभाग का एक स्टेशन वैगन 27-8-1966 से मरम्मत के लिए परिवहन वर्कशाप में पड़ा था। पुर्जों की कमी के कारण काम शीघ्र पूरा नहीं किया जा सका। क्योंकि संघीय गृह मंत्री के दौरे के सम्बन्ध में इस गाड़ी की आवश्यकता थी इसलिये इसे प्राथमिकता देकर ठीक कर दिया गया था। 31 अक्तूबर, 1967 को इसका परीक्षण किया गया। तीन किलोमीटर चलने के पश्चात् इसमें कुछ आवाज सुनाई दी और इसे वापस वर्कशाप ले आया गया। यह देखा गया कि इंजन का तेल कुछ ब्रेल्जिव पेस्ट से मिल गया और इंजन के पुर्जों को क्षति पहुँची। परिवहन वर्कशाप के चार्जमैन मोटर मकैनिक ने शक किया कि यह तोड़फोड़ का मामला है। उसने उन दो मिस्त्रियों पर शक किया, जिनको उनके असंतोषजनक काम के कारण इस गाड़ी को ओवरहाल करने के काम पर से हटाया गया था। प्रारम्भिक विभागीय जाँच के पश्चात् पुलिस अधीक्षक को 9 नवम्बर, 1967 को एक विस्तृत प्रतिवेदन दिया गया था। मामला उसी दिन दर्ज किया गया और उसपर पुलिस की जाँच जारी है। कथित दो मिस्त्रियों को गिरफ्तार किया गया और जमानत पर छोड़ दिया गया। कथित गाड़ी को उचित मरम्मत करके 3 नवम्बर, 1967 को वन विभाग को दे दिया गया था।

परिवहन अधिकारी को इस घटना की जानकारी 31 अक्तूबर, 1967 को मिली और मुख्यायुक्त को 9 नवम्बर, 1967 को।

**Gherao in Delhi University**

3245. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the students of the University of Delhi gheraoed the Executive of the University as reported in the **Hindustan** on the 8th September, 1967 ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action taken by Government in this respect ?

**The Minister of Education (Dr. Triguna Sen)** :

(a) Yes, Sir.

(b) The students wanted the Delhi University to re-introduce Third Division in M.A. and to award M.A. degrees with retrospective effect to students who had failed to secure 50% marks in the examinations held in 1966 and 1967 but had secured between 40 and 50 per cent marks.

(c) On the University's explaining its inability to accede to the students' demands, they withdrew the agitation. No action was called for on the part of the Government.

**अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी का प्रचार**

3246 **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के प्रसार कार्य में लगी संस्थाओं की संख्या कितनी है तथा उन राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान इन संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ग) इस अवधि में केन्द्रीय सरकार द्वारा उनपर कितनी राशि खर्च की गई?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह)** :

(क) हिन्दी के प्रसार के लिए चार दक्षिणी राज्यों को पिछले दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा जिन स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को वित्तीय सहायता दी गई थी उनका राज्य वार ब्यौरा निम्नांकित है :—

| | |
|---|---|
| 1. आन्ध्र प्रदेश | 19 |
| 2. केरल | 8 |
| 3. मद्रास | 4 |
| 4. मैसूर | 39 |

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी-जाएगी।

(ग) 11,84,539.00 रुपए।

**Payment of Night Duty Allowance**

3247. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to grant night duty allowance to door-keepers, guards and watchmen in Government service who render night duty ;

(b) if so the reasons therefor ;

(c) whether Government have made arragements for their residential accommodation near their places of duty ; and

(d) whether it is also a fact that **chokwidars** in many Ministries are made to render 12 hours' duty and whether Government have conducted any investigation in this regard?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):**

(a) to (d) The information is being collected from the various Ministries and will be placed on the Table of the House as early as possible.

**अखिल भारतीय सेवाएं**

3249. **श्री कृ० मा० कौशिक :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इंजीनियरी, चिकित्सा, वन विभाग तथा शिक्षा के लिये अखिल भारतीय सेवायें बनाने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** :

एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1896/67**]।

**रेडियो संचार संबंधी अनुसंधान**

3250. **श्री र० बरुआ**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमारी राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा रेडियो संचार पर सौर-सक्रियता के प्रभावों का कोई अध्ययन शुरू किया गया है;

(ख) यदि ऐसा है तो इस संबंध में किए गए अनुसंधान के परिणाम क्या हैं; और

(ग) क्या अमेरिका से कोई सहायता प्राप्त हुई है?

**शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन)**:

(क) जी हाँ।

(ख) अनुसंधान के परिणामों का उपयोग राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के रेडियो संचारण एकक द्वारा देश में रेडियो प्रयोक्ताओं तथा विदेश में कुछ संगठनों को रेडियो संचारण स्थितियों के संबंध में पूर्वकथन देने के लिए किया जा रहा है।

(ग) जी हाँ। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला इस प्रायोजना के लिए पी० एल० 480 निधियों के माध्यम से 1963 से सहायता प्राप्त करती रही है।

**एयर कारपोरेशनों का एम० ए० एम० ई० डिप्लोमा को मान्यता न देना**

3251. **श्री वी० कृष्णमूर्ति**: क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर कारपोरेशन मेकेनिक तकनीशियन के रूप में नियुक्तियों के लिए साउदर्न कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेकनालाजी, चालाकुदी (केरल) द्वारा दिए जाने वाले एम० ए० एम० ई० (मास्टर एयरो मेकेनिकल इंजीनियरिंग) डिप्लोमा को मान्यता नहीं देते हालांकि इसे नागर विमानन के महानिदेशालय ने उस विभाग में नियुक्ति के लिए मान्यता दी हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस के क्या कारण हैं?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)**:

(क) और (ख) इस डिप्लोमा को नियुक्ति के प्रयोजन से नागर विमानन के महानिदेशक, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स ने मान्यता नहीं दी है क्योंकि यह डिप्लोमा उनकी आवश्यकताओं को सन्तोषजनक रूप से पूरा नहीं करता।

**दार्जिलिंग के प्रतिबन्धित क्षेत्रों में विदेशी राष्ट्रीजन**

3252. **श्री उमानाथ**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दो ब्रिटिश और एक अमरीकी राष्ट्रजन अपने परमिट की अवधि समाप्त होने के बाद दार्जिलिंग के प्रतिबन्धन क्षेत्रों में ठहरे हुए पाये गए थे;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी यात्रा का प्रयोजन क्या था, और उसकी अवधि कितनी थी;

(ग) क्या सरकार ने विदेशी राष्ट्रजनों को देश छोड़ कर जाने के आदेश दिए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो क्या उन विदेशी राष्ट्रजनों ने सरकारी आदेशों का पालन किया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार ने इस मामले में और क्या कार्यवाही की है?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) से (ङ) इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

**उड़ीसा में सड़कों और राज्यपथों के लिये धन का नियतन**

3253. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 1967–68 में उड़ीसा में आर्थिक और व्यापारिक महत्व की राजकीय सड़कों तथा राज्य के राजपथों में सुधार करने तथा उनके निर्माण के लिये कोई धन नियत किया था;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी धनराशि नियत की गई थी; और

(ग) जिन सड़कों के लिये धन नियत किया गया है, उनका ब्यौरा क्या है?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन)**: (क) से (ग) उड़ीसा सरकार को उनके चल रहे स्वीकृत निर्माण कार्यों पर खर्च करने के लिये 9.30 लाख रुपए उपलब्ध हैं परन्तु इस धनराशि की वास्तव में अदायगी इस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने तक की जायेगी क्योंकि यह उन कार्यों पर किए जाने वाले खर्च पर निर्भर करता है। केन्द्रीय सरकार एक-मुश्त धनराशि के रूप में अनुदान देती है और विभिन्न स्वीकृत कार्यों में कार्य के अनुसार उसका विभाजन राज्य सरकार की स्वेच्छा पर छोड़ दिया जाता है।

**अंदमान पुलिस कैंटीन**

3254. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966–67 के बीच कथित गबन के सम्बन्ध में अन्दमान पुलिस लाइन की कैंटीन से कितने व्यक्तियों का स्थानान्तरण किया गया;

(ख) क्या उनके विरुद्ध कोई जाँच की गई थी; और

(ग) उनमें से कितने व्यक्तियों को बाद में उच्च पदों पर पदोन्नत किया गया था?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)**: (क) 1962–67 के बीच कथित गबन सम्बन्ध में अन्दमान पुलिस केंटीन से किसी भी व्यक्ति का स्थानान्तरण नहीं किया गया।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

**गुजरात-तट के चारों ओर तटवर्ती राजपथ**

3255. **श्री रा० कृ० अमीन** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात-तट के चारों ओर तटवर्ती राष्ट्रीय राजपथ बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय मे उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन)**: (क) और (ख) गुजरात-तट के चारों ओर राष्ट्रीय राजपथ बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु राज्य सरकार बड़ौदा

से लेकर मलिया तक सौराष्ट्र के साथ-साथ तटवर्ती राजपथ के विकास के लिये केन्द्रीय वित्त सहायता के लिये अनुरोध करती रही है। उन्होंने चतुर्थ योजना की कालावधि में सहायता अनुदान के लिए पुनः अनुरोध किया है और इस परियोजना को न्यायोचित सिद्ध करने के लिये कुछ अत्यावश्यक आँकड़े भेजे हैं। इसपर विचार किया जा रहा है, परन्तु चतुर्थ योजना के लिए अर्थ व्यवस्था को अन्तिम रूप देने के बाद ही इस सम्बन्ध में निर्णय किया जा सकता है।

**Fort of Shivappa Nayak**

3255-A. **Shri N. S. Sharma:** **Shri Yajna Datt Sharma:**

**Shri Sharda Nand:** **Shri A.B. Vajpahee:**

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the area of the palace, the court and the fort of Shivappa Nayak situated in the Civil area of District Shimoga of the erstwhile Karatak State, has been declared as 'protected area' by the Archaeological Department because of their being ancient remains ;

(b) whether it is also a fact that in the said protected area, some additions and alterations have been effected ;

(c) whether Government propose to remove all types of unauthorised constructions raised in that area since the time that was declared as a protected area so far ;

(d) if so, the action being taken in this regard ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) :**

(a) Yes. Sir, The Shivappa Nayak Fort and the palace site outside the Fort at Nagar in District Shimoga are protected monuments.

(b) It had been reported to the Government that a parapet wall was being constructed and a Cross was also put up at the site of the Shivappa Nayak palace outside the Fort.

(c) to (e) Necessary action for demarcation of the protected site, and the removal of encroachments is being taken wieh the assistance of the State Government authorities concerned and further unauthorised construction at the site has been stopped.

**आई० ए० सी० के कनाट प्लेस, नई दिल्ली, मे स्थित कार्यालय का नवीकरण**

3255. **ख. श्री क० लक्कप्पा**: क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने कनाट प्लेस, नई दिल्ली, में स्थित आई० ए० सी० कार्यालय के नवीकरण पर कितना व्यय किया है;

(ख) क्या यह सच है कि इस कार्यालय के नवीकरण समारोह को मनाने के लिये एक 'काकटेल पार्टी' का आयोजन किया गया; और

(ग) यदि हाँ, तो उस पार्टी पर कितना खर्च किया गया, और उसमें किस तरह की शराब इस्तेमाल की गयी व कितने आदमी आमंत्रित किए गए?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह):**

(क) आई० एस० सी० ने अपने कनाट प्लेस, नई दिल्ली, स्थित बुकिंग आफिस के नवीकरण एवं पुनः सज्जा पर लगभग 1,06,000 रुपए खर्च किए।

(ख) और (ग) जी, हाँ। नवीकृत एवं पुनः सज्जित बुकिंग आफिस के उद्घाटन समारोह पर लगभग 300 व्यक्ति बुलाये गए जिनमें कई विदेशी हवाई कम्पनियों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। उस अवसर पर अमादक पेयों (साफ्ट ड्रिंक्स) के अलावा मदिरा और हल्के नाश्ते की सामग्री (लिकर और स्नैक) भी बरतायी गयी। पार्टी पर 2,557.50 रुपए का खर्च हुआ।

**अशुद्ध मानचित्रों वाली पाठ्य पुस्तकें**

3255. **ग. श्री क० प्र० सिंह देव:** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित पाठयपुस्तकों के एक सेट में एक ऐसा मानपित्र था जिसमें देश की सीमाएं गलत दिखायी गई थीं और काश्मीर को सोवियत रूस का हिस्सा दिखाया गया था;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जाँच की है; और

(ग) यदि ऐसा है तो उसके क्या परिणाम है?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद):**

(क) जी हाँ।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार को कहा जा चुका है कि वे अपनी पाठय पुस्तकों में गलत मानचित्रों को हटा कर उनके स्थान पर निदेशक, मानचित्र प्रकाशन, भारतीय सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा प्रमाणित शुद्ध मानचित्र लगाने के लिए आवश्यक कार्यवाई करें।

(ग) राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा है।

**आधुनिक होटल**

3255. **घ. श्री मधु लिमये :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहयोग से आधुनिक होटल स्थापित करने के विषय में कोई निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो अनुमोदित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इन होटलों के निर्माण के परिणामस्वरूप पर्यटन तथा यातायात में होने वाली वृद्धि से प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा की आय होने की आशा है?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :**

(क) जी, हाँ। दिल्ली में ईस्ट इंडिया होटेल्स कम्पनी लिमिटेड (ओबोरायेज) द्वारा यू० एस० ए० के इन्टरकान्टिनेन्टिल होटेल्स कारपोरेशन (आई० एच० सी०) के सहयोग से बनाया गया एक होटल 1965 के अन्त से कार्य कर रहा है, और सरकार ने यू० एस० ए० के इन्टरकान्टिनेण्टल होटेल्स कारपोरेशन (आई० एच० सी०) के सहयोग से बम्बई में इंडियन होटेल्स कम्पनी लिमिटेड (टाटाज) की एक दूसरी होटल प्रायोजना का हाल में अनुमोदन किया है।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1897/67]

(ग) (i) दिल्ली में ओबेराय इन्टरकान्टिनेण्टल होटल की 1966 में विदेशी मुद्रा की आय अनुमानतः 120 लाख रुपए हुई है।

(ii) इन्टरकान्टिनेण्टल होटेल्स कारपोरेशन (आई० एच० सी०) के सहयोग से इंडियन होटेल्स कम्पनी लिमिटेड (टाटाज) द्वारा स्थापित होटल प्रायोजना से प्रतिवर्ष 126 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा की आय होने का अनुमान है।

## पशुओं की हड्डियों के चूरे का निर्यात

**अ० सू० प्र० 9. श्री सरजू पाण्डेय**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत जिन देशों को पशुओं की हड़ियों के चूरे का निर्यात करता है, वहाँ पर यह प्रचार किया जा रहा है कि यह चूरा मनुष्यों की हड़ियों का है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे प्रचार से इस चूरे के निर्यात पर कहाँ तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) इस प्रचार का खण्डन करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी)** :

(क) कुछ विदेशी समाचार पत्रों ने यह समाचार दिया था कि भारत से निर्यात किए जाने वाले हड़ियों के चूरे में मनुष्य की हड्डियों का चूरा मिश्रित है।

(ख) हड़ियों के चूरे के निर्यात पर समाचार पत्रों के उक्त समाचारों से कहाँ तक प्रभाव पड़ा है इसका इतनी जल्दी अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(ग) लन्दन, पेरिस, ब्रुसेल्स तथा संयुक्त राज्य अमरीका में भारतीय मिशनों को सूचित किया गया है कि ये प्रेस समाचार एकदम गलत हैं और उन्हें कहा गया है कि इस प्रचार का उपयुक्त रूप से खण्डन करें।

## अतारांकित प्रश्न संख्या 675 दिनांक 5.4.67, अतारांकित प्रश्न संख्या 1642 दिनांक 7.6.67 और अतारांकित प्रश्न संख्या 6056 दिनांक 19.7.67 के उत्तरों में शुद्धि

**Correction of Answers to U.S.Q. No. 657 dt. 5.4.67, U. S. Q. No. 1642 dt 7.6.67 and U. S. Q. No. 6056 dt. 19.7.67.**

**गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी)** :मुझे खेद है कि 5 अप्रैल, 7 जून और 19 जुलाई के क्रमशः अतारांकित प्रश्न संख्या 597,1642 और 6065 के सम्बन्ध में दिए गए उत्तर में मंत्रियों को दिए जाने वाले आतिथ्य भत्ते पर आय-कर के दर के सम्बन्ध में दी गई सूचना में पूर्ण वैध उपबन्ध स्पष्ट नहीं किए गए। इस सम्बन्ध में सही स्थिति यह है कि मंत्रियों द्वारा प्राप्त आतिथ्य भत्ते में से उनके वेतन (जिसमें कोई भत्ता, लाभ या कोई अन्य परिलब्धि सम्मिलित नहीं) के 115 अंश के बराबर या 5000 रुपए प्रतिवर्ष, जो भी कम हो, कर से मुक्त है, और मंत्रियों को अन्य जो धनराशि बच जाती है, वह आय-कर लगाने योग्य है।

(ख) और (ग) जी, हाँ। नवीकृत एवं पुनः सज्जित बुकिंग आफिस के उद्घाटन समारोह पर लगभग 300 व्यक्ति बुलाये गए जिनमें कई विदेशी हवाई कम्पनियों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। उस अवसर पर अभादक पेयों (साफ्ट ड्रिंक्स) के अलावा मदिरा और हल्के नाश्ते की सामग्री (लिकर और स्नैक) भी बरतायी गयी। पार्टी पर 2,557.50 रुपए का खर्च हुआ।

**अशुद्ध मानचित्रों वाली पाठ्य पुस्तकें**

3255. **ग. श्री क० प्र० सिंह देव:** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित पाठयपुस्तकों के एक सेट में एक ऐसा मानपित्र था जिसमें देश की सीमाएं गलत दिखायी गई थीं और काश्मीर को सोवियत रूस का हिस्सा दिखाया गया था;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जाँच की है; और

(ग) यदि ऐसा है तो उसके क्या परिणाम है?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद):**

(क) जी हाँ।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार को कहा जा चुका है कि वे अपनी पाठय पुस्तकों में गलत मानचित्रों को हटा कर उनके स्थान पर निदेशक, मानचित्र प्रकाशन, भारतीय सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा प्रमाणित शुद्ध मानचित्र लगाने के लिए आवश्यक कार्यवाई करें।

(ग) राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा है।

**आधुनिक होटल**

3255. **घ. श्री मधु लिमये :**क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहयोग से आधुनिक होटल स्थापित करने के विषय में कोई निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो अनुमोदित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन होटलों के निर्माण के परिणामस्वरूप पर्यटन तथा यातायात में होने वाली वृद्धि से प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा की आय होने की आशा है?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :**

(क) जी, हाँ। दिल्ली में ईस्ट इंडिया होटेल्स कम्पनी लिमिटेड (ओबेरायेज) द्वारा यू० एस० ए० के इन्टरकान्टिनेन्टिल होटेल्स कारपोरेशन (आई० एच० सी०) के सहयोग से बनाया गया एक होटल 1965 के अन्त से कार्य कर रहा है, और सरकार ने यू० एस० ए० के इन्टरकान्टिनेण्टल होटेल्स कारपोरेशन (आई० एच० सी०) के सहयोग से बम्बई में इंडियन होटेल्स कम्पनी लिमिटेड (टाटाज) की एक दूसरी होटल प्रायोजना का हाल में अनुमोदन किया है।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[पुस्तालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1897/67]

(ग) (i ) दिल्ली में ओबेराय इन्टरकान्टिनेण्टल होटल की 1966 में विदेशी मुद्रा की आय अनुमानत: 120 लाख रुपए हुई है।

(ii ) इन्टरकान्टिनेण्टल होटेल्स कारपोरेशन (आई० एच० सी०) के सहयोग से इंडियन होटेल्स कम्पनी लिमिटेड (टाटाज) द्वारा स्थापित होटल प्रायोजना से प्रतिवर्ष 126 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा की आय होने का अनुमान है।

## पशुओं की हड्डियों के चूरे का निर्यात

**अ० सू० प्र० 9. श्री सरजू पाण्डेय**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत जिन देशों को पशुओं की हड़ियों के चूरे का निर्यात करता है, वहाँ पर यह प्रचार किया जा रहा है कि यह चूरा मनुष्यों की हड़ियों का है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे प्रचार से इस चूरे के निर्यात पर कहाँ तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) इस प्रचार का खण्डन करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी)** :

(क) कुछ विदेशी समाचार पत्रों ने यह समाचार दिया था कि भारत से निर्यात किए जाने वाले हड़ियों के चूरे में मनुष्य की हड्डियों का चूरा मिश्रित है।

(ख) हड़ियों के चूरे के निर्यात पर समाचार पत्रों के उक्त समाचारों से कहाँ तक प्रभाव पड़ा है इसका इतनी जल्दी अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(ग) लन्दन, पेरिस, ब्रुसेल्स तथा संयुक्त राज्य अमरीका में भारतीय मिशनों को सूचित किया गया है कि ये प्रेस समाचार एकदम गलत हैं और उन्हें कहा गया है कि इस प्रचार का उपयुक्त रूप से खण्डन करें।

## अतारांकित प्रश्न संख्या 675 दिनांक 5.4.67, अतारांकित प्रश्न संख्या 1642 दिनांक 7.6.67 और अतारांकित प्रश्न संख्या 6056 दिनांक 19.7.67 के उत्तरों में शुद्धि

**Correction of Answers to U.S.Q. No. 657 dt. 5.4.67, U. S. Q. No. 1642 dt 7.6.67 and U. S. Q. No. 6056 dt. 19.7.67.**

**गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी)** :मुझे खेद है कि 5 अप्रैल, 7 जून और 19 जुलाई के क्रमश: अतारांकित प्रश्न संख्या 597,1642 और 6065 के सम्बन्ध में दिए गए उत्तर में मंत्रियों को दिए जाने वाले आतिथ्य भत्ते पर आय-कर के दर के सम्बन्ध में दी गई सूचना में पूर्ण वैध उपबन्ध स्पष्ट नहीं किए गए। इस सम्बन्ध में सही स्थिति यह है कि मंत्रियों द्वारा प्राप्त आतिथ्य भत्ते में से उनके वेतन (जिसमें कोई भत्ता, लाभ या कोई अन्य परिलब्धि सम्मिलित नहीं) के 115 अंश के बराबर या 5000 रुपए प्रतिवर्ष, जो भी कम हो, कर से मुक्त है, और मंत्रियों को अन्य जो धनराशि बच जाती है, वह आय-कर लगाने योग्य है।

## स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)

RE. MOTION FOR ADJOURNMENT (QUERY)

**अध्यक्ष महोदय**: अब पत्र सभा पटल पर रखे जायेंगे।

**Shri Hukam Chand Kachwai** (Ujjain) : Sir, I rise on a point of order. I had given notice for Adjournment Motion. The police has made lathi charge on students at many places.....

**अध्यक्ष महोदय**: अब कुछ नहीं लिया जायेगा।

**Shri Hukum Chand Kachwai**.....*

---

## सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

### प्रौद्योगिकी संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदन

**शिक्षा मंत्री** (**डा० त्रिगुण** सेन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, बम्बई, के 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (**पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल टी०** 1872/67]

(2) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, कानपुर के 1966/67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 1873/67]।

(3) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, दिल्ली के 1964–65 तथा 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 1874/67]

(दो) ऊपर के प्रतिवेदनों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 1874/67]।

(4) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर, के 1964–65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी०** 1875/67]।

(दो) ऊपर के प्रतिवेदन को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1875/67]।

(5) भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर के 1966–67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०** 1876/67]

(6) भारतीय प्रबन्ध संस्था, अहमदाबाद, के 1966–67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी०** 1877/67]

---

*कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*Not recorded.

**अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम के अन्तर्गत सूचनायें**

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : मैं अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :–

(एक) जी० एस० आर० 1680 जो दिनांक 11 नवम्बर, 1967 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किए गए।

(दो) जी० एस० आर० 1681 जो दिनांक 11 नवम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 की अनुसूची में एक संशोधन किया गया।

(तीन) जी० एस० आर० 1683 जो दिनांक 11 नवम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 21 अक्तूबर, 1967 को जी० एस० आर० संख्या 1547 तथा 1548 को रद्द किया गया।

(चार) जी० एस० आर० 1723 जो दिनांक 18 नवम्बर, 1967 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 में कतिपय संशोधन किये गए।

[**पुस्तकालय में रखी गयी देखिये। संख्या एल० टी०** 1878/67]

---

## गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

**सोलहवां प्रतिवेदन**

**श्री खाडिलर** (खेड़ा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 16वाँ प्रतिवेदन पुरस्थापित करता हूँ।

**उस समय श्री हुक्म चन्द कछवाय ने अपने हाथ में पकड़े हुए दस्तावेज को आग लगा दी; उसे श्री कंवर लाल गुप्त ने तुरन्त बुझा दिया।**

**At this stage Shri Hukam Chand Kachwai set fire to a document in his hand; this was immediately put out by Shri Kanwarlal Gupta.**

**अध्यक्ष महोदय:** मैं यह सहन नहीं कर सकता, यह बहुत ज्यादती है। उन्हें सभा से क्षमायाचना करनी चाहिये।

**श्री नायपाई** (राजापुर) : आपको इसके लिए उनकी भर्त्सना करनी चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं पहले ही यह कह चुका हूँ।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : हम यह सहन नहीं कर सकते।

**अध्यक्ष महोदय** : यह बहुत गम्भीर विषय है। मैं बहुत अप्रसन्न हूँ।

**Shri A. B. Vajpayee** (Balrampur) : We are all sorry for what has happened....

**Shri Amrit Nahata** (Barmer) : He is staging a drama...

**Shri A. B. Vajpayee** : It is not good. If Congress Members will go on behaving like that then I will also show how a Bill can be a burnt.

**अध्यक्ष महोदय :** मैं पहले कह चुका हूँ कि यह एक गम्भीर विषय है । दल के नेता इसका स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न कर रहे थे। अतः किसी भी माननीय सदस्य द्वारा बीच में इस प्रकार की टिप्पणी किया जाना अच्छी बात नहीं क्योंकि इस विषय का सम्बन्ध सारी सभा से है। ऐसा करने से इसका हल नहीं हो सकता। विधेयक को आग लगा कर बाहर चले जाने से यह मामला सुलझाया नहीं जा सकता है। अतः जब उनके दल का नेता बोल रहा हो तो सबको मौन रहना चाहिये । मैं चाहता हूँ कि इस समस्या का स्थायी हल हो सके।

**Shri A. B. Vajpayee:** All that has happened in the House is not good. On behalf of my Party I apologise to the House for that. No doubt people are against the Bill which has been burnt by Shri Kachwai but we, the Members of Parliament, should show some restraint. We can reject it by constitutional methods if we so like. I can ask Shri Kachwai to apologise if Congress Member is prepared to apologise for interrupting me.

**अध्यक्ष महोदय** : मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सब शान्तिपूर्वक भाषण सुनते जायें।

**श्री नाथपाई:** श्री हुक्म चंद कछवाय ने जो कुछ किया है वह अच्छा नहीं किया है परन्तु मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर लाखों देशवासियों की यही भावना है। उन्होंने जो तरीका अपनाया है उससे हमारे लक्ष्य को मदद नहीं मिलने वाली है ।

**अध्यक्ष महोदय,** आपने जो प्रस्ताव हमारे सामने रखा है हम उसका स्वागत करते हैं परन्तु उसपर निर्णय करने से पहले मैं यह चाहता हूँ कि आप अन्य दलों के नेताओं से भी बातचीत करें ।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं अन्य दलों के नेताओं से भी बातचीत करूँगा ताकि कोई तरीका निकल आये। अभी मैं श्री कछवाय से प्रार्थना करूँगा कि यदि वह समझते हैं कि जो कुछ उन्होंने किया है वह ठीक नहीं किया है तो वह सभा से क्षमायाचना माँगें ।

**Shri Hukam Chand Kachwai** : (Ujjain) : As has beens aid by my leader I am prepared to apologise to the House in case the Congress Member apologises.

**श्री हनुमन्तटया** (बंगलौर) : हमें अवश्य संयम रखना चाहिये जैसा कि श्री वाजपेयी और श्री नाथपाई ने प्रार्थना की है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि कभी कभी हमारी ओर से भी कुछ बातें कही जाती हैं परन्तु जो बातें कांग्रेस की तरफ से कही गई हैं वह विरोधी दलों द्वारा कही गई बातों की तुलना में शून्य के बराबर है । अतः मेरी प्रार्थना है कि सतारूढ़ दल के साथ हमारा सम्बन्ध होने के नाते हमपर इस प्रकार लांछन नहीं लगाया जाना चाहिये ।

**श्री रंगा** (श्री काकुलम) : मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई है कि श्री वाजपेयी ने अपनी और अपने दल की ओर से जो कुछ श्री हुक्म चंद कछवाय ने किया है उसके लिये सभा से क्षमायाचना माँगी है ।

मुझे खेद है कि सभा के नेता उपस्थित नहीं हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने सभा में यह चेतावनी दी थी कि यदि विरोधी दल इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो कांग्रेस की ओर से भी वैसा ही किया जायेगा। मेरा यह मत है कि इस प्रकार व्यवहार करने से हम किसी समस्या को सुलझा नहीं सकते हैं। अतः आपने जो अपील की है मैं उसका समर्थन करता हूँ कि प्रत्येक सदस्य को सभा के शिष्टाचार का पालन करना चाहिये।

**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** हमें तो उस माननीय सदस्य के खिलाफ शिकायत है जिसने श्री वाजपेयी को कहा था कि 'नाटक कर रहा है।' जबकि सच्चाई तो यह है कि वह सभा से क्षमायाचना माँग रहे थे। इसलिये हमने यह माँग की है कि उन्हें भी क्षमायाचना माँगनी चाहिये और अपने शब्द वापिस लेने चाहिये।

**श्री हेम बरुआ** (मंगलदायी) : जब श्री द्विवेदी कह रहे थे कि माननीय सदस्य को सभा से क्षमायाचना माँगनी चाहिये तो कांग्रेस दल के उप-नेता उन्हें क्षमायाचना न माँगने के लिये कह रहे थे। वह उन्हें क्षमा माँगने के लिये निउत्साहित कर रहे थे।

**अध्यक्ष महोदय:** आप इस विषय को और गम्भीर न बनायें।

**श्री मनोहरन** (मद्रास उत्तर) : जहाँ तक मुझे याद है कि 1963 में जब श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने राजभाषा विधेयक पुरस्थापित किया था तो सेंट्रल हाल में एक स्वामी जी ने भी ऐसा ही किया था। अब यह चीज सभा के अन्दर हुई है।

मैं आज इस बात पर बल देना चाहता हूँ कि यदि सभा में इस प्रकार की कार्यवाही होती रही तो यह बहुत बुरी बात है। अतः इस प्रकार क्षमायाचना माँगने से काम नहीं चल सकता। क्षमायाचना तो सभी माँग सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस मामले के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जानी चाहिये।

**Shri Madhu Limaye** (Monghyr) : Sir, as lakhs of people feel that this Bill is unconstitutional therefore people feel agitated. Hence I would suggest that this matter should be closed now.

**अध्यक्ष महोदय** : कांग्रेस दल के उप-नेता तो बोल चुके हैं, अच्छा होता यदि प्रधान मंत्री भी यहाँ होतीं।

**संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: वह राज्य सभा में है।

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे पता है वह हमेशा यहाँ नहीं रह सकतीं।

**श्री हेम बरुआ** : वह कभी यहाँ नहीं होतीं।

**अध्यक्ष महोदय** : अन्तर्बाधायें नहीं होनी चाहिये। मेरा यह विचार है कि सत्तारूढ़ दल यह चाहता है कि सभा का कार्य सही ढंग से होना चाहियें। परन्तु यदि सत्तारूढ़ दल भी यह कहता है कि हम भी वैसा ही करेंगे जैसा कि विरोधी दल करेंगे तो मैं क्या कह सकता हूँ। अतः मैं यह बात सभा के नेता पर छोड़ता हूँ क्योंकि वह कांग्रेस दल के नेता ही नहीं है वह तो सभा के नेता है। उनके बाद संसद कार्य मंत्री आते हैं। यदि वह भी यही कहते हैं कि उनकी ओर के सदस्य भी वैसे ही चिल्लायेंगे तो मैं क्या कह सकता हूँ। मैं यह बात कांग्रेस दल पर छोड़ता हूँ कि वह क्या निर्णय करता है।

कल या परसों भी एक माननीय सदस्य दूसरे माननीय सदस्य के प्रति असंसदीय बात कर रहे थे। परन्तु उन के शब्द तो कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित होने से रोके जा सकते हैं। प्रश्न तो यह है कि यदि कोई चीज जला दी जाये तो उसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल होने से कैसे रोका जा सकता है।

**श्री बलराज मधोक** (दक्षिण दिल्ली) : मेरा निवेदन यह है कि आप ने तो कह दिया है कि 'नाटक' कहना कोई खास बात नहीं है परन्तु क्या आपको पता है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह है कि यह सारी बात पूर्वायोजित थी।

**Shri Amrit Nahata:** I had used those words not to offend Shri Vajpayee but I had said that the burning of the Copy of the Bill was dramatic. We also love Hindi as much as they love. But we should not burn the Bill in that way. Hence I am of the opinion that he should apologise to the House.

**अध्यक्ष महोदय:** उन्होंने साफ कह दिया है कि उनका उद्देश्य श्री बाजपेयी के खिलाफ कुछ कहने का नहीं था। अतः यदि श्री कछवाय उचित समझते हैं तो उन्हें क्षमायाचना माँगनी चाहिये अन्यथा वह बाद में ऐसा कर सकते हैं।

**Shri Hukam Chand Kachwai:** I only want to say that the reason why I had been flared up is that I have been reading the newspaper reports. Those who have said that we also support Hindi, in fact they do not support because at the time of voting they will not vote in favour of it. I have done so knowingly taking into consideration the feelings of the people. If the House does not approve it, then I express my regret for that.

---

## समिति के लिये निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

**इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद की शासी परिषद**

**शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन):** मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि भूतपूर्व इस्पात, खान तथा ईंधन मंत्रालय के समय-समय पर संशोधित संकल्प संख्या 315 (1) 57-एम III दिनाँक 4 मई, 1957 के पैरा 4 तथा 5 के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निर्देश दें, इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद, जिसे संस्थाएँ रजिस्ट्री करण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत अब एक संस्था में बदल दिया गया है, के नियमों तथा विनियमों के अधीन एक कार्यपालक बोर्ड गठित किये जाने तक उक्त स्कूल की शासी परिषद् के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य चुनें।"

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है: "कि भूतपूर्व इस्पात, खान तथा ईंधन मंत्रालय के समय-समय पर संशोधित संकल्प संख्या 315 (1) 57-एम० III दिनांक 4 मई, 1957 के पैरों 4 तथा 5 के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद, जिसे संस्थाएँ रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत अब एक संस्था में बदल दिया गया है, के नियमों तथा विनियमों के अधीन एक कार्यपालक बोर्ड गठित किये जाने तक उक्त स्कूल की शासी परिषद् के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य चुनें।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The Motion was Adopted.**

---

## देश में खाद्य की स्थिति के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : FOOD SITUATION IN THE COUNTRY

**अध्यक्ष महोदय:** अब मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूँगा कि वह खाद्य सम्बन्धी वाद-विवाद का उत्तर दें।

**Shri Prakash Vir Shastri** (Hapur): I would like to say something about what has happened in the House.

**Mr. Speaker** : That is over.

**Shri Prakash Vir Shastri** : You should not suppress the feelings of the hon. Members in this way. When you suppress the feelings then the reaction of that.....**

**कुछ माननीय सदस्य उठे**

**अध्यक्ष महोदय:** यह बातें कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जायेंगी।

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैं कृषि के सम्बन्ध में एक पुस्तिका परिचालित करूँगा जिसमें यह ब्योरा दिया जायेगा कि कृषि के सम्बन्ध में क्या किया गया है और भविष्य में क्या करने का विचार है, हम कृषि मंत्रालय के अधिकारियों को सभी राज्यों की राजधानियों में राज्य सरकारों से उनके भावी कृषि कार्यक्रम विशेष रूप से अधिक उपज देने वाली किस्मों, छोटी सिंचाई योजनाएँ तथा अगामी फसल के लिए उर्वरक की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिये भेज रहे हैं।

किसी ने भी यह दावा नहीं किया है कि खाद्य समस्या हल हो गई है और मेरा भी यह दावा करना गलत होगा। इस वर्ष खरीफ की फसल अच्छी हुई है और रबी की फसल के भी अच्छा होने की बहुत सम्भावना है। हमने आत्म-निर्भरता के लिये जो लक्ष्य निश्चित किये हैं, उन्हें पूरा करने के लिये लगातार प्रयत्न करने पड़ेगें परन्तु हमें यह सन्तोष होना चाहिये कि एक बड़ा संकट टल गया है।

कई राज्यों में सूखे के दौरान छोटी सिंचाई योजनाओं की मरम्मत के लिये और काफी संख्या में कुएँ खोदने, नलकूप और लिफ्ट सिंचाई के लिये वहाँ के निवासियों द्वारा कठिन श्रम करने की व्यवस्था की गयी है। इसने भी उत्पादन बढ़ाने में योगदान दिया है। किन्तु इस बात पर संतोष नहीं होना चाहिये तथा जो प्रयत्न किये गये हैं, उन्हें इस वर्ष आशाजनक वर्ष होने के बावजूद जारी रखा जाना चाहिए।

इस वर्ष वर्षा बहुत अच्छी रही है तथा 920 से 950 लाख टन खाद्यान्न की उपज की आशा है। देश के कुछ भागों में अक्तूबर तथा नवम्बर में वर्षा कम हुई है। उससे खरीफ की फसल पर बुरा प्रभाव पड़ेगा परन्तु हाल ही की वर्षा से रबी की फसल अच्छी होगी और यह कमी पूरी हो जायेगी। भारत जैसे बड़े देश में सदा ही कुछ भाग ऐसे रहेंगे जिनमें फसल की स्थिति देश में अन्य भागों जैसी नहीं होगी।

जहाँ तक खाद्यान्नों की वसूली का सम्बन्ध है, यह बात राज्य सरकारों पर छोड़ दी गई है कि अपने राज्यों की स्थिति के अनुसार जिस प्रकार चाहें वसूली करें परन्तु वसूली बहुत आवश्यक है और बड़े पैमाने पर करनी पड़ेगी। फालतू अथवा कमी वाले राज्यों में सभी राज्य सरकारों ने अपने क्षेत्रों में अधिकतम वसूली करने के लिये काफी कदम उठाये हैं। वसूली का ढंग राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। हमें पूर्ण आशा है कि विभिन्न राज्यों द्वारा निर्धारित लक्ष्य पूरे हो जायेंगे।

लोगों का कहना है कि फसल बहुत अच्छी होने के कारण यह समय क्षेत्रीय प्रणाली समाप्त करने के लिये बहुत अच्छा है। क्षेत्रीय प्रणाली हमारे लिये कोई आस्था की बात नहीं है। वह एक

**कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

विशिष्ट परिस्थिति को समाप्त करने के लिये नीति है और उस परिस्थिति के समाप्त होते ही अनेक नियंत्रण तथा निर्बन्धन अनावश्यक हो जायेंगे। यह सामान्य धारणा है कि कमी वाले राज्य क्षेत्रीय निर्बन्धन हटाने के पक्ष में हैं परन्तु यह धारणा गलत है। कई राज्य सरकारें निर्बन्धन बनाये रखने के पक्ष में हैं। जब तक हम अगामी खरीफ की फसल तक लगभग 20 से 30 लाख टन का पर्याप्त बफर स्टाक नहीं बना लेते तथा खुले बाजार के मूल्यों तथा वसूली की दर में अन्तर घट नहीं जाता तब तक हम इस प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आगामी खरीफ की फसल अच्छी होने की आशा है। तभी क्षेत्रीय प्रतिबन्ध हटाने के मामले पर पुनः विचार किया जायेगा।

कृषि की किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारित करते समय हम राज्य सरकार से परामर्श करते हैं। कृषकों को उनके खाद्यान्न का उचित मूल्य तो मिलना ही चाहिये। कृषि मूल्य आयोग ने कुछ सिफारिशें की हैं परन्तु हम उनसे पूरी तरह सन्तुष्ट नहीं है तथा इसी कारण हमने उनमें संशोधन किया है। जहाँ तक इस वर्ष की खरीफ की फसल का मूल्य निश्चित करने का सम्बन्ध है हमने राज्य सरकारों की अधिकांश सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों के कृषकों के हितों को देखती हैं। हमारा विश्वास है कि राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित मूल्यों से कृषकों को प्रोत्साहन प्राप्त होगा। परन्तु कृषकों के हित के साथ-साथ उपभोक्ता के हित का भी तालमेल बिठाया जाना चाहिये। हमने यह निर्णय उत्पादक के हित में ही किया है कि मूल्यों को वसूली के मूल्य से नीचे नहीं गिरने दिया जायेगा। इससे कृषक को मूल्य प्रोत्साहन मिलेगा। कृषकों को यह आश्वासन दिया जाना चाहिये कि बड़े पैमाने पर उत्पादन होने पर भी मूल्य नहीं गिरने दिये जायेंगे।

विभिन्न राज्यों में वितरण की विभिन्न प्रणालियाँ हैं। जहाँ कहीं कठिन स्थिति उत्पन्न हुई, वहाँ कुछ क्षेत्रों में राशन लागू किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। परन्तु मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अब अच्छी फसल होने की सम्भावना के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों की कोई आवश्यकता नहीं है।

यह गलत है कि राज्यों को खाद्यान्न के सम्भरण के मामले में कोई पक्षपात किया गया है। हम खाद्य स्थिति पर सदा राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करते हैं और गैर-कांग्रेसी राज्यों को खाद्यान्न भेजने के विषय में कोई राजनैतिक पक्षपात नहीं किया गया है। जहाँ तक केरल का सम्बन्ध है वहाँ चावल के सम्भरण में कमी है और उसे पूरा करने के लिये वहाँ गेहूँ के पर्याप्त भण्डार बनाये गये हैं।

**इसके पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।**

**The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.**

**लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात् दो बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई।**

**The Lok Sabha then re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock.**

**[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]**

**Mr. Deputy Speaker in the Chair.**

**उपाध्यक्ष महोदय:** अब माननीय खाद्य तथा कृषि मंत्री खाद्य स्थिति के बारे में वाद-विवाद का उत्तर जारी रखेंगे।

**श्री जगजीवन राम** : यह सिद्ध करने के लिये आंकड़े दिये गये हैं कि कुछ राजनैतिक भेद-भाव हुआ है। इस मामले में राजनीति को नहीं लाया जा सकता। कहा गया है कि केरल और पश्चिमी बंगाल को काफी चावल का सम्भरण नहीं किया गया है तथा 1967 में पिछले दो वर्षों से बहुत कम सम्भरण किया गया है। वास्तविकता यह है कि कुल मिला कर 1967 में देश में चावल की स्थिति बहुत विकट है। हमारे चावल के भण्डार समाप्त हो गये हैं और अन्तर्राष्ट्रीय मण्डियों में भी चावल उपलब्ध नहीं है। वास्तविक स्थिति यह है कि केरल तथा पश्चिमी बंगाल को ही नहीं बल्कि सभी राज्यों को पिछले दो वर्षों की तुलना में कम चावल भेजा गया है और चावल की कमी गेहूँ भेज कर पूरी कर दी गई है। इसमें कांग्रेसी अथवा गैर-कांग्रेसी सरकार का कोई प्रश्न ही नहीं है।

**श्री वासुदेवन नायर** (वादी): मुझे एक विशेष प्रस्ताव के बारे में माननीय मंत्री से पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि वह चावल तो सप्लाई कर सकते हैं परन्तु उसका मूल्य कुछ अधिक है और कि उनके पास अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से कम मूल्य पर चावल की पेशकश प्राप्त हुई है। मेरा निवेदन है कि इस बारे में केरल सरकार से परामर्श किया जाना चाहिये था क्योंकि वहाँ स्थिति ठीक नहीं है। केरल सरकार कुछ अधिक मूल्य देने के लिये भी तैयार है। परन्तु केरल सरकार से परामर्श नहीं किया गया और उनको सदा टाल दिया गया। इस कठिन स्थिति को देखते हुए क्या केन्द्रीय सरकार के लिये यह उचित नहीं था कि वह कुछ अधिक मूल्य पर चावल आयात कर केरल को सप्लाई करती ताकि लोगों को कम से कम 6 औंस राशन तो दिया जा सकता।

**श्री जगजीवनराम**: जो कोई पेशकश भी प्राप्ति होती है, चाहे वह किसी की ओर से भी हो, उसकी पूरी तरह जाँच की जाती है। मैंने प्राप्त पेशकशों के बारे में केरल के मुख्य मंत्री तथा खाद्य मंत्री को एक विस्तृत पत्र लिखा था। कुछ मामलों में प्राप्त दूसरी पेशकशों की अपेक्षा अधिक मूल्य बताये गये थे। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मौसम के आरम्भ में कार्यवाही नहीं की गई थी। हमें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से चावल खरीदने का काम जनवरी अथवा फरवरी में करना चाहिये था परन्तु विदेशी मुद्रा की मंजूरी अप्रैल में हुई थी। उस समय चावल में अपेक्षित मात्रा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध नहीं थी। हमने कुछ मामलों में करार भी किये परन्तु सम्बन्धित पार्टी चावल सप्लाई नहीं कर सकी। इसी कारण हम भी केरल सरकार को दिये गये आश्वासनों को पूरा नहीं कर सके।

जहाँ तक केरल सरकार द्वारा दूसरे राज्यों से सीधे चावल खरीदने का प्रश्न है मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु इस बारे में केरल के मुख्य मंत्री को पर्याप्त अनुभव है और इससे मेरी कठिनाइयों में वृद्धि हुई है। इसलिये मैंने सभी राज्य सरकारों को लिखा है कि वे आपसी करार न करें क्योंकि उनके समक्ष समूचे देश की स्थिति नहीं होती। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि हम केरल को अपेक्षित मात्रा में चावल सप्लाई नहीं कर सके और कि इससे वहाँ के लोगों को कठिनाई हुई है। कोई भी इस बात का दावा नहीं कर सकता कि हमने खाद्य समस्या हल कर ली है। अभी भी स्थिति गम्भीर है। जैसे ही स्थिति में सुधार होगा हम राज्यों की सप्लाई में भी वृद्धि कर देंगे। यह कहना ठीक नहीं है कि पश्चिमी बंगाल में सरकार बदलते ही हमने उनकी सप्लाई बढ़ा दी है। वास्तव में यह पहली सरकार के दौरान ही कर दिया गया था।

**Shri Jagjiwan Ram:** The hon. Member should first see the stock postion of Bihar, only then he will understand whether there is a need for supply of foodgrains to that State.

**उपाध्यक्ष महोदय:** मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या-एक मतदान के लिये रखता हूँ।

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।**

**Substitute Motion No. 1 was put and negatived.**

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 6 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।**

**The Substitute Motion was put and negatived.**

**श्री देवराज पाटिल** (यवतमाल): मैं सभा की अनुमति से स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 3 वापिस लेता हूँ।

**उपाध्यक्ष महोदय:** क्या माननीय सदस्य को स्थानापन्न प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति है।

**अनेक माननीय सदस्य:** जी हाँ।

**स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 3 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।**

**The Substitute Motion No. 3 was by leave withdrawn.**

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 7, 8, 9 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।**

**The Substitute Motion Nos. 7, 8 and 9 were put and negatived.**

**श्री देवकी नन्दन पाटोदिया:** (जालोर): मैं सभा की अनुमति से स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 13 वापिस लेता हूँ।

**उपाध्यक्ष महोदय:** क्या माननीय सदस्य स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 13 वापिस ले सकते हैं:

**अनेक माननीय सदस्य:** जी हाँ।

**स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 13 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।**

**The Substitute Motion No. 13 was, by leave, withdrawn.**

---

## चौथी योजना के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : FOURTH PLAN

**प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी):**

मैं चौथी योजना और तत्सम्बन्धी मामलों के बारे में एक वक्तव्य देना चाहती हूँ। मुझे बताया जाये कि मैं इसे पढ़ूँ या सभा-पटल पर रख दूं?

**उपाध्यक्ष महोदय:** समयाभाव के कारण वह उसे सभा-पटल पर रख सकती हैं।

**श्री हो० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय है, इसलिये सभा को इस पर चर्चा करने का अवसर दिया जाना चाहिये।

**श्रीमती इन्दिरा गान्धी** : मुझे चर्चा पर कोई आपत्ति नहीं है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रधान मंत्री अपने वक्तव्य को सभा-पटल पर रखेंगी और उसे सदस्यों में परिचालित किया जायेगा।

**श्रीमती इन्दिरा गान्धी** : मैं चौथी पंचवर्षीय योजना और तत्सम्बन्धी मामलों के सम्बन्ध में एक विवरण सभा-पटल पर रखती हूँ।

**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1879/67]**

---

## अत्यावश्यक वस्तु (दूसरा संशोधन) विधेयक 1967—जारी

ESSENTIAL COMMODITIES (SECOND AMENDMENT) BILL 1967—Contd.

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री मुहम्मद शफी कुरेशी द्वारा 29 नवम्बर, 1967 को प्रस्तुत किये गये निम्न प्रस्ताव, पर अग्रेतर चर्चा करेगी: "कि अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम, 1955 में अग्रेतर संशोधन करने तथा अत्यावश्क वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1964 को अग्रेतर अवधि के लिए जारी रखने संबंधी विधेयक को 21 सदस्यों, अर्थात्: –

श्री स० मो० बनर्जी: श्री बिभूति मिश्र, श्री रूप नाथ ब्रह्म, श्री सी० के० चक्रपाणि, श्री जे० के० चौधरी, श्री वे० न० जाधव, श्री मुशीर अहमद खाँ, श्री दत्तात्रय कुण्टे, श्री मोहन स्वरूप, श्री जुगल मंडल, श्री नेसामनी, श्री निहाल सिंह, श्री काशी नाथ पाण्डे, श्री देवकी नन्दन पटोदिया, श्री भोला राउत, श्री ने० कु० गाँधी, श्री शारदा नन्द, श्री बाजपेयी, श्री एस० सुधाकर, श्री जी० विश्वनाथन और श्री मुहम्मद शफी कुरेशी की प्रवर समिति को एक सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन देने की हिदायत के साथ सौंपा जाय।"

**श्री लोबो प्रभु** (उदीपी): यह विधेयक लाइसेंस–परमिट राज्य की स्थापना में सहायक सिद्ध होता है। इसके फलस्वरूप समस्त शक्ति सरकार के हाथों में आ गई हैं और वह जनता के आर्थिक जीवन में मनमानी कर सकती है। यदि कांग्रेस सरकार अपनी वर्तमान नीति को जारी रखती है और जनता को प्रतियोगिता आदि के उचित अवसर नहीं देती है तथा जनता की समृद्धि में बाधक बनती है तो वह बुरी तरह असफल हो जायेगी। आज जनता सरकार की भाषा या सीमा संबंधी नीति से इतनी क्रुद्ध नहीं है जितनी वह आर्थिक नीतियों से। इस विधेयक से नियंत्रणों को बढ़ावा मिलता है और सरकार को इस पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिये। जनता में यह विश्वास पैदा किया जाना चाहिये कि सरकार भी उनके साथ है।

**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : हमने नियंत्रण की नीति को स्वीकार किया है और यह नीति इसलिये अपनाई गई है ताकि गरीबों और अमीरों में वस्तुओं का समान वितरण ठीक ठीक प्रकार से हो सके। जब तक देश में अभाव की या आंशिक अभाव की अर्थ व्यवस्था रहेगी तब तक नियंत्रण आवश्यक होंगे।

यह उपयुक्त ही है कि विधेयक में उन अपराधियों के क्षिप्र परीक्षण (समरी ट्रायल) की कल्पना की गई है जो कानून के उपबन्धों का उल्लंघन करने का प्रयत्न करते हैं। यह भी अच्छा है कि विधेयक के अधीन अपराधों को हस्तक्षेप्य घोषित किया गया है। आशा की जाती है कि कानून

और व्यवस्था अधिकारी उन बातों की जाँच कर सकेंगे जो हमारी अर्थ व्यवस्था को खराब करती हैं। आशा है वे इन मामलों को कारगर ढंग से निपटा सकेंगे।

विधेयक में जब्ती के संबंध में जो उपबन्ध रखा गया है वह बहुत आवश्यक है। यदि विवादास्पद वस्तु को जब्त नहीं किया जाता तो सम्बद्ध व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुँचती है। विधेयक को कारगर ढंग से कार्यान्वित करना भी तभी संभव है। विधेयक का एक अच्छा पहलू यह भी है कि अब तक तीन वर्ष की कैद का जो अधिकतम दण्ड था वह अब बढ़ाकर पाँच वर्ष कर दिया गया है।

**श्री कृष्णमूर्ति** (कड्डलूर) : "कारखानों के चीनी उत्पादन का 60 प्रतिशत अथवा ऐसा उच्चतर प्रतिशत जो आवश्यक हो" के आंशिक नियंत्रण और वसूली के संबंध में विधेयक का खंड 3 और उसके अधीन शेष चीनी की अबाध बिक्री के लिये अनुमति देना विधान की शक्ति से बाहर है। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 31 (2) के अनुसार कोई राज्य किसी वस्तु के अधिग्रहण के संबंध में कोई उपबन्ध नहीं कर सकता है।

सरकार अपने सिद्धान्तों के अनुसार मूल्य निर्धारित नहीं कर सकती है। जब सरकार सम्पत्ति का अधिग्रहण करती है तो उसे बाजार के भाव से मूल्य चुकाना पड़ता है। उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा है कि ऐसे सिद्धान्तों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि जो देय निर्धारित किया जाता है वह उस अंश के बराबर हो जिससे कि मालिक वंचित हुआ हो।

मुआवजे की अदायगी और किसी गैर-सरकारी व्यक्ति अथवा कम्पनी की सम्पत्ति को अधिग्रहण अथवा अधिग्रहण संबंधी विधि बनाने के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एक निर्णय दिया है जिसमें कहा गया है कि "यदि विधान मंडल मुआवजा देने की व्यवस्था करना चाहता है या उसको निर्धारित करने सम्बन्धी सिद्धान्तों के बारे में बताता है, किन्तु वास्तव में वह मुआवजा दिये बिना सम्पत्ति ले लेता है तो वह अपनी शक्ति से बाहर का कार्य करता है।" अच्छा यही होगा कि प्रवर समिति और सरकार इस पहलू पर विचार करें और विधेयक में आवश्यक परिवर्तन करें।

**श्री विक्रम चन्द महाजन** (चम्बा): इस विधेयक का स्वागत है। इसका उद्देश्य उन बहुत सी वस्तुओं की सप्लाई और वितरण को नियंत्रित करना है जिनका बाजार में अभाव है। इसका प्रयोजन यह है कि जो लोग आवश्यक वस्तुओं को ऊँचे मूल्यों पर नहीं खरीद सकते हैं उन्हें ये वस्तुयें उचित मूल्य पर प्राप्त हो सकें।

यह आपत्ति निराधार है कि विधेयक द्वारा अनुच्छेद 31 (2) का उल्लंघन किया गया है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 369 के अनुसार सरकार को अधिकार है कि वह कमी वाली वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण को विनियमित करे। इस अनुच्छेद द्वारा सरकार को कानून बनाने और मूल्यों पर नियंत्रण रखने का अधिकार भी दिया गया है।

विधेयक के खण्ड (3) में कहा गया है कि सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली चीनी का उचित मूल्य दिया जाना चाहिये। विधेयक द्वारा यह कहकर उचित मूल्य निर्धारित कर दिया गया है कि सरकार को गन्ने के लिये निर्धारित किये गये निम्नतम मूल्य, उत्पादन लागत, शुल्क या कर तथा पूंजी प्रत्याय पर विचार करना चाहिये। अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि सरकार चीनी जैसी आवश्यक वस्तु को लागत मूल्य से कम मूल्य पर प्राप्त करेगी। यह विधेयक प्रवर समिति को भेज दिया जाना चाहिये क्योंकि इसमें कुछ ऐसे उपबन्ध हैं जिनमें कुछ संशोधन किया जाना चाहिये।

**श्री प० गोपालन** (तेल्लीचेरी): सरकार यह प्रभाव डालने का प्रयत्न कर रही है कि वह चोर बजारी करने वालों, जमाखोरों और मुनाफाखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना चाहती है। किन्तु यह सर्व विदित है कि सरकार ऐसे लोगों से निपटने में पूर्णतया असफल रही है और उसने हमारे लाखों लोगों को मुट्ठी भर चोरबाजारी करने वालों और मुनाफाखोरों की दया पर छोड़ दिया है।

दण्ड की अधिकतम अवधि को 3 वर्ष से 5 वर्ष तक बढ़ाने के लिये संशोधन पेश किया गया है। किन्तु यदि अधिनियम को उचित ढंग से कार्यान्वित न किया गया तो काला बाजार करने वालों और मुनाफाखोरों का बोल बाला बना रहेगा। ऐसा लगता है कि सरकार ने छोटे दुकानदारों और परचून का सामान बेचने वालों को ही अपना लक्ष्य बनाया है। थोक व्यापारी और मिल-मालिकों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है तथा वे परचून वालों से ऊँची कीमतें वसूल करते हैं।

सरकार का दावा है कि उसने मूल्य कम करने के लिये भरसक प्रयत्न किया है। किन्तु सचाई यह है कि सरकार ही मूल्य बढ़ाती है। पिछले दो वर्षों के दौरान उसने कमी वाले राज्यों को भेजे जाने वाले चावल के मूल्य बहुत बढ़ा दिये हैं। चीनी पर से आंशिक नियंत्रण हटाये जाने के बाद चीनी का मूल्य बहुत बढ़ गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या सरकार थोक व्यापारियों तथा मिल-मालिकों के विरुद्ध इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने का वास्तव में प्रयत्न कर रही है या नहीं।

**Shri B. S. Sharma** (Banka): The Act to which the Bill is an amendment has brought miseries and sufferings to the people. The rich has become richer and the poor poorer. As such it has failed to do any good to the people in general and it should he opposed.]

So far as the principles contained in the Bill and the original Act are concerned, they are undoubtedly good. But those principles have not been implemented properly and all these measures have resulted in greater misery. Therefore, all these measures should be properly implemented.

At present various types of controls have been imposed in the country and they are doing more harm than good to the country. The persons incharge of these controls can do whatever they like to do by fair or foul means. Only the small traders have to abide by the provisions of the Essential Commodities Act.

**श्री रणधीर सिंह** (रोहतक) : इस अधिनियम में जो उपबन्ध रखे गये हैं वह पूर्ण रूप से संवैधानिक हैं। इस अधिनियम के अधीन अपराध प्रज्ञेय है। इसे जमानती बनाया गया है। इसे गैर-जमानती बनाया जाना चाहिये।

विधेयक में छः महीने की सजा की व्यवस्था की गई है। अपराधी को अच्छा चरित्र दिखाने के लिए छः महीने का अवसर देना जरूरी नहीं है। यह अवधि कम से कम 2 वर्ष होनी चाहिये।

विधेयक में की गई कल्पना के क्षिप्र प्रक्रिया 2 वर्ष के लिए है। यह बहुत कम है। यह कम से कम 5 वर्ष होनी चाहिये।

दुराशय किसी अपराध का आवश्यक अंग होता है लेकिन इस बात का उल्लेख इस विधेयक में नहीं किया गया है। यदि ऐसा न किया गया तो अपराध बढ़ जायेंगे।

**Shri S. M. Banerjee** (Kanpur) : One of the objects of the Bill is to see that persons who are responsible for the extraordinary rise in prices and who indulge in black-marketing and hoarding are brought to book. So far as this aspect is concerned, the Bill is a welcome measure. But my point is that this Act was already in existence and whether those who indulged in black-marketing and hoarding were awarded punishment?

The Government should see that deterrent punishment was awarded to the defaulters so that such things did not occur again in future.

The prices of sugar in the oepen market are higher that the black-market prices of sugar before partial decontrol of sugar and the defaulters are not awarded punishment. Prison is for the unsuccessful criminals only.

The hon. Minister should assure the House that the Act would be implemented in its right earnest and in an effective way so that the object of the Act could he realised.

**Shri Ram Sewak Yadav** (Bara Banki): The object of this Amendment Bill was, among others, to prevent adulteration in food-stuffs, make such offences cognizable, make punishment more rigid and deprive the habitual offenders of their business. One would entirely agree with the spirit of this measure. But what we see today is that inspite of the fact that we have Criminal Procedure Code and the Indian Penal Code, the crimes are increasing. Therefore mere making of laws is not going to help us. What we require is to see that the root cause, of the crimes are removed. For instance, unless the prices of essential commodities are fixed, the practice of adulteration will continue. The Government should formulate a definite policy in this regard. So far Government have failed to formulate a definite policy. Sugar is selling at high prices. Whether cultivators would also share the profit made by sale of sugar in the open market: In the case of opium also, farmers are given very low prices whereas it is sold in the black-market at very high prices. Smuggling will not be checked until and unless the difference of prices is removed.

**श्री वेदव्रत वर्मा:** (कलियाबोर) : इस विधान द्वारा उपायुक्त और उनके द्वारा राज्य सरकारों को इस अधिनियम को लागू करने के अधिकार दिये जा रहे हैं। इस दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने इस अधिनियम को लागू करने का उत्तरदायित्व नहीं लिया है। यह भी स्पष्ट हो गया है कि ऐसा मुख्य मंत्रियों के परामर्श से किया गया है। अत: यह न केवल यहाँ—बल्कि प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन का प्रश्न है।

इस कांग्रेस सरकार को कीमतों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी ठहराते समय अन्य कारणों की उपेक्षा की गई है। पश्चिम बंगाल और कई अन्य राज्यों में गैर-कांग्रेस सरकारें हैं। पश्चिम बंगाल में जमाखोरियों ने 5 रुपये प्रति किलोग्राम चावल बेचे लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्य-वाही नहीं की गई। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि मूल्य-वृद्धि के लिए केवल केन्द्रीय सरकारें उत्तरदायी है। शायद यह स्थिति हमारे जीवन के तरीकों में कुछ मूलभूत त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुई है जिन्हें ठीक करना होगा और जिसके लिए काफी सहयोग की आवश्यकता है।

केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के सहयोग से कानून का कड़ाई से कार्यान्वयन जरूरी है ताकि कोई अपराधी बच न सके और कोई निरापराधी अनावश्यक पकड़ा न जाये।

अपराधों को हस्तक्षेप्य बनाना बहुत ही उचित है और ऐसा करना है तो अधिक शक्तियों की आवश्यकता होगी।

जो व्यक्ति अनाज का व्यवसाय आरम्भ करता है वह अपने ऊपर एक बड़ी राष्ट्रीय जिम्मेदारी लेता है। यदि वह गलती करता है तो अधिकारियों को उसे पकड़ना चाहिये। यदि वह निरन्तर गलती करता है तो उसे केवल छ: महीने तक ही व्यवसाय करने से नहीं रोका जाना चाहिये बल्कि इतने लम्बे समय के लिए रोका जाना चाहिये जो निवारणार्थ दण्ड के रूप में पर्याप्त हो।

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):** इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ तकनीकी आपत्तियाँ उठाई गई हैं और धारा 3 के खण्ड 3 (ग) की वैधता को भी चुनौती दी गई है। खण्ड 3 (ग) चीनी का मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में है।

**श्री कृष्णमूर्ति** : सरकार कोई वसूली कर सकती है लेकिन सरकार को यह अधिकार नहीं है कि केवल 60 प्रतिशत की वसूली करे और 40 प्रतिशत व्यापारियों के लिए छोड़ दे ताकि मूल्यों में अन्तर हो। सरकार सम्पूर्ण चीनी उत्पाद का, न कि केवल एक अंश का, मूल्य निर्धारित कर सकती है।

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे**: यदि यह कथन स्वीकार कर लिया जाये कि सरकार न केवल एक हिस्से के लिए बल्कि संपूर्ण चीनी उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारित कर सकती है और चीनी का अधिग्रहण सरकार को बाजार मूल्य पर करना चाहिये तो यह संकटपूर्ण होगा और सरकार मूल्यों की रोकथाम नहीं कर सकेगी तथा समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार किसी वस्तु का अधिग्रहण नहीं कर सकेगी।

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 (ख) के अधीन शक्तियां निहित हैं। वास्तव में ऐसे मामले पहले भी उच्चतम न्यायालय के पास गये हैं। चीनी का मामला भी उच्चतम न्यायालय के पास गया था। दीवान सूगर एण्ड जनरल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड एण्ड अदर्स बनाम भारत संघ के मामले में यह चुनौती दी गई थी कि क्या सरकार को चीनी का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार है और यह भी चुनौती दी गई थी कि सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य उचित नहीं हैं। उस मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक बहुत ही स्पष्ट निर्णय दिया है कि सरकार को ऐसा अधिकार है और इससे संविधान के अनुच्छेद 31 का उल्लंघन नहीं होता। वास्तव में संविधान के अनुच्छेद 31 में यह स्पष्ट उल्लिखित है कि मूल्य निर्धारित करने के लिए कुछ नियमों का उल्लेख करना आवश्यक है। इस धारा को इस अधिनियम में शामिल किया गया है।

जब चीनी की आंशिक विनियन्त्रण प्रणाली आरम्भ की गई तो प्रश्न उठाया गया कि जब तक चीनी का मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में कोई उपबन्ध नहीं होगा तब तक सरकार ऐसा नहीं कर सकेगी। इसी आधार पर इस खण्ड को प्रस्तुत अधिनियम में शामिल किया गया है। अतः इस खण्ड पर आपत्ति करने में कोई औचित्य नहीं है।

**श्री कृष्णमूर्ति**: मंत्री महोदय का कहना है कि 1959 में सरकार को मूल्य निर्धारित करने की पूरी शक्ति थी लेकिन इस समय सरकार ने चीनी का मूल्य 175 रुपये प्रति बोरी निर्धारित किया है जबकि चीनी कारखाने खुले बाजार में 350 रुपये प्रति बोरी चीनी बेच रहे हैं। सरकार को या तो बाजार मूल्य अदा करना चाहिये या सरकार को सम्पूर्ण चीनी उत्पाद का मूल्य निर्धारित करना चाहिये, न कि केवल 60 प्रतिशत चीनी का मूल्य निर्धारित करना चाहिये।

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने सुझाव दिया कि हमें यह देखना चाहिये कि अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम में जिन दण्डों की व्यवस्था की गई है वे हमारे हाथ में हों और इस अधिनियम का कार्यान्वियन अधिक प्रभावशाली बनाया जाये। देश दो गम्भीर सूखों से गुजरा है और अब अच्छी फसल होने जा रही है। अतः वितरण का ढंग ऐसा होना आवश्यक है कि उस से जनता के सभी वर्गों को लाभ पहुँचे। देश में अत्यावश्यक वस्तुओं का उचित वितरण हो इसलिए ही हम ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है।

मूल अधिनियम में माल की जब्ती के लिए एक मापदण्ड रखा गया है। यह बात नहीं है कि माल मनमाने तौर पर ही जब्त किया जा सकेगा जिससे कि उस व्यक्ति को जिस का माल जब्त किया गया है, अनावश्यक परेशानी होगी। अधिनियम में उपबन्ध है कि धारा 6-क के अधीन जब्ती का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि वस्तु के मालिक को लिखित रूप से

सूचना नहीं दी जाती कि किन कारणों से वस्तु ज़ब्त की जा रही है। वस्तु जब्त करने से पहले उसे लिखित रूप से प्रतिवेदन देने का अवसर दिया जायेगा।

इस अधिनियम में हमने यह किया है कि हमने प्रक्रिया बदल दी है। अब से आगे हम संक्षिप्त परीक्षण की प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे क्योंकि उससे हमें लाभ हुए हैं। हमने देख लिया है कि जब साधारण कानून के अधीन न्यायालय के पास मुकदमों के मामले भेजे जाते हैं तो उसमें ज्यादा समय लगता है और कम लोगों को दण्ड दिया जाता है और संक्षिप्त प्रक्रिया के मामलों में अधिक लोगों को दण्ड दिया जाता है और न्यायालय कम समय लेते हैं।

इस विधेयक को कठोर कानून की संज्ञा देना उचित नहीं है क्योंकि जो हमने किया है वह यह है कि यदि कोई व्यक्ति जो अधिनियम के अधीन दोषी ठहराया जा चुका है, पुनः अपराधी पाया जाता है तो कानून में यह व्यवस्था है कि उसे कम से कम एक महीने का दण्ड दिया जाये और जिस वस्तु की उसने चोरबाज़ारी, मुनाफाखोरी अथवा जमाखोरी की है उसे जब्त किया जाये और उसे उस वस्तु विशेष का व्यापार करने से रोका जाये।

इन शब्दों के साथ, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा जाये।

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है: "कि अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में अग्रेतर संशोधन करने तथा अत्यावश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1964 को अग्रेतर अवधि के लिए जारी रखने सम्बन्धी विधेयक को निम्नलिखित 21 सदस्यों की प्रवर समिति को एक सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन देने की हिदायत के साथ सौंपा जाये।

श्री स० मो० बनर्जी, श्री विभूति मिश्र, श्री रूपनाथ ब्रह्म, श्री चक्रपाणि, श्री जे० के० चौधरी, श्री वें० न० जाधव, श्री मुशीर अहमद खां, श्री दत्तात्रय कुंटे, श्री मोहन स्वरूप, श्री जुगल मंडल, श्री नेसामणि, श्री निहाल सिंह, श्री काशी नाथ पाँडे, श्री देवकीनन्दन पटोदिया, श्री भोला राउत, श्री ने० कु० साँघी, श्री शारदानन्द, श्री बाजपेयी, श्री सुधाकर, श्री विश्वनाथन तथा श्री मुहम्मद शफी कुरेशी।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted**

## शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन और शिक्षा सम्बन्धी संसद सदस्यों की समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—जारी

## MOTION RE : REPORT OF EDUCATION COMMISSION AND REPORT OF COMMITTEE OF MEMBERS OF PARLIAMENT ON EDUCATION—Contd.

**उपध्यक्ष महोदय :** अब सभा शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन और शिक्षा सम्बन्धी संसद सदस्यों की समिति के प्रतिवेदन सम्बन्धी प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी।

**डा० मैत्रेयी बसु:** (दारजीलिंग): शिक्षा का उद्देश्य भाषा के मामले पर झगड़ा करना नहीं है बल्कि बच्चों को जीवन के तथ्यों की जानकारी देना है। इस दृष्टि से जीवन-केन्द्रित शिक्षा की बच्चों के लिए आवश्यकता है।

[श्री चपलाकांत भट्टाचार्य पीठासीन हुए
Shri C. K. Bhattacharya in the Chair]

वर्तमान शिक्षाविदों ने बुनियादी शिक्षा की प्रशंसा मात्र कर दी है। महात्मा गाँधी ने जिस बुनियादी शिक्षा कीव्याख्या की थी, हमारे वर्तमान शिक्षाविदों ने उसका अध्ययन किया। यह शिक्षा कोई जड़वस्तु नहीं है बल्कि समय-समय पर बदलने वाली है। इसकी फिर से व्याख्या की जानी चाहिये। इस शिक्षा में मुख्य बात यह है कि इसका सीधा सम्बन्ध जीवन से है। जब तक शिक्षा का सम्बन्ध जीवन से नहीं होता तब तक वह बेकार है।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि शिक्षा आयोग ने शिक्षा की वर्तमान पद्धति की आलोचना की है। उन्होंने पड़ोसी नेबरहुड स्कूल खोलने की और पब्लिक स्कूलों को समाप्त करने की सिफारिश की है। पब्लिक स्कूलों में केवल बड़े आदमियों के बच्चे पढ़ते हैं। ये पब्लिक स्कूल हमारे देश में सामाजिक वर्गीकरण बनाये रखने के साधन हैं।

परन्तु हमें यह नहीं सोचना चाहिये कि अंग्रेजी ने अंग्रेजी पढ़ने के लिये हमें विवश किया था। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि शिक्षा मंत्रालय "ने आटोमालो शिक्षा "नामक एक अवांछनीय पुस्तिका प्रकाशित की है। इस पुस्तक में यह लिखा है कि हमारे देश में अंग्रेजी भाषा केवल क्लर्क पैदा करने के उद्देश्य से लागू की गई थी। जिसने भी पुस्तक लिखी है वह राजा राम मोहन राय का नाम भूल गया है जिन्होंने वास्तव में अंग्रेजी भाषा आरम्भ की थी और तभी हमारे देश ने इतनी प्रगति की है और उसने एक राष्ट्र का रूप लिया है। अंग्रेजी को विदेशी भाषा नहीं कहना चाहिये। हम जो अंग्रेजी भाषा बोलते हैं वह भारतीय अंग्रेजी है। यह अंग्रेजी विदेशी भाषा नहीं है। हम भाषा विवाद में उलझना नहीं चाहते विशेषकर जब कि इसका सम्बन्ध शिक्षा से है। मैं शिक्षा मंत्री से यह अनुरोध करूँगा कि वह इस पुस्तक को जो बंगला भाषा में प्रकाशित हुई है, वापिस ले लें। शायद यह अन्य भाषाओं में भी प्राकाशित हुई हो परन्तु मुझे केवल बंगाली का ही पता है।

**श्री बलराज मधोक** (दक्षिण दिल्ली): शिक्षा राज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रचनात्मक कार्य है क्योंकि शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों के मन की दिशा को नया मोड़ दिया जा सकता है जो अन्ततोगत्वा राष्ट्र का निर्माण करते हैं तथा नीतियों को निर्धारित करते हैं। दुर्भाग्य से इस देश में शिक्षा की अत्यधिक उपेक्षा की जाती है।

अंग्रेजी ने एक ऐसी शिक्षा पद्धति चलाई थी जो हमारी आज की आवश्यकताओं के लिये उपयुक्त नहीं है। अंग्रेजी का उद्देश्य जनता को शिक्षित करना नहीं था। उनका उद्देश्य एक ऐसे वर्ग को जन्म देना था जो अंग्रेजी के मानसिक रूप से दास बने रहें और प्रशासन चलाने के लिये क्लर्क पैदा किये जा सकें। उनका उद्देश्य सामान्य जनता को शिक्षित करने का नहीं था।

अंग्रेजी के पिछले एक सौ वर्ष के शासन काल में अपने दीक्षान्त भाषणों में राष्ट्रीय नेताओं ने बार-बार इस शिक्षा पद्धति की तथा अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाये जाने की निन्दा की है और अपनी भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने पर बल दिया है। हमारा यह विचार था कि अंग्रेजी के चले जाने के बाद स्वतंत्र भारत में शिक्षा की एक राष्ट्रीय पद्धति चलायी जायेगी परन्तु ऐसा नहीं हुआ। अब पहली बार हम शिक्षा की एक राष्ट्रीय नीति निर्धारित करने जा रहे हैं। कोठारी आयोग का प्रतिवेदन बड़ा विस्तृत है। इसमें शिक्षा का एक उद्देश्य यह बताया गया है कि शिक्षा से विद्यार्थियों में राष्ट्र निर्माण की, देश भक्ति की भावनाएँ पैदा की जानी चाहिये, उनमें नैतिक मूल्य समाविष्ट होने चाहिये और आधुनिक समय के विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में चुनौती का मुकाबला करने के लिये तैयार करना चाहिये। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये संसदीय समिति ने चार मुख्य सिफारिशें की हैं। एक यह है कि अध्यापक के स्तर में सुधार किया जाना चाहिये। मेरे विचार में इस

सम्बन्ध में दो राय नहीं हो सकतीं। इसलिये अध्यापक के भोजन के लिये पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिये और समाज में उन्हें एक सम्मानित स्थान दिया जाना चाहिये। आज अध्यापकों के निवास स्थान काफी दूर-दूर हैं। जहाँ भी कहीं स्कूल या कालेज खोले जायें, वहाँ अध्यापकों के रहने के लिये क्वार्टर भी बनाये जाने चाहिये जिससे अध्यापक अपना समय अध्ययन में बिता सकें जो अब इतनी दूरी को तय करने में बेकार चला जाता है।

दूसरी सिफारिश हमारी परीक्षा पद्धति में सुधार करने के सम्बन्ध में है। आजकल की परीक्षाएँ मशीन की तरह हैं और उनसे सही योग्यता का पता नहीं चल सकता। इस प्रतिवेदन में हमने यह सुझाव दिया है कि विद्यार्थी की आन्तरिक योग्यता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये और आन्तरिक एवं वाह्य योग्यता के आधार पर परीक्षा के परिणाम घोषित किये जाने चाहिये।

तीसरी सिफारिश पड़ोस के क्षेत्र के स्कूल (नेबरहुड) स्कूलों के सम्बन्ध में है। इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन में यह सुझाव दिया गया है कि कम से कम प्राथमिक स्तर तक सभी बच्चों को, चाहे वे गरीब हों या अमीर हों, उसी क्षेत्र के स्कूल में दाखिला लेना चाहिये। यह सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और समाजवाद के सिद्धान्त के अनुकूल है। परन्तु दुर्भाग्य से कुछ लोगों का विचार यह है कि यह बात मूलभूत अधिकारों के विरुद्ध होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग इसके समस्त नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने का दृढ़ संकल्प करते हैं। हम प्रतिष्ठा और अवसर की समानता चाहते हैं। परन्तु यदि धनवान व्यक्ति का बेटा किसी ऐसे स्कूल में जाता है जहाँ उसके साथ विशिष्ट व्यवहार किया जाता है और गरीब का बेटा उस स्कूल में नहीं जा सकता तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता कैसे हो सकती है। कोई भी धनवान व्यक्ति अपने बच्चों को साधारण स्कूल में भेजने के लिये तैयार नहीं होगा। इसीलिये इन स्कूलों का स्तर गिरता जा रहा है। इसलिये पंड़ोस के स्कूल की पद्धति प्रशंसनीय है और बिना देर किये इसे क्रियान्वित करना चाहिये। दिल्ली प्रशासन इस संबंध में कुछ कार्यवाही कर भी रहा है।

आयोग की सब से महत्वपूर्ण सिफारिश प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने के बारे में है। मेरा यह व्यक्तिगत अनुभव है कि हम विदेशी भाषा के माध्यम से बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते। दिल्ली में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। अधिक विद्यार्थी अंग्रेजी में ही असफल होते हैं। हमारे विद्यार्थी कम बुद्धिमान नहीं हैं, परन्तु यदि अंग्रेजी थोपी न जाये तो हमारे विद्यार्थी सभी क्षेत्रों में प्रगति करेंगे। अंग्रेजी विदेशी भाषा है। हम हिन्दी किसी राज्य पर थोपना नहीं चाहते। परन्तु सब को प्रादेशिक भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिये। हमें सभी क्षेत्रीय भाषाओं के लिये तकनीकी शब्दों का एक समान शब्दकोष तैयार करना चाहिये। दूसरी बात यह है कि केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय स्कूल या कालेज खोलने चाहिये जिनमें अंग्रेजी और हिन्दी के माध्यम से शिक्षा दी जाये जिससे सेना तथा अन्य सेवाओं में नियुक्त लोगों को, जिनका तबादला हो सकता है, अपने बच्चों की शिक्षा में कोई कठिनाई न हो। हम यह नहीं चाहते कि शिक्षा का माध्यम बदलने से किसी को कोई कठिनाई हो। कुछ लोगों का यह गलत विचार है कि अंग्रेजी के ही कारण भारत की एकता बनी हुई है। भारतीय एकता का कारण उसकी प्राचीन संस्कृति है। हिन्दी के 'खड़ी बोली' रूप को सरकारी भाषा स्वीकार किया गया है इससे किसी क्षेत्र विशेष को लाभ नहीं होगा। इसलिये शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषाओं में बदल देने के बारे में आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लेना चाहिये।

हमें भवन निर्माण के सम्बन्ध में किये जाने वाले खर्च में कमी करनी चाहिये। दूसरी बात यह है कि प्रीसेप्टोरियल पद्धति समाप्त कर देनी चाहिये। इस पद्धति में समय और धन दोनों चीजे नष्ट होती हैं। इस धन से नये कालेज खोले जा सकते हैं।

नये विश्वविद्यालय वहीं खोले जाने चाहिये जहाँ अनकी आवश्यकता हो। जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में पृथक-पृथक् विश्वविद्यालय की आवश्यकता है। अजमेर में एक दयानन्द विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। यह स्थान शिक्षा का बड़ा भारी केन्द्र है परन्तु राजस्थान सरकार इसकी उपेक्षा करती रही है। इसलिये अजमेर में एक विश्वविद्यालय खोलना चाहिये।

अन्त में मेरा सुझाव यह है कि जब तक सरकार इंजीनियरों को रोजगार देने में असमर्थ है तब तक सरकार को इंजीनियरी कालेजों के खर्च में कमी करनी चाहिये।

हमें संसद सदस्यों की एक स्थायी समिति नियुक्त करनी चाहिये जो शिक्षा की इस राष्ट्रीय नीति की कार्यान्विति का निरीक्षण करती रहे।

**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता–उत्तर-पूर्व): शिक्षा आयोग तथा संसद सदस्यों ने शिक्षा के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं। संसद सदस्यों की समिति ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है उसे जितना महत्व प्रदान करना चाहिये उतना महत्व नहीं दिया गया। हम देश की वर्तमान स्थिति में सुधार नहीं कर सकते परन्तु शिक्षा आयोग और संसद सदस्यों की समिति की सिफारिशों को तो लागू कर सकते हैं। कम से कम शिक्षा के माध्यम में परिवर्तन की सिफारिश तो बिना देरी के लागू कर सकती हैं।

संसद सदस्यों की समिति के लगभग सभी सदस्यों ने पड़ोसी क्षेत्र के स्कूल में ही शिक्षा देने के सुझाव का समर्थन किया है। हम यह नहीं कहते कि जो पब्लिक स्कूल चल रहे हैं वे अच्छे नहीं हैं परन्तु हम तो इतना जानते हैं कि वे हमारे देश की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं हैं। हम यह भी स्वीकार करते है कि इन विशिष्ट स्कूलों में कुछ ऐसी बातें है जिनका अनुकरण हमें अन्य स्कलों में करना चाहिये। किन्तु एक विशिष्ट वातावरण में इन स्कूलों का चलाया जाना लाभप्रद नहीं है। जिन विद्यार्थियों ने इन स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की है उनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिस पर देश को गर्व हो। हमारे कितने लेखक, कलाकार, विचारक, दार्शनिक, वैज्ञानिक अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों में पढ़े थे ? हमें जिन पर गर्व है वे साधारण स्कूलों में पढ़े हैं। मैं स्वयं बंगाली स्कूल में पढ़ा हूँ। वास्तविक स्थिति यह है कि अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों ने हमारे देश की कोई विशेष सेवा नहीं की।

मैं यह नहीं कहता कि सरकार इन स्कूलों को समाप्त कर दे परन्तु मैं कहता हूँ कि ये सुविधाएँ सामान्य जनता को भी उपलब्ध होनी चाहिये। सारे देश में पड़ोस के स्कूलों में दाखिले का सिद्धांत अपनाया जाना चाहिये जिनमें सर्वसाधारण को दाखिला मिल सके।

जहाँ तक शिक्षा के माध्यम का सम्बन्ध है, हमें अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को ही शिक्षा का माध्यम बनाना होगा। विदेशी भाषा की चाहे कितनी ही तारीफ क्यों न की जाये, लेकिन वह आखिर विदेशी ही है क्योंकि उसे सीखने में हमें अपनी बहुत आध्यात्मिक शक्ति खर्च करनी पड़ती है। विदेशी भाषा में हम अपने दिल के सबसे भीतरी विचारों, कल्पनाओं, महत्वाकाक्षांओं तथा सर्वाधिक रचनात्मक विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते। विदेशी भाषा पर निर्भरता समाप्त करनी हो पड़ेगी। प्रारम्भिक स्तर में हमें वास्तव में कुछ कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ेगा किन्तु इसके बावजूद भी हमें उन पर विजय पानी होगी। इसीलिये हमने संसद सदस्यों की समिति में कहा है कि हमें इसके लिये

पाँच वर्ष का समय चाहिए और सरकार अपने अनुभव के आधार पर यदि इस समय-सीमा को बाद में बढ़ाना चाहे, तो वह ऐसा कर सकती है। लेकिन तैरना सीखने के लिये पानी में डुबकी तो लगानी ही पड़ेगी।

इसमें कुछ सन्देह नहीं कि हमारे सामने फिलहाल कुछ समस्याएँ जरूर हैं, इसलिये हम इस अन्तरिम अवधि में अंग्रेजी और हिन्दी अथवा अन्य भारतीय भाषाओं को जारी रख सकते हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए

**[Mr. Deputy Speaker in the Chair]**

परिस्थितियों के अनुसार हम हेर-फेर कर सकते हैं। लेकिन हमें पहले अपना कार्य आरम्भ करना जरूरी है अन्यथा हम इस दिशा में कभी सफल नहीं हो सकते।

यह असंगत तथा उपहासजनक कथन है कि क्षेत्रीय भाषाएँ वर्तमान प्रक्रम पर भी ज्ञान के प्रसार के लिये उपयुक्त नहीं हैं, यह कहना भी गलत है कि हमें अनुवादों की एक विशाल सूची पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, हम इस कार्य का श्रीगणेश करने के लिये अपनी मौलिक पुस्तकें क्यों नहीं लिख सकते? हमें पुस्तकालय में रखी हर एक चाहे वह अंग्रेजी में हो अथवा अन्य भाषाओं में अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थी तीन भाषाएँ जानते हैं और वे उन्हें पढ़ सकते हैं।

सरकार ने शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में सभा में इस आशय का वचन दिया था कि हर स्तर पर हमारी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को लागू कर दिया जायेगा और इस बात से अब वह मुकर नहीं सकती है। सरकार को शिक्षा का माध्यम पड़ोस के स्कूल, अध्यापकों की स्थिति, विद्यार्थियों की समस्याओं के सम्बन्ध में तथा उन समस्याओं के बारे में जिनका संसद सदस्यों की समिति के प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है, राष्ट्रीय नीति प्रस्तुत करनी चाहिए।

**श्री सोमसुन्दरम** (थंजावूर) : पिछले वर्षों के दौरान शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिये सुझाव देने के सम्बन्ध में बहुत से आयोग तथा समितियाँ नियुक्त की गई और शिक्षा के सम्बन्ध में हमें प्रतिवेदन पर प्रतिवेदन मिलते रहे। इन प्रतिवेदनों में अच्छे-अच्छे सुझाव हैं, फिर भी शिक्षा विशेषज्ञों तथा विशारदों के इन सभी सुझावों तथा सिफारिशों के बावजूद शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने तथा उसे भारतीय आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है क्योंकि हमारे नेताओं, प्रशासकों तथा शिक्षाविशारदों में इन सुझावों को क्रियान्वित करने का उत्साह नहीं था और जब तक इस उत्साह का अभाव रहेगा तब तक यह केवल कल्पना की वस्तु रहेगी।

जहाँ तक कोठारी-प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, इसमें कुछ त्रुटियाँ हैं। हम इस बात का निर्धारण करने की परवाह किये बिना शिक्षा का अर्थव्यवस्था तथा समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं का विशेषतः कालेज तथा विश्वविद्यालय स्तर पर विस्तार कर रहे हैं। हम शिक्षा की लागत तथा लाभ का अनुमान दो भिन्न दृष्टियों से लगा सकते हैं,—पहला समाज की दृष्टि से और दूसरा व्यक्ति-विशेष की दृष्टि से। समाज की दृष्टिसे सरकारी तौर पर खर्च के जो आंकड़े बताये गये है, वे कम हैं। उनमें उन सभी संसाधनों पर आने वाला खर्च शामिल नहीं है जिनका प्रयोग शिक्षा-क्षेत्र में एक वर्ग में किया जाता है। इन सभी संसाधनों पर होने वाले व्यय को शामिल करने पर खर्च दुगुने से अधिक आयेगा।

शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन में यह सुझाव ठीक ही दिया गया है कि प्रारम्भिक स्तर पर शिक्षा को भावी आर्थिक विकास की जन-शक्ति सम्बन्धी आवश्यताओं के साथ सम्बद्ध किया जाना चाहिए। शिक्षा के ढांचे को मुख्यतया जन शक्ति की आर्थिक आवश्यकताओं के आधार पर ही निर्धारित किया जाना चाहिए। किन्तु आयोग ने भावी जनशक्ति की आवश्यकताओं को निर्धारित करने का जो तरीका अपनाया है, वह बड़ा ही अनुपयुक्त है और उसकी धारणाएं तथा कल्पनाएँ भी अवास्तविक हैं। इस परियोजना के श्रीगणेश का आधार 1961 की जनगणना के आधार पर किया गया श्रम शक्ति का विश्लेषण और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का प्रतिवेदन है। यह अनुमान लगाया गया था कि 1961 में शिक्षित श्रमशक्ति का पूरा-पूरा उपयोग किया गया।' उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण का राष्ट्र के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिये वैकल्पिक उपयोग किया गया। यह वास्तविकता से बहुत दूर है। हमने देखा कि एम० ए० तथा एम० एस० सी० की डिग्री प्राप्त व्यक्तियों को लोअर डिवीजन क्लर्क और असिस्टेंट नियुक्त किया जाता है। बहुत से इंजीनियर ऐसे नियमित कार्य कर रहे हैं जो डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों द्वारा भी बड़ी आसानी से किये जा सकते हैं। यह स्थिति मांग की कमी और शिक्षा प्राप्त लोगों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाने के कारण ही उत्पन्न हुई है। पेशेवर स्नातकों के बेरोजगार होने से यही सिद्ध होता है कि हमारे यहाँ इतने अत्यधिक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके निकल रहे हैं कि हमारी वर्तमान अर्थ व्यवस्था में उन सब के लिये रोजगार की व्यवस्था करना संभव नहीं है।

इस बात में कोई सन्देह नहीं कि लोगों की उच्च शिक्षा की मांग को लोकतंत्र में ठुकराया नहीं जा सकता लेकिन जो लोग ऊँची शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इसके लिये खर्च भी करना चाहिये। इसके साथ ही साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि गरीब तथा कुशाग्र बुद्धि वाले छात्र आर्थिक कठिनाइयों के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रह जायें।

प्रारम्भिक स्तर पर शिक्षा के प्रसार और सुधार की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। संविधान में निदेश दिया गया है कि 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिये निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के 20 वर्षों बाद भी हम अपने उद्देश्यों से पीछे हैं। इसका कारण यह है कि हमने प्रारम्भिक शिक्षा की उपेक्षा की है और उच्चतर शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर दिया है।

संसदीय समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है कि "संस्कृत की उन्नति करने की भारत की विशेष जिम्मेदारी है।" संभवतः उनका विचार यह होगा कि भारत की प्राचीन संस्कृति तथा सभ्यता को समझने के लिये संस्कृत ही मूल भाषा है। यदि यह कारण है, तो इस विशेष अध्ययन के लिये तामिल का दावा और भी ज्यादा है क्योंकि वह भी संस्कृत से पुरानी नहीं तो उसके समान ही प्राचीन तो अवश्य ही है और वह प्राचीन तथा वर्तमान संस्कृति और सभ्यता को समझने के लिये एक मूल भाषा है। इसलिये तामिल भाषा की उन्नति करने की ओर केन्द्रीय सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। संसदीय समिति के प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि अपनी स्कूल शिक्षा पूरी करने तक एक छात्र को तीन भाषाओं का ज्ञान होना चाहिये—प्रादेशिक भाषा मातृभाषा, हिन्दी और अंग्रेजी अथवा किसी अन्य भाषा का। यह अहिन्दी भाषी छात्रों के प्रति भेद-भाव का बर्ताव है और इससे राष्ट्रीय विघटन होगा।

ऐसी बात नहीं है कि हम हिन्दी को एक भाषा के रूप में जानने का विरोध करते हैं। हम हिन्दी को ही एकमात्र राजभाषा बनाये जाने के विरोध में हैं। हमारा तर्क यह है कि भारत जैसे

बहुभाषी देश में केवल एक भाषा को सम्पर्क भाषा बनाना संभव नहीं है। दूसरा यह कि हिन्दी को ही केवल एकमात्र राजभाषा बनाना अहिन्दी भाषी लोगों के प्रति अन्याय है और तीसरा यह कि अंग्रेजी, जो केवल किसी विशेष समुदाय की भाषा नहीं है, सम्पर्क भाषा बनाये जाने के "बहुत उपयुक्त" है।

**शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन)** : शिक्षा आयोग तथा शिक्षा सम्बन्धी सदस्य समिति के प्रतिवेदनों पर सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किए हैं तथा उनकी जो आलोचना की है अथवा समर्थन किया है, उसपर सरकार पूरी तरह विचार करेगी। आयोग की एक मुख्य सिफारिश यह है कि भारत सरकार को शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति के बारे में एक ऐसा वक्तव्य जारी कर देना चाहिए जो राज्य सरकारों तथा स्थानीय प्राधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं को तैयार करने तथा उनको क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में पथ प्रदर्शन करे। राज्य सरकारों ने इस सिफारिश का समर्थन किया है और भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि वह सभी सम्बन्धित पक्षों को अपनी राय तथा विचार व्यक्त करने का पूरा-पूरा अवसर देगी और फिर उनके विचारों की समीक्षा करके शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति के सम्बन्ध में एक व्यापक वक्तव्य जारी करेगी।

शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन राष्ट्रव्यापी चर्चा का विषय रहा है; जिस पर प्रेस, पब्लिक प्लेटफार्मों विश्वविद्यालयों तथा अध्यापकों के संगठनों में विचार-विमर्श किया गया है। इस पर राज्य सरकारों के साथ भी विचार-विमर्श किया गया है। इस संदर्भ में उठाये गये दो विशेष मामलों के सम्बन्ध में कुछ कहना जरूरी है। पहला, यह कहा गया है कि आयोग के प्रतिवेदन को संसद सदस्यों की समिति के पास नहीं भेजना चाहिये था। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। किसी भी विकसित अथवा विकासशील समाज में शिक्षा सम्बन्धी मूलभूत मामलों पर किसी न किसी प्रकार की राजनैतिक निर्णय किए बिना शिक्षा सम्बन्धी कार्यों को निष्पादित नहीं किया जा सकता। मैंने आयोग के प्रतिवेदन को संसद सदस्यों की समिति के पास इसलिये भेजा था कि मैं लोकतंत्र में विश्वास करता हूँ और आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये मैं संसद का पूरा समर्थन चाहता हूँ। जहाँ तक दूसरी आपत्ति का सम्बन्ध है, शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति के बारे में वक्तव्य जारी करने तथा इस पर संसद में चल रही इस चर्चा के बारे में आपत्ति इस आधार पर की गई है कि शिक्षा राज्य का विषय है। किन्तु मैं इस विचार से भी सहमत नहीं हूँ क्योंकि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं, उच्चतर शिक्षा के स्तरों, का समन्वय तथा उन्हें बनाये रखना, और उनमें एकसूत्रता लाने सम्बन्धी कुछ महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व संविधान के अनुसार केन्द्रीय सरकार को सौंपा गया है। केन्द्रीय सरकार शोधन-गृह समन्वय, उत्साहवर्द्धक किन्तु बल प्रयोग न करने वाले नेतृत्व की और वित्तीय सहायता की व्यवस्था आदि के आवश्यक संघीय कार्यों को भी करना जरूरी है। इस प्रकार शिक्षा केन्द्र तथा राज्यों के बीच एक कार्यकारी साझेदारी है। इसीलिये हम संसद में शिक्षा सम्बन्धी मामलों पर प्रश्न तथा संकल्प ग्रहण करते हैं और विचार-विमर्श करते हैं।

शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति के सम्बन्ध में यह वक्तव्य, जिसे जारी करने का हमने निर्णय किया है, राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकारों का मार्गदर्शन करेगा और जनता की राय को सही दिशा देगा और शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं के प्रभावकारी क्रियान्वयन में सहायता करेगा। यह शिक्षा के लिये केन्द्रीय सहायता का आधार भी होगा।

बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यह समस्या हमारी शिक्षा की प्रगति में रुकावट बन गई है। मुझे विश्वास है कि राजकीय भाषा अधिनियम में संशोधन हो जाने के बाद हमारे मित्र यह नहीं समझेंगे कि हिन्दी उन पर थोपी जा रही है या कि हम प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बना कर हम हिन्दी को चोरदरवाजे से आगे नहीं लाना चाहते।

श्री भसानी ने कहा था कि संसद को विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के बारे में कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है परन्तु गुजरात विश्वविद्यालय के विख्यात मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि यह अधिकार केवल संसद् को ही है। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि यह विषय विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के अन्तर्गत आता है इसलिये संसद को इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। मैं भी विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में विश्वास रखता हूँ परन्तु उन्हें अलग-अलग नहीं रहना चाहिए। उन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करना है। विश्वविद्यालय समूचे राष्ट्र का एक अंग है और उन्हें भाषाओं के प्रति लोगों की महत्वकांक्षाओं का उसी तरह आदर करना होगा जिस तरह राष्ट्र को शिक्षा तथा अनुसंधान को संगठित करने में विश्वविद्यालयों के अनुभव का सम्मान करना होगा। इन दोनों के बीच इस नाजुक सन्तुलन पर शिक्षा आयोग ने भी बल दिया है।

अब मैं प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने के प्रस्ताव के गुणदोषों की ओर आता हूँ। सभा के सभी वर्गों ने इसका समर्थन किया है। श्री एन्थनी भी केवल यह चाहते हैं कि अंग्रेजी को सहभाषा के रूप में बनाये रखा जाए। श्री भसानी भी इस प्रस्ताव से सहमत हैं। वह केवल यह चाहते हैं कि इसे विश्वविद्यालयों पर छोड़ दिया जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि यह प्रस्ताव सही दिशा में एक कदम है जिसे टैगोर, गाँधी जी और राजा जी जैसे महान् राष्ट्रीय नेताओं का समर्थन प्राप्त है। उस्मानिया विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में बोलते हुए राजा जी ने कहा था कि छात्र की मातृभाषा ही शिक्षा का सबसे उपयोगी माध्यम हो सकता है। 1947 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में भी उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी एक सुन्दर भाषा हो सकती है परन्तु वह हमारे विचारों के विकास में बाधक है। 24 अगस्त, 1948 को मद्रास विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में राजा जी ने कहा था कि विद्यार्थियों पर उनकी मातृभाषा के इलावा शिक्षा के माध्यम के रूप में कोई अन्य भाषा लादना अच्छा नहीं होता। 1940 में नेहरू जी ने कहा था कि एक छात्र की शिक्षा उसकी अपनी भाषा में होनी चाहिये।

1948 में इस बारे में एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें डा० ताराचन्द, सर सी० आर० रेड्डी, श्री रथनास्वामी, डा० कोठारी, आचार्य नरेन्द्र देव, श्री शान्ति स्वरूप भटनागर, प्रो० हुमायूं कबिर, डा० लक्ष्मणास्वामी मुडालियर, डा० जाकिर हुसैन आदि सदस्य थे। उस कमेटी ने निर्णय किया कि अगले पाँच वर्षों में अंग्रेजी की बजाय भारतीय भाषाओं को विश्वविद्यालमों में शिक्षा का माध्यम बनाया जाए तथा इस अवधि के बाद अंग्रेजी शिक्षा और परीक्षा का माध्यम नहीं रहेगी। शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद ने संसद में कहा था कि हमने विश्वविद्यालय आयोग (राधाकृष्णन आयोग) की सिफारिशों को मान लिया है कि उच्चतर शिक्षा में कुछ अथवा सभी विषयों का माध्यम प्रादेशिक भाषा होनी चाहिये और धीरे-धीरे प्रादेशिक भाषा में ही विश्वविद्यालय शिक्षा का माध्यम बनेंगी। यही बात डा० श्रीमाली ने अप्रैल, 1960 में राज्यसभा में दुहराई थी। दिसम्बर, 1964 में शिक्षा मंत्री श्री चगला ने लोकसभा में कहा था कि सरकार ने स्वीकार किया है कि अन्ततः प्रादेशिक भाषायें ही विश्वविद्यालयों के शिक्षा का माध्यम होंगी।

श्री फ्रेंक एन्थनी ने भावात्मक एकता समिति के प्रतिवेदन का हवाला दिया था परन्तु उन्होंने पूरा चित्र हमारे सामने नहीं रखा। प्रतिवेदन में कहा गया है कि शिक्षा के सभी स्तरों पर भारतीय भाषाओं को माध्यम बनाना राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा करने से ही उस दूरी को समाप्त किया जा सकता है जो भारत की आम जनता और शिक्षित वर्ग के बीच विद्यमान है। माध्यम के इस परिवर्तन में कई व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं जैसे कि पाठ्यपुस्तकों की तैयारी और अनुवाद की व्यवस्था परन्तु इन कठिनायों के कारण इस परिवर्तन को लाने में अनिश्चित विलम्ब नहीं किया जा सकता। यह दुर्भाग्य की बात है कि स्वतंत्रता के बाद पन्द्रह वर्षों में देश ने इस दिशा में कोई प्रगति नहीं की है।

मैं इस बात पर बल देना चाहता हूँ कि प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने का परिवर्तन शुरू हो चुका है। आज 36 विश्वविद्यालयों में परीक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषा है। लगभग 15 विश्वविद्यालयों में 90 प्रतिशत से ज्यादा विद्यार्थियों ने प्रादेशिक भाषा को माध्यम के रूप में चुना है। इस परिवर्तन को तेजी से लाने के लिये राज्य सरकारें स्वयं इच्छुक हैं। और राज्यों में प्रशासनिक प्रयोजनों के लिये प्रादेशिक भाषाओं को अपना लिया गया है। दुर्भाग्य की बात केवल इतनी है कि इस परिवर्तन को तदर्थ रूप से और बिना किसी योजना या कार्यक्रम के किया जा रहा है। अध्यापकों को नए उत्तरदायित्वों के लिये तैयार नहीं किया जा रहा है। जरूरत इस बात की है कि शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाने के लिये यह परिवर्तन योजनाबद्ध ढंग से लाया जाये और सरकार इसी बात का प्रयास कर रही है।

इस प्रस्ताव के विरुद्ध एक बात यह कही जाती है कि इससे देश के टुकड़े हो जायेंगे। यदि ऐसा होता तो मैं सबसे पहले स्वयं इस प्रस्ताव का विरोध करता। स्वतंत्रता से पहले कई लोग कहा करते थे कि स्वतंत्र होने के बाद हम एक नहीं रह पायेंगे। यही बात तब कही गयी जब भाषा के आधार पर देश का पुनर्गठन हुआ। 1962 के चीनी आक्रमण और 1965 के पाकिस्तानी हमले ने ऐसी निराधार शंकाओं को पूर्णतः झुठला दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि विश्वविद्यालय स्तर पर प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने से हमारी एकता और सुदृढ़ होगी। इससे 90 प्रतिशत जन-साधारण तथा 2 या 2.5 प्रतिशत अंग्रेजी पढ़े लोगों के बीच की दूरी कम होगी। मैं यह भी मानता हूँ कि देश के लिये एक सम्पर्क भाषा का होना अत्यावश्यक है। परन्तु यह कहना गलत होगा कि विश्वविद्यालय स्तर पर किसी एक भाषा को माध्यम बनाने से सारी बुराइयाँ दूर हो जायेंगी। जरूरी नहीं कि एक भाषा के होने से ही एकता आ जायेगी। उस एक भाषा का प्रयोग झगड़ों के लिए भी किया जा सकता है। राष्ट्रीय एकता के लिए माध्यम से कहीं अधिक जरूरी है शिक्षा का तत्व। श्री मधोक ने ठीक कहा है कि शिक्षा पद्धति का मुख्य लक्ष्य राष्ट्रीय जागरूकता और उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ावा देना होना चाहिये। यदि हम लोग इसके लिये अपने छात्रों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करें तो अनेक भाषाओं के शिक्षा का माध्यम होते हुए भी हमारा देश और ज्यादा शक्तिशाली और महान् बन सकता है।

मेरे बारे में अनेक बातें कही गई हैं। कुछ व्यक्तियों ने मुझपर राष्ट्रीय एकता भंग करने का आरोप लगाया है जबकि अन्य व्यक्तियों की राय में मुझे निरा आदर्शवादी कहा गया है। कुछ व्यक्तियों की सम्मति में मैंने शिक्षा के सुन्दर स्वरूप को भ्रष्ट कर दिया है, कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा है कि राजनीति के दलदल में आकर मैंने यह सब किया है। किन्तु प्रशंसा और निन्दा से पृथक रहकर मैं अपना कर्त्तव्य कर रहा हूँ। मैंने जीवन में दो सिद्धान्त अपनाये हैं—देश के प्रति निष्ठा, शिक्षा को

विकास का महत्त्वपूर्ण आलंबन मानते हुए विद्यार्थियों और युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य में विश्वास और अपने विश्वास एवं मान्यता के अनुसार काम करने का संकल्प। प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने से देश के विकास की गति तीव्र होगी—इस बात में मेरा पूर्ण विश्वास है। 'पड़ोसी स्कूल' शिक्षा पद्धति अपनाने से शिक्षा के क्षेत्र में पृथकवाद की भावना लुप्त होकर सामाजिक और राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी। स्वतंत्र पार्टी के एक सदस्य ने कहा कि सामान्य स्कूलों के स्तर में सुधार कर छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ा दी जाये। अनेक दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं। मैंने उन सब पर ध्यान दिया है और हमारा यही प्रयास होगा कि बगैर कठिनाई यह कार्यक्रम पूरा हो।

इस वादविवाद में भाग लेने वाले सभी सदस्यों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। भाषायी समस्या में हमने अधिक समय लगाया जबकि अध्यापकों की आर्थिक दशा और सामाजिक स्थिति, विद्यार्थियों में फैल रही निराशा की भावना, पाठ्य-पुस्तकों में सुधार सरीखे विषयों पर पूरी चर्चा नहीं हो सकी। तथापि, माननीय सदस्यों के प्रति पुनः धन्यवाद व्यक्त करते हुए मैं यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि सदस्यों द्वारा सुझायी गयी सभी बातों पर नीति निर्धारित करते समय ध्यान रखा जायगा।

**श्री लोबो प्रभु :** माननीय मंत्री ने श्री राजगोपालाचारी के भाषणों के अंश उद्धृत किए हैं। मैं उनसे इस आशय का स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि क्या उनके मतानुसार श्री राजाजी विश्वविद्यालयों में प्रादेशिक भाषाओं के प्रवेश के हिमायती हैं, श्री मसानी के विचारों के बारे में भी मैं मंत्री महोदय के भ्रम का निवारण करना चाहता हूँ। श्री मसानी ने यह कहा था कि प्रादेशिक भाषाओं के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं होना चाहिये। विश्वविद्यालय इस विषय में स्वायत्त-शासी हैं और मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री यहाँ इस बात की घोषणा करें।

**अध्यक्ष महोदय :** अब मैं संशोधन को लूंगा।

**श्री लोबो प्रभु :** उन्होंने सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है। श्रीमन्, आपको प्रतिपक्षी सदस्यों के अधिकारों का आदर करना चाहिये। मैंने तीन विशिष्ट प्रश्न पूछे थे। मंत्री महोदय उनपर 'हाँ' अथवा 'ना' कहें।

**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय का विचार है कि वे उन सभी बातों का स्पष्टीकरण कर चुके हैं।

अब मैं यशपालसिंह का संशोधन लूंगा। हालाँकि वह यहाँ पर मौजूद नहीं हैं पर चूंकि वह पेश किया जा चुका है अतः मैं उसे सभा के मतदान के लए रखता हूँ।

**अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।**

**The amendment was put and negatived.**

**अध्यक्ष महोदय :** अब मैं मुख्य प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा शिक्षा आयोग के 1964–66 के प्रतिवेदन पर, जो 29 अगस्त, 1966 को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The Motion was adopted.**

**अध्यक्ष महोदय** : अब हम दूसरा प्रस्ताव लेंगे। श्री लोबो प्रभु ने उसमें एक संशोधन पेश किया है। मैं उस संशोधन को सभा के मतदान के लिए रखता हूँ।

**अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ**

**The amendment was put and negatived.**

**अध्यक्ष महोदय**: अब मैं मुख्य प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा शिक्षा सम्बन्धी संसद सदस्यों की समिति (1967) — शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति—के प्रतिवेदन पर, जो 25 जुलाई, 1967 को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The Motion was adopted.**

---

## *महाजन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में

**RE: MAHAJAN COMMISSION REPORT

**अध्यक्ष महोदय** : अब आधे घंटे की चर्चा ली जायेगी। पर इससे पहले मैं एक बात कह दूँ। इस सम्बन्ध में स्पष्ट नियम है कि जो प्रश्न पूछना चाहें वे 11 बजे से पहले नोटिस दे दें और यदि नोटिस देने वाले सदस्यों की संख्या पाँच से अधिक होगी तो पर्चियाँ निकाली जायेंगी और पाँच नाम चुन लिये जायेंगे। कुछ सदस्यों ने अब मुझे चिट लिख भेजी हैं। मेरे पास पहले ही पाँच सदस्यों के नाम मौजूद हैं। जिन्होंने चिट भेजी हैं यदि मैं उन सभी को बोलने दूं तो यह चर्चा आधे घंटे की न रहकर, घंटे-दो घंटे की हो जायेगी। अतः मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की बात से आप अध्यक्ष को कठिनाई में न डाला करें।

मेरे कुछ मित्र मेरे कार्यालय में पर्चियाँ छोड़कर चले जाते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखना बड़ा कठिन है। अतः मैं सभी सदस्यों से सादर निवेदन करता हूँ कि वे भविष्य में नियमों का पालन करते हुए ही कार्य करें जिससे कि पीठासीन अधिकारी को कोई कठिनाई न हो। जो नाम मेरे पास आते हैं उनका बेलट होता है और ऐसा करने में सब का नाम नहीं आता।

**श्री नायपाई** (राजापुर) : महोदय, इस विषय के लिये आपने केवल आधा घंटा नियत किया है। इसके लिये एक घंटा नियत करना चाहिये था।

सरकार ने प्रतिवेदन को सभा-पटल पर न देख कर चर्चा को दबाने का प्रयास किया है। सरकार का यह मत समझ में नहीं आता। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने वहाँ विधान सभा में कहा है कि इस मामले पर संसद ही चर्चा कर सकती है। मुझे ऐसा कुछ नहीं प्रतीत होता कि सरकार विरोधी पक्ष के नेताओं से इस मामले पर विचार करने को तैयार है।

इस मामले में तीन राज्यों के लोगों का कोई अपराध नहीं है। परन्तु सरकार ने इस मामले को खटाई में रखा हुआ है।

---

*आधे घंटे का प्रतिवेदन

**HALF AN HOUR DISCUSSION

मेरे विचार में तो आयोग का चयन ही गलत हुआ है। आयोग से कहा था कि भाषाई आधार पर राज्यों की सीमा निर्धारित करनी थी। परन्तु जिस व्यक्ति को इस कार्य के लिये नियुक्त किया गया उसकी ही भाषाई आधार में निष्ठा ही नहीं थी। फिर क्या सरकार ने ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करके अच्छा कार्य किया अथवा स्वयं उस व्यक्ति के साथ न्याय किया? इसका अर्थ तो यह हुआ कि सरकार नहीं चाहती कि यह समस्या हल हो।

उस आयोग को कोई विचारार्थ विषय ही नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में वह आयोग करता भी क्या? सरकार को 1956 में ही ऐसा पग उठाना चाहिये था कि वह सब समस्या जो राज्यों के बीच झगड़ों की जड़ हैं वे तुरन्त सुलझाये जाते। सरकार को चाहिये था कि झगड़े के किसी भी विषय को लटका न रहने देती। मेरे विचार में इस देश के लोगों को देश की एकता बनाये रखनी चाहिये। इस प्रकार के मामलों का गाँव की निकटता तथा अपेक्षित बहुसंख्या के आधार पर निपटारा करना चाहिये।

यह प्रतिवेदन तो उत्पत्ति से पूर्व ही समाप्त हो गया। कोई यह कह कर इसे जीवित न करने का प्रयास करे कि इसे भारत के एक भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति ने लिखा है। साथ ही आयोग ने केवल सिफारिश की है। उसने पंचाट नहीं दिया है। हमें वह सब मामले समाप्त करने चाहिए जो राज्यों में फूट का कारण बने हुए हैं। एक स्थान पर आयोग ने कहा है कि 41% ही बहुसंख्या है और दूसरे स्थान पर कहा है कि 63% भी कम है। उसके पश्चात् आयोग ने कहा है कि इस कार्य में संसद की जिम्मेदारी है कि राज्यों के बीच सीमा निर्धारित करे।

मेरे विचार में विरोधी दल के सदस्य सिद्धान्त पर सहमत हो सकते हैं और वह सिद्धान्त इस मामले में वही हैं जो 1922 में गाँधी जी ने रखे थे अर्थात् गाँव का निकट होना, अपेक्षित बहुसंख्या तथा भाषा का होना। यह जो चोट लगी है देश को उसको ठीक करने की आवश्यकता है। मेरे विचार में प्रधान मंत्री को एक गोलमेज सम्मेलन बुलाने में पहल करनी चाहिये ताकि सब मिलकर बैठ सकें और सिद्धान्त के बारे में बात कर सकें। मेरे विचार में सरकार मेरे सुझाव को मान लेगी।

**अध्यक्ष महोदय**: मेरे पास बोलने के लिए चिट भेजने की आवश्यकता नहीं है। हमें नियमों के अनुसार कार्य करना चाहिये।

अब श्री जार्ज फरनेन्डीज केवल प्रश्न पूछें न कि भाषण करें।

**Shri George Fernadnes** (Bombay South): Mr. Speaker, in May 1966 when the AICC was holding its session in Bombay, the Prime Minister Smt. Indira Gandhi gave some assurance about this matter. Since the report of the Commission is not acceptable to two States, what steps Government propose to take to solve this problem?

**श्री कृष्णमूर्ति** (कुड्डलूर): क्या सरकार इस मामले में कोई निर्णय लेने से पूर्व वहाँ के लोगों का मत प्राप्त करेगी जैसा कि गोआ में किया था और इस मामले को चुनाव आयोग को देगी?

**श्री अ० कु० गोपालन** (काडरगोड): सीमा निर्धारित करने के मामले में जो सिद्धान्त स्वीकार किए जा चुके हैं वे हैं: भाषा, मिला हुआ होना तथा गाँव को इकाई समझना। आयोग ने यह सिद्धान्त कासरगोड के मामले में नहीं माना। इसलिये सरकार आयोग को क्यों नहीं कहती कि आपने भाषाई आधार को तिलांजलि दे दी है?

**Shri Kanwar Lal Gupta** (Delhi Sadar): The Government did not indicate any guidelines to the Commission. I want to know whether there would be any finality to these

problems and what will be the basis of that? Will you decide that all these disputes should be settled by means of arbitration so that there may not be any agitations in this regard ?

**श्री मुहम्मद इमाम** (चित्रदुर्ग) : मैसूर इस झगड़े को खोलना नहीं चाहता था परन्तु जब यह आयोग नियुक्त हो गया तो मैसूर ने इसका स्वागत किया कि यह झगड़ों को समाप्त करेगा।

यह रंचाट है क्योंकि मैसूर तथा महाराष्ट्र के मुख्य मंत्रियों ने आपस में समझौता कर लिया था कि आयोग का जो भी निर्णय होगा उसे वे स्वीकार करेंगे। देश की एकता को ध्यान में रखते हुए यह उचित है कि ऐसे झगड़े समाप्त हों। क्या मंत्री महोदय बतावेंगे कि दोनों राज्यों के मुख्य मंत्री पहले से ही महाजन आयोग की सिफारिश मानने के लिए तैयार हो गये थे ?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)**: यह सच है कि यह मामला बहुत दिन से लटका हुआ है। परन्तु यह कहना ठीक नहीं कि सरकार इसे हल करना नहीं चाहती। मैं श्री नाथपाई के साथ सहमत हूँ कि हमें इस प्रश्न को राष्ट्र के हित से देखना चाहिये न कि राज्यों के हित से।

यह प्रतिवेदन इसलिये सभा पटल पर नहीं रखा गया क्योंकि हम जल्दी में कोई कार्य करना नहीं चाहते थे। सरकार का विचार है कि संसद में राजनीतिक दलों के जो नेता हैं उनसे इस बारे में बात की जाये ताकि एक राष्ट्रीय हल मिल सके। अन्तोगत्वा तो संसद को ही फैसला करना है। मैं सदस्यों से अपील करूँगा कि इस मामले को वस्तुरूपता से देखना चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय**: अब सदन कल ११ बजे तक के लिए स्थगित होता है।

**इसके पश्चात् लोक सभा वृहस्पतिवार, 7 दिसम्बर, 1967/16 अग्रहायण, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।**

**The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, December 7, 1967/ Agrahayana 15, 1889 (Saka).**



Printed by Job Printers, 119, Swami Vivekanand Marg, Allahabad.